षोडश माला, खंड 1, अंक 5

मंगलवार, 10 जून, 2014
20 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G' 91
Acc. No.....
Dated...17 Jan 2018

(खंड 1 में अंक 1 से 6 शामिल हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

पी.वी.एल.एन.मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कमार मिश्र
संयुक्त सम्पादक

धर्म सिंह
सम्पादक

कीर्ति यादव
सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 5, मंगलवार, 10 जून, 2014/20 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1, 18
निधन संबंधी उल्लेख	2-5
सभा पटल पर रखे गए पत्र	5-6
(एक) कृषि संबंधी समिति	
59वें से 61वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)	6
(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	
46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)	7
(तीन) श्रम संबंधी समिति	
44वें से 46वां प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा)	7
(चार) सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति	
14वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)	7
(पांच) शहरी विकास संबंधी समिति	
31वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)	7-8
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मुम्बई में ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्लेटफार्म और कोचों के बीच अन्तर को कम करने तथा अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. किरीट सोमैया	8
(दो) देश के विभिन्न भागों में बलात्कार और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री रत्न लाल कटारिया	8-9
(तीन) जम्मू-कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में मोबाइल दूरसंचार उपस्कर की क्षमता का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री थुपस्तान छेवांग	9
(चार) देश में सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	10

विषय		कॉलम
(पांच)	संथाल परगना के सभी नक्सल प्रभावित जिलों को एकीकृत कार्य योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री निशिकांत दुबे.....	10-11
(छह)	झारखंड में सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण विस्थापित लोगों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय.....	11
(सात)	कोरबा-रायपुर इंटरसिटी ट्रेन सेवा को पुनः शुरू किए जाने तथा छत्तीसगढ़ के जान्जगीर-चांपा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अकलतारा, बड़ाद्वार और सक्ति रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों को ठहराव प्रदान किए जाने तथा इस निर्वाचन क्षेत्र में ऊपरि पुलों और समपारों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कमला पाटले.....	11-12
(आठ)	उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	साध्वी निरंजन ज्योति.....	12
(नौ)	झारखंड में धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पशुपति नाथ सिंह.....	12-13
(दस)	असम में लम्बित रेल और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	कुमारी सुष्मिता देव.....	13
(ग्यारह)	कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ई.सी.एच.एस. पॉलीक्लीनिक्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. ध्रुवनारायण.....	13-14
(बारह)	तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सभी तालुकों में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. परसुरमन.....	14-15
(तेरह)	ऋणग्रस्त पश्चिम बंगाल द्वारा किए जाने वाले ब्याज के भुगतान को स्थगित किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. सौगत राय.....	15-16

विषय **कॉलम**

(चौदह) पारादीप पत्तन में ठेके पर रखे गए डिग्री तथा डिप्लोमा इंजीनियरों को बहाल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल.................... 16-17

(पंद्रह) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में असमय वर्षा से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड.................... 17

(सोलह) केरल के कासरगोड जिले तथा राज्य के अन्य हिस्सों में एंडोसल्फान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा उपचार के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन.................... 17-18

(सत्रह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश नारायण यादव.................... 18

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन.................... 56

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी.................... 19-44

श्री रामविलास पासवान.................... 44-56

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे.................... 56-63, 66-68

संशोधनों का पाठ

डॉ. एम. तम्बिदुरै.................... 81-98

श्री कल्याण बनर्जी.................... 98-106

श्री भर्तृहरि महताब.................... 106-114

श्री प्रतापराव जाधव.................... 114-122

श्री अनन्त गंगाराम गीते.................... 122-124

श्री थोटा नरसिम्हम.................... 124-128

श्रीमती कविता कलवकुंतला.................... 128-133

विषय **कॉलम**

श्री. पी. करुणाकरन........ 133-138

श्री देवजी एम. पटेल........ 138-141

श्री विन्सेंट एच. पाला........ 141-145

श्री नारनभाई भिखाभाई काछड़िया........ 145-146

श्री सुशील कुमार सिंह........ 146-147

श्री राहुल रमेश शेवाले........ 147-148

श्रीमती कृष्णा राज........ 148-150

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश........ 150-152

योगी आदित्यनाथ........ 152-162

श्री जयप्रकाश नारायण यादव........ 163-166

कुमारी महबूबा मुफ्ती........ 166-171

डॉ. यशवंत सिंह........ 171-172

श्री निनोंग इरिंग........ 172-176

श्री पूरनो अगितोक संगमा........ 176-181

श्री राहुल कस्वां........ 181-182

डॉ. अरुण कुमार........ 182-185

श्री बी.एस. येदियुरप्पा........ 185-186

श्री प्रहलाद जोशी........ 186-192

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तम्बिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

मंगलवार, 10 जून, 2014/20 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्यों द्वारा शपथग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम महासचिव द्वारा पुकारे जाएंगे।

महासचिव: श्री शिबु सोरेन।

झारखंड-जारी

श्री शिबु सोरेन (दुमका) – उपस्थित नहीं

कर्नाटक-जारी

श्री प्रकाश हुक्केरी (चिक्कोडी) – उपस्थित नहीं

राजस्थान-जारी

श्री सांवर लाल जाट (अजमेर) – उपस्थित नहीं

पश्चिम बंगाल-जारी

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) – उपस्थित नहीं

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने ग्यारह भूतपूर्व साथियों– श्री जी. भुवराहन, श्री एस. मल्लिकार्जुनैया, श्री रामधारी शास्त्री, श्री श्रीष चन्द्र दीक्षित, श्री राम निहोर राय, श्री उमाकान्त मिश्र, डॉ. एन. जनार्दन रेड्डी, श्री मदन तिवारी, श्री जयराम आई.एम. शेट्टी, श्री आर., उमानाथ और श्री तपन सिकदर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जी. भुवराहन पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तमिलनाडु के क्रमश: मेत्तूर और कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वे तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य भी रहे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे। वे तमिलनाडु विधान सभा में 1967 से 1971 के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री भुवराहन का निधन 23 फरवरी, 2014 को चेन्नई में 81 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने कर्नाटक के टुमकुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा वे 1991 से 1996 के दौरान 10वीं लोक सभा के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री मल्लिकार्जुनैया 1971 से 1991 तक चार बार कनार्टक विधान सभा परिषद् के सदस्य भी रहे तथा 1985 से 1991 तक कर्नाटक विधान परिषद् के उप सभापति रहे।

एक सुयोग्य सांसद श्री मल्लिकार्जुनैया ने कई संसदीय समितियों में सभापति तथा सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री मल्लिकार्जुनैया ने कई देशों का दौरा किया तथा 1992 में कैमरून गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के वे नेता भी थे। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। श्री मल्लिकार्जुनैया का निधन 13 मार्च, 2014 को टुमकुर, कर्नाटक में 82 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री रामधारी शास्त्री छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पडरौना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री शास्त्री 1969 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी श्री शास्त्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और जेल गए। श्री रामधारी शास्त्री का निधन 2 अप्रैल, 2014 को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में 88 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री श्रीष चंद्र दीक्षित दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री श्रीष चंद्र दीक्षित का निधन 8 अप्रैल 2014 को रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 88 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री रामनिहोर राय, दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के रॉबर्टसगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राय ने दसवीं लोक सभा के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री राय वर्ष 1969 से वर्ष 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। श्री रामनिहोर राय का निधन 5 मई 2014 को मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री उमाकांत मिश्र सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र ने आठवीं लोक सभा के दौरान, प्राक्कलन समिति तथा ग्रंथालय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री मिश्र वर्ष 1974 से 1981 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री उमाकांत मिश्र का निधन 7 मई 2014 को लालगंज, उत्तर प्रदेश में 87 वर्ष की आयु में हुआ।

डॉ. एन जनार्दन रेड्डी वर्तमान में राज्य सभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1972 से 1978 तक और वर्ष 2009 से 2010 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। डॉ. रेड्डी बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के क्रमशः बपाटला, नरसरावपेट और विशाखापट्टनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। एक उत्कृष्ट सांसद, डॉ. रेड्डी ने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य के रूप में क्रमशः वर्ष 1978 से 1984 और 1989 से 1994 तक कार्य किया और वे वर्ष 1990 से 1992 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। डॉ. रेड्डी ने कई देशों का दौरा किया और वे वर्ष 1993 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के वे नेता थे तथा उन्होंने वर्ष 1990 में लंदन में आयोजित रॉयल एग्रीकल्चरल एग्जिबिशन में कृषक शिष्टमंडल का नेतृत्व भी किया। डॉ. एन. जनार्दन रेड्डी का निधन 9 मई 2014 को हैदराबाद में 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री मदन तिवारी छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो अभी छत्तीसगढ़ का एरिया है। श्री तिवारी वर्ष 1962 से 1972 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता श्री तिवारी ने दलितों, पिछड़ों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। वे विभिन्न श्रमिक कल्याण संगठनों में विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे।

श्री मदन तिवारी का निधन 14 मई, 2014 को नागपुर, महाराष्ट्र में 91 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री जयराम आई.एम. शेट्टी बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शेट्टी ने बारहवीं लोक सभा के दौरान शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री शेट्टी 1994 से 1998 तक कर्नाटक विधान सभा के भी सदस्य थे।

श्री जयराम शेट्टी का निधन 63 वर्ष की आयु में 15 मई, 2014 को बेंगलुरू, कर्नाटक में हुआ।

श्री आर. उमानाथ तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के पुदुक्कोट्टायी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री उमानाथ ने तीसरी लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों संबंधी समिति और चौथी लोक सभा के दौरान नियम समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री आर. उमानाथ का निधन 93 वर्ष की आयु में 21 मई, 2014 को तिरूचिरापल्ली में हुआ।

श्री तपन सिकदर बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के दम-दम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिकदर बारहवीं लोक सभा के दौरान विदेशी मामलों संबंधी समिति और वित्त समिति के सदस्य रहे। एक कुशल प्रशासक, श्री सिकदर ने तेरहवीं लोक सभा के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन और उर्वरक, लघु उद्योग और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री सिकदर का निधन 2 जून, 2014 को नयी दिल्ली में 69 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने साथियों के दुःखद निधन का गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सांत्वना व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यों, एक दुःखद दुर्घटना में, दिनांक 8 जून, 2014 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में थालौट गांव के निकट व्यास नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्रों के डूबने

की सूचना है। ये युवा छात्र इंजीनियरिंग के छात्र थे एवं देश के भविष्य की आशा थे। उनकी असामयिक मृत्यु से वास्तव में देश का युवा भविष्य पर बहुत आघात हुआ है।

यह सभा इस दुर्घटना, जिसके कारण शोक-संतप्त परिवारों को कष्ट और पीड़ा पहुंची है, और हम सभी को, सभी देश के नागरिकों को भी बहुत पीड़ा पहुंची है, इस पर अपना गहन दु:ख व्यक्त करती है। जो घायल हैं, उन के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार की भी हम कामना करते हैं क्योंकि वह भी इस देश का भविष्य है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.12$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(i) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 13/16/14]

(iii) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 14/16/14]

(iv) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2014 जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(v) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 15/16/14]

पूर्वाह्न 11.14 बजे

[अनुवाद]

(एक) कृषि संबंधी समिति

59वें से 61वां प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा)

महासचिव: मैं निम्नलिखित समितियों के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(क) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फसलों की कृषि – संभावनाएं एवं प्रभाव' के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन*।

(ख) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारण' के बारे में 60वां प्रतिवेदन*।

(ग) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – एक मूल्यांकन' के बारे में 61वां प्रतिवेदन*।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति

46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)

'प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन' विषय पर 46वां प्रतिवेदन*।

(तीन) श्रम संबंधी समिति

44वें से 46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)

(क) 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2013' के बारे में 44वां प्रतिवेदन*।

(ख) 'फिरोजाबाद के कांच और कंगन कर्मकारों का कल्याण – एक मामला अध्ययन' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन*।

(ग) 'मउ और निकटवर्ती क्षेत्रों के लघु बुनकरों का कल्याण– एक मामला अध्ययन' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन*।

(चार) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

14वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)

समिति द्वारा अपने 8वें, 10वें और 11वें प्रतिवेदनों (15वीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(पांच) शहरी विकास संबंधी समिति

31वां प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा)

'दिल्ली में वहनीय घरों के विशेष संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में उसकी भूमिका तथा उससे संबंधित मामला' विषय पर 31वां प्रतिवेदन।

---

*प्रतिवेदन, लोकसभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 15 मार्च, 2014 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष (15वीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया

*प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 22 अप्रैल, 2014 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष (15वीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें, आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) मुम्बई में ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्लेटफार्म और कोचों के बीच अन्तर को कम करने तथा अन्य सुरक्षात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुम्बई उत्तर-पूर्व में प्लेटफार्म और डिब्बों के बीच अत्यधिक अन्तर के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हाल ही में इस कारण दो दुर्घटनाएं घटित हुईं जिनमें एक लड़की अपना हाथ और एक अन्य लड़की अपना पैर गवां बैठी है। अत: मैं सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में रेलवे की कार्य योजना के बारे में जानना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अंतर को कम किया जाए और चारों प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाई जाए।

(दो) देश के विभिन्न भागों में बलात्कार और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिये कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अमानवीय अत्याचार सिविल

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

सोसाइटी पर धब्बा है। उत्तर प्रदेश के बुदायूं क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लड़कियों का बलात्कार और लटका कर की गई उनकी हत्या ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा के हिसार जिले में सामूहिक बलात्कार की पीड़ितएं न्याय के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रही हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये उचित कदम उठाएं।

(तीन) जम्मू-कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में मोबाइल दूर संचार उपस्कर की क्षमता का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख): लेह और कारगिल दोनों जिलों में मोबाइल उपस्कर की क्षमता पूरी हो चुकी है। मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 1 लाख से अधिक है, जबकि मोबाइल उपस्कर की क्षमता केवल 80,000 है, जिससे लद्दाख क्षेत्र में मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। इस समस्या को दूर करने के लिए विद्यमान सेवा क्षेत्र में एम.एस.सी., बी.एस.सी. और बी.टी.एस. टावरों जैसे अधिक मोबाइल उपस्करों की आवश्यकता है। दूसरा, लेह-श्रीनगर दूरसंचार पारेषण लाइन उपस्कर की क्षमता भी पूरी हो चुकी है, जिससे मोबाइल और ब्रॉडबैण्ड सेवा की गुणवत्ता में कमी आई है। पारेषण लाइन उपस्कर क्षमता को उच्च क्षमता के उपस्कर जैसे डी.डब्ल्यू.डी.एम. से तत्काल उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। तीसरी, लेह और कारगिल शहर में कई मोबाइल बी.टी.एस. टावरों की क्षमता पूरी हो गयी है, जिससे अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या उत्पन्न हो गयी है। लेह और कारगिल शहरों में अत्यधिक मोबाइल ट्रैफिक गतिविधि की समस्या को दूर करने के लिए अधिक टावरों की आवश्यकता है। चौथा, लद्दाख क्षेत्र में जी.पी.आर.एस. सेवा बहुत कमजोर है। जी.पी.आर.एस. क्षमता को बढ़ाकर जी.पी.आर.एस. सेवा को उन्नत करने की आवश्यकता है। अंत में, लगभग 117 ग्रामीण बस्तियों में इस समय दूरसंचार का कोई साधन नहीं है। चूंकि इन 117 बस्तियों में दूरसंचार की अन्य तकनीक जैसे लैण्डलाइन, मोबाइल, डब्ल्यू.एल.एल., इत्यादि नहीं है, अत: यू.एस.ओ. निधि के तहत डी.एस.पी.टी. दिया जाना चाहिए। मैं माननीय दूरसंचार मंत्री से समस्या के शीघ्र समाधान के लिए मामले पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं।

(चार) देश में सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान उस राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। जिन मूलभूत तत्वों के आधार पर कोई देश राष्ट्र कहलाता है उनमें उस राष्ट्र के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उसकी भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय व पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे महापुरुषों ने लोक व्यवहार व शिक्षा कार्य में देश की भाषा को अपनाने पर बल दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मत था कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हिन्दी मात्र एक भाषा नहीं अपितु समस्त भारतीयों की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। आज भारत के साथ-साथ समूचे विश्व में हिन्दी के प्रति लोक का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार से मेरी प्रार्थना है कि देश के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं क्योंकि इसके द्वारा देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(पांच) संथाल परगना के सभी नक्सल प्रभावित जिलों को एकीकृत कार्य योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): संथाक परगना के छह जिले– दुमका, गोड्डा, देवघर, जमतारा, पाकुर और साहबगंज उपेक्षा के कारण बहुत पिछड़े हुए हैं। मूलभूत अवसरंचना (रेल/सड़क, वायु) के विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं, उद्योग, जल प्रबंधन, कृषि उद्योग हेतु अधिक स्वचलन, बेहतर संचार सुविधाएं और रोजगारोन्मुख शिक्षा हेतु अच्छे एवं समान अवसर पर विशेष बल के साथ एक समावेशी एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) को अत्यन्त महत्व प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित है। नि:संदेह, नक्सलवाद का बढ़ना झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के लोगों में निराशा और विमुखता की भावना का संकेत है, जिन्हें न केवल क्रमिक रूप से अलग-थलग कर दिया गया बल्कि उनका शोषण

भी किया गया और लोगों को उनकी अपनी ही मातृभूमि से हटा दिया गया।

हाल ही में, पाकुर में एक सिस्टर की हत्या और पाकुर के पुलिस अधीक्षक की हत्या तथा दुमका में जामा थाना के पुलिस निरीक्षक की हत्या, सभी नक्सलियों के कार्य हैं। अत:, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल और ईमानदारीपूर्वक उपाय करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, संथाल परगना के सभी छह जिले (दुमका, गोड्डा, देवघर, जमतारा, पाकुर और साहेबगंज), नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित है उन्हें एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) में शामिल किया जाना चाहिए।

(छह) झारखंड में सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण विस्थापित लोगों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): भारत सरकार के उपक्रमों सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. एवं बोकारो स्टील प्लांट आदि जो झारखंड राज्य में स्थित हैं, इनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् धरती पुत्र दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें न तो नौकरी दी जा रही है और न ही इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है। यहां तक कि इन्हें विस्थापन का पर्चा/प्रमाण-पत्र भी नहीं दिए जा रहे हैं। इससे संबंधित सरकार द्वारा विस्थापन पर नियम तो बने हैं, परन्तु इसका सही अनुपालन इन उपक्रमों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही उन उपक्रमों एवं विस्थापितों के हित में है। विस्थापित एवं ग्रामीण आए दिन आंदोलन कर रहे हैं जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भय से ग्रामीण नई परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं देना चाहते हैं। इस कारण से राज्य में नए उद्योग लगाने एवं इन्हीं उपक्रमों को अपने कार्य विस्तार के लिए जनता का पारस्परिक सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है जिससे राज्य में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं।

अत: मेरी मांग है कि उक्त उपक्रमों को जनहित में विस्थपित-पूर्ण दर्शन के नियमानुसार कार्य करने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(सात) कोरबा-रायपुर इंटरसिटी ट्रेन सेवा को पुन: शुरू किए जाने तथा छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अकलतारा और सक्ति रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों को ठहराव प्रदान किए जाने तथा इस निर्वाचन क्षेत्र में ऊपरि पुलों और समपारों के निर्माणकार्य में तेजी लाने की आवश्यकता

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चांपा): पूर्व सरकार द्वारा बिना रेल बजट में पारित हुए कोरबा से रायपुर इंटरसिटी का परिचालन चुनाव के ठीक एक महीना पहले प्रारंभ किया गया था, तीसरे महीने की समाप्ति पर इसका परिचालन बंद हो गया है। इसी प्रकार जनशताब्दी, साउथ बिहार, हीराकुंड एवं गोंडवाना का ठहराव क्रमश: अकलतरा, बड़ाद्वार एवं सक्ती स्टेशनों में बंद होने की जानकारी से क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश है।

चांपा ओवर ब्रिज निर्माण शुरू करते ही बंद कर दिया गया। खोखसा समपार की निर्माण की अवधि छ: माह की अवधि बीत जाने के बाद भी इसे प्रारंभ नहीं किया गया। अकलतरा ओवर ब्रिज पिछले 14 वर्षों से पूरा नहीं हो पाया है।

मेरी मांग है कि वर्तमान में दी जा रही ठहराव एवं इंटरसिटी परिचालन यथावत जारी रखा जाए तथा ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ एवं पूर्ण किया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

साध्वी निरंजन ज्योति (फतेहपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मेरे संज्ञान में आया है कि जनपद फतेहपुर उ.प्र. में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कें काफी समय से अधूरी पड़ी हुई है जिससे सम्मानित ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जनपद की सभी सड़कों का निर्माण मानक के अनुसार तुरन्त कराने की आवश्यकता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कृपया जनपद फतेहपुर उ.प्र. में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सभी अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराने के आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(नौ) झारखंड धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि झारखण्ड के धनबाद जिले में स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, पूरे एशिया का करीब 90 वर्ष से माइनिंग इंजिनियरिंग का शैक्षणिक प्रतिष्ठान रहा है। इस प्रतिष्ठान में कई फैकल्टी की पढ़ाई होती हैं यह विद्यालय आई.आई.टी. का आर्हता रखता है और वहां के शिक्षक तथा विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी कई वर्षों से आई.आई.टी. बनाने हेतु आंदोलन करते रहे हैं। झारखण्ड सरकार भी लगातार इस प्रश्न को उठाती रही है। मैं भी पिछले पांच वर्षों से आई.एस.एम. को आई.आई.टी. का दर्जा दिलाने हेतु पूर्व की सरकार से मांग करता रहा हूं।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आई.आई.टी. का दर्जा दिया जाए।

(दस) असम में लंबित रेल और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): असम के तीन जिले कचर, करीमगंज और हैलाकांडी निम्नलिखित परियोजनाओं में देरी के कारण अभी भी स्थलरुद्ध हैं:

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत सिल्चर– लुम्डिंग रेलवे लाइन का ब्रॉड गेज में बदलने की राष्ट्रीय परियोजना 18 वर्षों से लंबित है। आगामी बजट में इस परियोजना हेतु पर्याप्त मौद्रिक प्रावधान की आवश्यकता है, ताकि इसे मार्च, 2015 में पूरा करने का लक्ष्य हासिल हो सके। चूंकि दीमा हसावो जिला में हरंग्जाओ से बालचेरा तक 31 किमी. का क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित है, अत: राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और पर्यावरण और वन मंत्री से पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव के कारण सौराष्ट्र से सिल्चर तक पूर्व-पश्चिम गलियारों में भी विलंब हो रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेघालय में मालीडोर से जोवाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 की मरम्मत किए जाने की जरूरत है और असम के सिल्चर में ए.टी.आर. सेवाओं को जारी रखने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को राज सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

(ग्यारह) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लीनिक्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात्, चामराजनगर जिले (कर्नाटक राज्य) में ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक्स की स्वीकृति दिए जाने की ओर दिलाना चाहूंगा।

मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने 141 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के हित में भारत में लगभग 199 नए पॉलिक्लिनिक (उनमें से आठ कर्नाटक में) स्वीकृत किये है। परन्तु, मुझे यह सूचित करते हुए दु:ख है कि उपर्युक्त अनुमोदित सूची में चामराजनगर जिले को शामिल नहीं किया गया है।

चामराजनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक "आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र" है और "क्षेत्रीय असंतुलन" के समाधान संबंधी नन्जुन्डप्पा समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह कर्नाटक के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में से एक है तथा राज्य के मानव संसाधन विकास सूचकांक में इसका 25वां स्थान है। इस जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की जनसंख्या लगभग 40% है। भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या में भी काफी संख्या में गरीब और पिछड़े लोग हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर जिले में 4 तालुका हैं और इस जिले में, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पर्याप्त जनसंख्या है। वर्तमान में निकटतम ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक जिले की सीमाओं से 100 किमी. की दूरी पर स्थित है। इसीलिए, वे लोग दूर स्थित जगह पर जाने में लगने वाले यात्री व्यय के कारण ई.सी.एच.एस. सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हित में अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् चामराजनगर जिला मुख्यालय (कर्नाटक राज्य) में ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक को स्वीकृत करें।

(बारह) तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सभी तालुकों में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. परशुरमन (तंजावुर): फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स वह स्थान हैं, जहां उद्यमी अथवा उत्पादक अपने उत्पादों को लाते हैं और उनको प्रसंस्कृत तथा पैक करके बाजार तक पहुंचाते हैं। वह संभलाई की यह अवैज्ञानिक पद्धति खाद्यान्नों की बर्बादी से बचाने में मदद करती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग के लिए अधिक खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं।

यद्यपि, प्रसंस्करण सुविधाएं न होने के कारण उत्पादक अपने-अपने उत्पादों का प्रसंस्करण और संरक्षण करने हेतु पहल करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं और उन्हें अपने खेत से अपने उत्पादों को प्रसंस्करण सुविधाओं तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, प्रत्येक तालुक में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तालुका स्तर पर, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर पर कच्चे और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए शुष्क और शीत ग्रहों, प्राथमिक और मूल्य वर्धित प्रसंस्करण पैकिंग, कार्यालय और तकनीकी सहायता, आदि जैसी सुविधाएं होंगी।

तंजावुर जिला राज्य में चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को तमिलनाडु का धान बहुत क्षेत्र कहा जाता है। चावल के अतिरिक्त, यहां भारी मात्रा में सब्जियां और अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इनक्यूबेशन सेंटर्स की अनुपलब्धता के कारण खाद्यान्नों की बर्बादी हो रही है। अतः, जिले के सभी ग्यारह तालुकों अर्थात् तंजावुर, तिरुवैयाड, बुडालुर, नीदमंगलम, मन्नारगुडी, पीरावुरानी, सेतु बवाचतरम, पत्तुककडत्ताई, मुडाक्कुर, तिरुवोणम, ओराथांडु में इनक्यूबेशन सेंटर्स की तत्काल स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इन सेंटर्स से प्रत्येक तालुका में लगभग 1000 किसानों को प्रत्यक्ष रूप से और 5000 अन्य किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से यह नम्र निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सभी ग्यारह तालुकों में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स की शीघ्र स्थापना करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और इस संबंध में पर्याप्त निधियां भी स्वीकृत की जाएं।

(तेरह) ऋणगस्त पश्चिम बंगाल द्वारा किए जाने वाले ब्याज के भुगतान को स्थगित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दमदम): वाम मोर्चा सरकार द्वारा 34 वर्षों तक शासन किए जाने के बाद मई, 2011 में पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार सत्ता में आई। वाम मोर्चा सरकार ने राज्य के ऊपर कुल दो लाख तीन हजार करोड़ रुपये का बकाया ऋण छोड़ा था। वर्तमान सरकार को मूल और ब्याज के रूप में वर्तमान वर्ष में अट्ठाईस हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

केन्द्र सरकार राज्य को दी जाने वाली धनराशि में से मासिक आधार पर इस धनराशि की प्रत्यक्ष तौर पर कटौती कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और विकास संबंधी व्यय को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने तीन वर्षों के लिए ब्याज के भुगतान पर स्थगन लगाने की मांग की है। परन्तु, पूर्व संप्रग सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया था। पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा ऋण ग्रस्त राज्य है। मेरी मांग है कि लोगों के हितों और राष्ट्रीय एकीकरण को देखते हुए केरल और पंजाब के साथ-साथ पश्चिम बंगाल को भी हम स्थगन का लाभ दिया जाए। नई संप्रग सरकार द्वारा यह एक स्वागत योग्य कदम होगा।

(चौदह) पारादीप पत्तन में ठेके पर रखे गए डिग्री तथा डिप्लोमा इंजीनियरों को बहाल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): मैं यह कहना चाहता हूं कि पारादीप पत्तन न्यास ने समाचार पत्रों, वेबसाइट पर खुले विज्ञापन और पारादीप पत्तन के राजपत्र के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पर्यवेक्षकों और स्थल इंजीनियरों की भर्ती की। भर्ती प्रक्रिया में, पात्रता के सभी मानदंडों अर्थात् योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण, नियम, साक्षात्कार में निष्पादन, आदि को ध्यान में रखा गया था। पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों ने अनुबंध आधार पर पारादीप पत्तन के संबंधित विभागों में 2008 में अपना कार्यभार संभाला और तब से वह पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। यद्यपि, सितम्बर, 1011 में पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण ने बिना कोई कारण बताए या कोई पूर्ण सूचना दिए बिना डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरों को क्षेत्र में काम करने से अचानक रोक दिया। पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण के निर्णय से हतोत्साहित होकर, पीड़ित अनुबंधित डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरों ने ओडिशा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि नियमित आधार पर उक्त पदों को भरे जाने तक सभी याचिकाकर्त्ताओं को पहले की तरह अपने-अपने पदों पर कार्य करते रहने की अनुमति है। यह पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। तथापि, पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी और उस दलील के आधार उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और इसके परिणामस्वरूप उक्त अनुबंधित इंजीनियरों की दयनीय स्थिति और बदतर हो गई।

यह चिंता का विषय है कि अनुबंधित इंजीनियरों ने पारादीप पत्तन में विज्ञापन किए गए पदों पर भर्ती होने के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त, 2008 में अनुबंध आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात्, उनमें लगभग सभी लोग अब अपनी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं जोकि राज्य या केन्द्र सरकार या सरकारी उपक्रमों में भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त है। इस प्रकार वे सभी पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण के ऐसे कदम के कारण बेरोजगार हो जाएंगे।

अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान दें और 2008 में पारादीप पत्तन में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किए गए अनुबंधित और डिप्लोमा इंजीनियरों को पुन: बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि उक्त अनुबंधित डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरों के करियर और आजीविका तथा उनके परिवार की रक्षा की जा सके और साथ ही पारादीप पत्तन पर विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्य को भी गति प्रदान की जा सके।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में असमय वर्षा से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद): महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में बेमौसमी बारिश के कारण किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को शीघ्र ही पंचनामा कर मुआवजा देने का आदेश करें। उस्मानाबाद जिला में इस काम में देरी का कारण राज्य सरकार से तहकीकात करें।

(सोलह) केरल के कासरगौड जिले तथा राज्य के अन्य हिस्सों में एंडोसल्फान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा उपचार के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड): केरल विशेषकर कासरगौड जिले में एंडोसल्फान– एक जहरीले रासायनिक कीटनाशक, ने अनेक समस्याएं पैदा की हैं। इसने कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। काजू उत्पादन में एंडोसल्फान के लगातार उपयोग ने पर्यावरण और मनुष्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई है और हजारों लोग विभिन्न अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं। केरल सरकार और जिला पंचायतों ने पीड़ितों के उपचार हेतु कुछ आर्थिक मदद दी है। परन्तु इस भारी जिम्मेदारी को अकेले उठाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। केरल सरकार पहले दी 475 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध कर चुकी है। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। रोगियों और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी आत्महत्या करने की खबरें मिली हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से एंडोसल्फान से प्रभावित लोगों के पुर्नवास और चिकित्सकीय उपचार हेतु एक विशेष आर्थिक पैकेज की स्वीकृति के लिए अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): मेरे संसदीय क्षेत्र बांका मुख्यालय में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालय का अस्तित्व खतरे में है। बिहार सरकार द्वारा 10 सालों से विद्यालय हेतु जमीन आवंटित नहीं की गयी है जिसके कारण छात्रों की प्रथम एवं द्वितीय सत्र की पढ़ाई बंद हो गई है। मैं उक्त विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं एवं आग्रह है कि इस विषय में जरूरी कदम शीघ्र उठाए जाएं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम महासचिव द्वारा पुकारे जाएंगे।

महासचिव: श्री शिबू सोरेन।

श्री शिबू सोरेन (दुमका)–शपथ–हिन्दी

पूर्वाह्न 11.18 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद–प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं. 6 राष्ट्रपति के अभिभाषण

पर धन्यवाद–प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री राजीव प्रताप रूडी प्रस्ताव पेश करेंगे और अपनी बात रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:–

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 9 जून, 2014 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी सरकार की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस पूरे नये सदन का अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और इस विश्वास के साथ, कि हम सब अगले पांच वर्षों तक इस सदन में बैठ करके देश के निर्माण में काम करेंगे।

मैं देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। 16वीं लोक सभा के प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हम सब अभिनंदन करते हैं। भारत देश के छः लाख गांव, चार सौ शहर मिल करके इस लोकतंत्र को जिन्दा करने के लिए इस बार मत डाल चुके हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है, हमने यहां से शुरुआत की है। साथ-साथ हम लोगों ने यह भी कहा है कि सब को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन यह कैसे संभव हुआ, एक व्यक्ति, आज हमारे बीच में सबसे पहली पंक्ति में बैठा है और उसके साथ तमाम लोग पहली पंक्ति से बैठ करके अंतिम पंक्ति तक बैठे हैं। तीन लाख किलोमीटर किसी व्यक्ति ने यात्रा की, यदि धरती पर उस व्यक्ति को यात्रा करनी होती तो धरती पर सात बार घूमता, तो सात लाख किलोमीटर का दौरा पूरा होता। 440 रैलियां, छोटी रैलियों की चर्चा मत कीजिए। लगभग 120 करोड़ लोगों में, 25 करोड़ लोगों से सीधा संवाद शायद दुनिया के इतिहास में ऐसी किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। ...*(व्यवधान)* आज यहां मुझे एक बात और याद आ रही है। ...*(व्यवधान)*

महोदया, मुझे एक बात और याद आ रही है। मुझे याद है कि 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के हवाई अड्डे पर ये आये और उस दिन बिहार में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जब वह व्यक्ति पटना हवाई अड्डे पर उतरा तो पटना के गांधी मैदान में उस व्यक्ति को देखने के लिए और सुनने के लिए लगभग 10 लाख लोग एकत्रित थे और उसी दौरान...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, प्लीज़। अगर बीच में कमेण्ट करना हो तो आपको बोलने का समय नहीं चाहिए क्या?

श्री राजीव प्रताप रूडी: देखिये, मैं बोलना जानता हूं कि मैं अगर इसके बाद में बोलूंगा तो फिर बड़ा कष्ट हो जायेगा। मैं अभी आया ही हूं, मैंने प्रवेश किया हूं।...*(व्यवधान)* उस दिन पटना हवाई अड्डे पर मैं और शाहनवाज़ हुसैन उस व्यक्ति को लेने गये। उस समय गांधी मैदान पटना में, जहां 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता थे, एक के बाद एक बम विस्फोट हो रहे थे और उस समय जो व्यक्ति गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे कहा, क्योंकि, इनके साथ बैठे हुए ऑफिसर कहने से कतरा रहे थे कि हर जगह टाइमर बम लगे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा समय बदल लीजिए, मार्ग में पता नहीं कि कहां-कहां बम लगे हुए हैं, शायद कोई दुर्घटना हो जाये। मैंने दो या तीन मिनट का विलम्ब कराया, उसके बाद मेरी सीमा से बाहर था, उन्होंने उठकर कहा कि मैं इन्तजार नहीं कर सकता हूं, चाहे परिणाम जो भी हो और बिना सुरक्षा के बिहार की धरती पर वे गांधी मैदान में पहुंच गये। वह शायद एक दिन था, जहां माननीय राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी और आज देश के प्रधानमंत्री उस मंच पर थे, अगर वह आठवां बम फूट गया होता तो शायद यह देश इस दृश्य को नहीं देखता, जो हम आज देखना चाहते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि देश में किसी प्रान्त में किसी व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत हो, शायद हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज नियति ने, देश ने और देश के लोगों ने तय किया कि वह व्यक्ति देश की सबसे अगली कुर्सी पर बैठेगा और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बैठेगा।...*(व्यवधान)* लेकिन ये जो लोग हमारे सामने शोर मचा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जरा इनके ऊपर मैं आता हूं और यह मेंडेट...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है और आप यह अच्छे से जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं उस मेंडेट पर आता हूं, ये कांग्रेस के हमारे मित्र यहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट यह सही तरीका नहीं है। कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: ये हमारे कांग्रेस के मित्र यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपकी भी बारी आयेगी। वह बोल रहे हैं और उन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

मौहम्मद सलीम जी, यह तरीका नहीं है। सुनिये प्लीज़। एक मिनट, प्लीज़। यहां बहुत सारे नये सदस्य हैं, सलीम जी, कुछ दिन बाद आये हैं फिर भी परम्परा मत भूलिये। जब यहां स्पीकर कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं...

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले तो आपको बैठना होगा।... *(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि वे बोल रहे हैं, आप सब को भी बोलने का मौका मिलना है, कुछ भी बोलना आप भी जानते हो, सब अच्छे वक्ता हो। थोड़ी प्रस्तावना होती है, उसको सहन करो। प्लीज़, ऐसा इण्टरप्शन अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे सबजैक्ट पर ही बोल रहे हैं। खरगे जी, प्लीज़।

श्री राजीव प्रताप रूडी: थोड़ा एक बार इस पूरे मेंडेट का विश्लेषण किया जाये।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप भी सीनियर हैं, यह अच्छा नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अब मेंडेट का विश्लेषण किया जाये। कांग्रेस पार्टी, जो इस देश में पिछले 65 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक शासन करती रही है, इन लोगों ने 464 उम्मीदवार दिये और इनकी संख्या आज सदन में 44 है और वह घटकर 28 प्रतिशत से 19 प्रतिशत पर चले आये। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 428...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट काकोली जी, सबको बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: भारतीय जनता पार्टी ने 428 उम्मीदवार दिए और आज इस देश में अकेली ताकत पर 282 की संख्या सदन में बैठी है। क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है? बहुत से राज्यों में हम थे और हम और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय एक है जो शायद इन्हें अब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।

पश्चिम बंगाल, जहां के ये हमारे मित्र हैं और इनकी मुख्यमंत्री हमारी बहन की तरह हैं, लेकिन आज इनको शाम को डांट पड़ेगी, क्योंकि ये राजीव प्रताप रूडी को तंग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि आप क्यों परेशान हैं?...*(व्यवधान)* महोदया, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत 6.14 था और आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दस प्रतिशत बढ़ाकर 16.8 प्रतिशत पर है। असम में हम थे, वहां 16 से हम 32 परसेंट पर पहुंचे, लेकिन तमिलनाडु में जहां 6.4 प्रतिशत थे, आज बढ़कर 10.4 प्रतिशत है और हम बढ़ रहे हैं। महोदया, सीटें नहीं आयीं, लेकिन इस देश में कुछ संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मत पूछिए, 17 प्रतिशत पर थे, आज हम 42 प्रतिशत पर आए हैं। यह क्यों हुआ? मैं लालू यादव जी से चुनाव हारने के बाद राज्य सभा में था। उसके पश्चात् मैं सदन में उठकर हर बार कहता था कि उत्तर प्रदेश में यह क्या है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और दिल्ली में यू.पी.ए. की सरकार को चलाने के लिए एक साथ बैठे हैं। देश की जनता सब देख रही थी। जो हम नहीं कर सके, देश की जनता ने इन तीनों को वह सबक सिखा दिया। ये पूरा का पूरा सबक सीख गये, उत्तर प्रदेश में आज एक परिवार के कुछ सदस्य बने हैं और एक पार्टी का तो पता ही नहीं चला कि वह कहां चली गयी? वे विरोध के लिए भी सदन में नहीं आ पाये। कुछ लोग हैं, जिन्हें आना चाहिए, वे आये, ठीक है। ...*(व्यवधान)* हम क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यह कल्पना देश में कभी नहीं थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इस सदन में स्वागत करना पड़े, ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, इस देश में इस बात का मतदान देखिये, 66 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि। मतदाताओं की संख्या जहां 80 करोड़ पहुंची...*(व्यवधान)* चलिए अगर आप सब लोगों को यह सुनने में, जो देश के लोग सुनना चाहते थे, ये सब विषय इन्हें मंजूर नहीं हैं कि इन्हें कोई विश्लेषण सुनना है, इसलिए मैं विश्लेषण छोड़ देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपको आंकड़े पसंद नहीं हैं, वैसे भी आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन यह मैनडेट किसलिए है? *...(व्यवधान)* मुझे याद है, सुषमा स्वराज जी यहां बैठी हैं, प्रतिपक्ष की नेता...*(व्यवधान)* संविधान में प्रावधान है कि प्रतिपक्ष का नेता तय करता है, बैठकर सम्मान करता है कि सी.वी.सी. की नियुक्ति हो, सी.बी.आई. डायरेक्टर की नियुक्ति हो,...*(व्यवधान)* लोकपाल की नियुक्ति हो, इसमें प्रतिपक्ष का नेता अपनी सहमति या असहमति देता है। वह दूसरी बात है कि कांग्रेस, यू.पी.ए. की सरकार को सुषमा जी कुछ लिखती थीं, प्रधानमंत्री जी उसे काटकर के अपनी मन की कर देते थे, फिर उच्चतम न्यायालय से काटा जाता था। मुझे तो संकट इस बात का दिख रहा है कि संविधान में हम अगर विमर्श भी करना चाहें, संवैधानिक अप्वाइंटमेंट्स के लिए तो किससे करें, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। हम आपके सुझाव लेंगे, हम आपको बुलायेंगे, जो भी प्रक्रिया है सभी सांसदों के साथ और आप सबको साथ लेकर चलेंगे। आप शोर मत मचायें, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेकर चलेंगे, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है।...*(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, उनका बड़ा दिल है और वे हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना...*(व्यवधान)* हम सब आपका सुझाव लेंगे,...*(व्यवधान)* सोनिया जी, आप भी कुछ कहेंगी तो हम जरूर सुनेंगे, मुलायम सिंह जी, आप भी कुछ कहेंगे तो जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेकर आयेंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमारे बाल्टी छोटी थी, मत तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए और भी ज्यादा था, हमारी बाल्टी छोटी थी। अगली बार वर्ष 2019 के चुनाव में हमारी बाल्टी और भी बड़ी होगी और हमारा वोट और भी ज्यादा होगा। महोदय, आखिर, इस वक्त हम लोग उन लोगों को क्यों न याद करें, जिन्होंने हमें इस सदन में इतनी बड़ी जीत दी है– इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लाखों-करोड़ों कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी इकाइयों के कार्यकर्ता, आई.टी. सेल, तमाम मीडिया सेल के लोग और वैसे लोग जिनकी पहचान इस देश में मेम्बरशीप पर नहीं होती है अगर इस देश में कहीं भी नारा सुनाई दे – भारत माता की जय तो समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का वह व्यक्ति वहां खड़ा है।...*(व्यवधान)* हम उनकी पहचान करते हैं, जो आज तक कभी भी अपने-आप को आगे नहीं रखते हैं, वैसे शुभचिंतक लोगों का स्नेह हमारे साथ हैं। जो 57,000 गांवों में हैं, जो सेवा कार्यकर्ता करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम भविष्य के बारे में कैसे बता सकते हैं। सुप्रसिद्ध व्यक्ति एलन के. ने कहा है: "भविष्य के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका इसकी खोज करना है।" भविष्य हमारा कैसा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने श्री नरेन्द्र मोदी को खोजा है और वह हमारा भविष्य हैं।

महोदय, आखिर यह पूरा मैंडेट क्यों था, विश्वास के लिए। लोगों में ऐस्पिरैशन तो होंगे। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, वह बड़े पद पर जाना चाहता है। *[अनुवाद]* यह आशा के बारे में है। श्री हुड्डा यह पूरी तरह से आशा के बारे में है। *[हिन्दी]* *...(व्यवधान)* हमारे प्रति लोगों का क्या विश्वास था। *...(व्यवधान)[अनुवाद]* यह पूरी तरह से आशा के बारे में है। *...(व्यवधान) [हिन्दी]* होप क्या था? साधारण गरीब का होप था कि हमें दो जून की रोटी मिले, उनका विश्वास नरेन्द्र मोदी जी के प्रति था। एक मां जो गर्भवती है, उसका विश्वास यह था कि जब मैं होश में आऊं तो मेरा बच्चा मेरा हाथ में जीवित मिले और उसे वह छाती से लगा कर दूध पिला सके। एक मां ही यह उम्मीद थी। इस देश में नौजवानों को क्या उम्मीद है? उन्हें रोजगार चाहिए। बदायूं की घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में क्या उम्मीद है? उन्हें उम्मीद है कि अगर हम बाहर जा सकें तो कम से कम – शौच। मुझे याद है कि पटना के बगल में सारण संसदीय क्षेत्र है, मैं उसके बगल के एक गांव में गया। वहां महिला ने मुझसे कहा कि साहब, शौच की व्यवस्था नहीं है। अगर हम दूसरे की

धरती शौच के लिए उपयोग करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें मार कर भगा देते हैं। 65 वर्ष के बाद भी आज देश की यह स्थिति है। उसकी सोच है, उसकी भी एक उम्मीद है।

शहरी महिला सुरक्षा चाहती है। वे गैस के सिलेण्डर का दाम कम चाहती है। वे भी उम्मीद में बैठी हैं।...*(व्यवधान)* लोअर मिडल क्लास की उम्मीद है कि हम महंगाई से लड़ सकें जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है। मजदूर ने कहा कि हमें 30 दिनों की मजदूरी मिल जाए, सही वेतन मिल जाएं। बिजनसमैन को उम्मीद है कि इस देश में ऐसी व्यवस्था न हो कि कोई हमें टैक्स में तंग न करे, कोई पुलिसवाला तंग करे, हमें ऐसा वातावरण दो कि हम अपना उद्योग ठीक से चला सकें। अमीर आदमी सोचता है कि मैं और वेल्थ क्रिएट करूं, और बढ़ सकूं और इस देश के निर्माण में वेल्थ क्रिएट कर के सरकार को दे सकूं ताकि इस देश का निर्माण हो सके। हर किसी को उम्मीद है। पटना में तीन संसदीय क्षेत्र है, श्री शत्रुध्न सिन्हा जी, श्री राजीव प्रताप जी और पाटलिपुत्रा से श्री रामकृपाल यादव जी हैं। वहां 50,000 लोग हैं और आज एक अखिलपुर दियरा, जो गंगा नदी के बीच हैं, वहां 65 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं है। वहां के लोगों को उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आएगी, और बिजली पहुंचेगी। ...*(व्यवधान)* सब लोगों को उम्मीद है।

महोदय, अपने गाइड फिल्म वर्ष 1965 में देखी होगी। यह आर.के. नारायण की फिल्म थी। इसमें देवानंद थे। इस फिल्म में दिखाया गया कि जब अकाल पड़ गया तो वे स्वामी के रूप में बैठे थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहां बैठे हैं क्या आपको विश्वास है कि आपके यहां उपवास पर बैठने से बारिश हो जाएगी तो उस फिल्म में उन्होंने कहा था कि अगर इतने लोगों को विश्वास है कि बारिश होगी तो इन लोगों पर मेरा विश्वास है। आज इस देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट पर है, इसलिए हम विश्वास के साथ हम सदन में बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): सहयोगी दल भी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: गुजरात की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया है। हमें शांति पुरुष दिया है। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया है और सरदार पटेल दिया है। और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है और हमें उनमें पूरा विश्वास है। बिना मोह-माया का विकास पुरुष दिया है, फर्क यह है।...*(व्यवधान)* जिस विषय पर राष्ट्रपति जी ने कहा था, मैं उस पर आता हूं। हम गरीबी की चर्चा करते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)* गरीबी पर तो आ गए।...*(व्यवधान)* मेम साहब, साहब दोनों नहीं आए, आप काहे परेशान हैं।...*(व्यवधान)* मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, सब लोग सुनने की भी सामर्थ्य रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया जारी रखिए।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकेय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष, मुझे सदस्यों से एक छोटा सा अनुरोध करना है। कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से नहीं उठेगा और टिप्पणी करेगा।

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देखूंगी।

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: मेरा अनुरोध यह है कि इस तरफ के अथवा उस तरफ के सदस्य अपनी इच्छा से खड़े नहीं होंगे। यह सत्र का पहला दिन है। हम कामकाज कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.आई. शनवास (वयनाड): "उस तरफ" से आपका क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, सब सुनने की भी सामर्थ्य रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): महोदया, आप अध्यक्ष हैं। वह अध्यक्ष नहीं है आपको निर्देश देना चाहिए।...*(व्यवधान)* वह कुछ भी नहीं है।

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: मैं कुछ नहीं हूं। आप सब कुछ हैं और सभी इसे देख रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदया, मेरा अनुरोध यह है कि अध्यक्षपीठ को सदस्यों को परामर्श देना चाहिए कि वे केवल माननीय अध्यक्ष की अनुमति

से ही बोलें। यह मेरा अनुरोध है। ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, इस देश में हम लोगों ने देखा कि पहले वर्ष 2000 तक गरीबी की परिभाषा क्या थी।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मेरी रिक्वैस्ट है कि आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, आप क्यों खड़े हो गए हैं।

*...(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष: मैं बताऊंगी। आप मेरी बात मानिए तो सही।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम इस देश में गरीबों की चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आज जब हम गरीबों की चर्चा करने के लिए उठे हैं तो विपक्ष में ऐसे व्यक्ति जो...*(व्यवधान)* महोदय, इस देश में पहले एक परिभाषा थी कि जिस व्यक्ति को 17 रुपये शहरी क्षेत्र में और 15 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हों, वह गरीबी रेखा से ऊपर है। बाद में उसे परिभाषित करके योजना आयोग ने 27 रुपये और 322 रुपये किए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कैसे संभव है। लेनिक सच है कि इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। तेंदुलकर समिति ने कहा लगभग 70 करोड़, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने कहा लगभग 80 करोड़ और विश्व बैंक कहता है कि एक डालर 20 सैंट्स से कम में जीने वालों की संख्या इस देश में लगभग 75 करोड़ है। मुझे याद है जब मैं आज से 25 साल पहले विधायक था, उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। एक फरिदनपुर मठिया है। एक छोटी सी बच्ची थी चोटी बांधकर, सिर में तेल, खाली पांव। वह एक हाट में बाजार करने गई हुई थी। मैं बाजार में ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था। मैंने उस बच्ची को बुलाकर पूछा। मैंने उसकी झोली में झांककर देखा। मैंने पूछा, बेटा बताओ, इसमें क्या है। उसने भोजपुरी में बताया कि वह मछुवारे की बेटी है, उसके पिताजी बीमार हैं। मैंने कहा कि यह तुमने क्या खरीदा है। उसने ग्लाइकोडिन की शीशी निकाली। उसमें सरसों का तेल था। उसने कहा कि यह चार रुपये का है, लगभग 50 ग्राम। उसके बाद छोटी सी नमक की पोटली 50 ग्राम। उसने बाजार में खड़े होकर 10-15 आलू और कुछ तरकारी खरीदी। वह अपनी पोटली में 10 रुपये में सामान भरकर घर अपने मां-बाप के लिए ले जा रही थी। मैंने वह भी देखा है। यदि 65 वर्ष में लोगों को लगता है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है तो मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह देश 120 करोड़ लोगों के लिए पिछले 65 वर्ष से नहीं चल रहा था, यह देश मात्र 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोगों के लिए, 100 करोड़ लोगों को इस देश के लोकतंत्र में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं थी। यह देश हमारे और आपके जैसे लोग, ऊपर पत्रकारों के लिए, दर्शक दीर्घा और टेलीविजन देख रहे लोगों के लिए है। यह देश बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए नहीं चल रहा था, हमारे जैसे लोगों का यह मानना है। इसलिए गरीबी की एक बड़ी चुनौती है।

माननीय महोदय, राष्ट्रपति जी ने बिजली के बारे में कहा। हमारे पीयूष गोयल साहब यहां नहीं हैं। कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी। हम जिस देश में योजना बनाते हैं, 25, 65 साल से सरकार बना रहे हैं। एक बार पांच वर्ष की योजना बनती है। बड़े भारत महान्, पांच वर्ष में हम तय करते हैं कि 11वीं योजना में 72 हजार मेगावट बिजली। हम उसके बाद 65 हजार मेगावाट बनाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त कर गए। इस बार हमने 82 हजार मेगावाट रखा है। देश में 2 लाख 20 हजार मेगावाट की जरूरत है। कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी, तो दिल्ली के लोगों को कैसा लगा? इस सदन में अंधेरा हो जाये, तो कैसा लगेगा? आज इस देश में 400 मिलियन, लगभग 40 करोड़ लोगों के बीच में बिजली नहीं है और हम इसे लोकतंत्र में स्वीकार कर रहे हैं और बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर चीन की तुलना करें, तो चीन प्रत्येक वर्ष 1 लाख मेगावाट बिजली जोड़ता है और हम यहां अभी पांच वर्ष में 70 हजार मेगावाट की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ चुनौती है, शायद इसमें सबकी सहमति होगी।

जलवायु परिवर्तन की बात होती है – कलाइमेट चेंज का दो प्रतिशत। आज चीन हमारे साथ खड़ा है और कहता है कि पोल्यूटर्स विल पे, क्योंकि दो प्रतिशत जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज अमेरिका 20 टन उत्सर्जन करता है, रूस 10 टन उत्सर्जन करता है। दुनिया का एवरेज 7.2 है, जबकि भारत 1.2 टन उत्सर्जन करता है। लेकिन भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज पर बाइंडिंग कमिटमैंट कीजिए, चाहे बाली कन्वेंशन हो, या

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योटो-प्रोटोकॉल हो। हम जानते हैं कि चीन आज हमारे साथ खड़ा है। चीन अगले दस साल में कोयले का उपयोग करके बिजली का उपयोग कम्पलीट कर लेगा फिर भारत के साथ खड़ा हो जायेगा और भारत पर दबाव डालेगा कि आप अपने कल-कारखाने रोकिए। ...*(व्यवधान)* आप अपनी बिजली रोकिए और यह चुनौती है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: इसलिए आज हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, एक लक्ष्य के तहत अगले दस वर्षों में हमें इस देश की बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा। जो लक्ष्य स्थापित हुआ है चाहे अपारंपरिक स्रोत से हो, हाइडल से हो या कन्वेंशनल हो। इस देश की बिजली, जो इस विकास का नींव बन सकती है, उसे हमें पूरा करना होगा और यह सरकार का संकल्प है।

महोदय, इस देश में प्रत्येक माह दस लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं और टारगेट लगभग सवा करोड़ लोग हर वर्ष है। हम उदाहरण लें कि चीन ने गरीबी कैसे भगायी। उसने यह तय किया किा फॉर्म सैक्टर है, उसमें से लगभग 40 करोड़ लोगों को नॉन फॉर्म सैक्टर में पहुंचाया।...*(व्यवधान)* यह हम उदाहरण्पा के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, भारत में यह स्थिति यह है कि 12 करोड़ लोग...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: उस पर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : 12 करोड़ लोग सामान्य जीवन से वापस कृषि क्षेत्र में जाने की स्थिति में हैं और यह यू.पी.ए. सरकार की देन है। दुनिया भर में देखा गया है कि जहां लोग, अगर विकास और गरीबी से लड़ना हो, तो फॉर्म सैक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सैक्टर में जाते हैं, लेकिन पिछले दस वर्षों में भारत की ऐसी स्थिति हो गयी है कि 12 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सैक्टर से निकल कर फॉर्म सैक्टर में जाने के लिए तैयार हैं, यह स्थिति हमारे मित्रों ने उत्पन्न कर दी है।...*(व्यवधान)*

महोदय, आज ये सभी सांसद, पता नहीं आपके क्या हों, सभी सांसदों को नौकरी की उम्मीद है। छपरा में बैठा हुआ एक नौजवान, एक पिता मुझे इस समय देख रहा होगा और कह रहा होगा कि रूडी जी दिल्ली में जायेंगे, हम कहां से इतनी नौकरियों का उत्पादन कर दें? हम कैसे इतने लोगों को नौकरी दिला दें? गांव-गांव में सब समस्या भूल जाइये, अगर हम लोगों ने रोजगार की समस्या, आप सब सांसद हैं, लौटेंगे। सब चीजों को एक तरफ रख दीजिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए। सबके यहां इसी चीज की मार है। आप फलाने मंत्री जी को जानते हैं, आप राजनाथ सिंह जी को जानते हैं, आप रेल मंत्री जी को जानते हैं, तो चलकर हमारी नौकरी में बहाली करा दीजिए, घर-घर में यह मांग है। आखिर हम इसे कैसे करें? सी.आई.आई. की रिपोर्ट है। इस देश के उद्योगपति जो इस देश में निवेश करके यहां उद्योग लगा सकते हैं, वैसे उद्योगपतियों ने पिछले चार-पांच साल में अमेरिका में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। वे यहां से छोड़कर चले गये हैं। अमेरिका में रोजगार सृजित किया है। आप इस समय शोर मचा सकते हैं, लेकिन आपके भी क्षेत्र के लोग कहेंगे कि जब रूडी जी यह बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे थे, कल आपसे यह पूछेंगे। इसलिए मैं अब जो बात कहूंगा, वह आपकी भी बात कहूंगा...*(व्यवधान)* भाई साहब, आप क्यों परेशान हैं।...*(व्यवधान)* टाटा ने पिछले चार साले में 20 हजार रोजगार सृजित किया है। महिन्द्रा जैसी कम्पनी...*(व्यवधान)* और आप इनको छोड़ दीजिए. ..*(व्यवधान)* जिस दिन से गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, आप टाटा का नैनो प्लांट भी अपने यहां नहीं लगा पाये, पूरी दुनिया में जो संवाद गया, जिस दिन नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि गुजरात में यह प्लांट आ जाये और आप यहां बैठकर अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और शोच मचा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं और यहां पर...*(व्यवधान)* और उस दिन की तरह ही आज भी है।...*(व्यवधान)* आज देश में निवेश घटकर 31 मिलियन डालर हो गया है।...*(व्यवधान)* महोदया, मैं बड़ा संयम

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रख रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं 25 वर्षों से विधान सभा से ही सदन में रहा हूं। इन सबकी सीनियोरिटी मुझ से कम है।...*(व्यवधान)* इसके बाद मैं भी अलग बैठूंगा, इन लोगों को ध्यान रहे, इनसे मेरी आवाज़ कोई कमज़ोर नहीं है। तमाम लोगों को मैं यह कहना चाहूंगा। आप मेरे मित्र हैं, मेरी तारीफ करते हैं और आज आपको क्या हो गया है?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप लोग शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आप लोगों को क्या हो गया है? *...(व्यवधान)* बाहर क्यों तारीफ करेंगे, यहां भी कीजिए। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: श्री मोदी जी की पब्लिसिटी में कितना रुपया खर्च हुआ, यह बोलिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है *[अनुवाद]* यह सही तरीका नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, हम कई क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहा तथा राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि आज इस देश में 9 प्रतिशत जी.डी.पी. है। आज एक तरफ हम देखना चाहते हैं कि 26 करोड़ लोग पूरी दुनिया में टूरिज्म से जुड़े। हम इम्प्लायमेंट की बात कर रहे हैं। यह हमारी दिशा है और हमारी सोच है। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ज्यादा, माइनिंग से ज्यादा, कम्युनिकेशन से ज्यादा, यदि रोज़गार सृजन हो सकता है, तो वह टूरिज्म है महोदया। आज भारत में विदेश से आने वाले टूरिस्ट्स कितने हैं? यह मात्र 62 लाख है। सिंगापुर जैसे छोटे-से देश में इनकी संख्या सवा करोड़ है। मलेशिया में यह संख्या एक करोड़ है। आप उससे आगे बढ़कर देख लें। आप किसी भी देश को देख लें। चीन से तुलना करने में आप उखड़ जाते हैं। वहां यह संख्या पांच करोड़ है। यहां तक कि ताज़महल देखने वाले की संख्या 40 लाख है और ग्रेट वाल ऑफ चाइना को देखने वाले की संख्या सवा करोड़ है। भारत में ताज़महल है, जहां ऐसी विरासत हमें मिली हो, यदि इस ओर हम कुछ नहीं कर पाए और रोज़गार सृजित नहीं कर पाए, तो स्थिति क्या होगी? आज भी इस देश में 37 मिलियन लोगों को रोज़गार मात्र है, यदि हम अपने देश में टूरिज्म को ठीक कर लें, तो हम वहां पहुंचने की स्थिति में हैं। लेकिन इसे हम ठीक कैसे करेंगे? एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की। हर्षवर्धन जी यहां बैठे हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित जगह है। हम टूरिस्टों को कैसे बुलाएंगे? उसके बाद बदायूं से समाचार आता है। गरीब महिलाओं को पेड़ से टांग दिया जाता है। कैसे हम सुरक्षित करें?...*(व्यवधान)* यहां घटना होती है निर्भया की। हम पूरी दुनिया को कैसे संवाद देंगे कि यहां महिलाएं सुरक्षित हैं। टूरिज्म आप कहां से बना पाएंगे? सड़कों का निर्माण नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, हवाई जहांज नहीं होगा, सहूलियत नहीं होगी। थाईलैण्ड जैसे देश में भी यहां से तीगुने टूरिस्ट आते हैं। और पश्चिम बंगाल की जो हालत है, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करें।...*(व्यवधान)* हम कुछ बोल नहीं रहे हैं।

श्री कल्याण बनर्जी: पश्चिम बंगाल के बारे में बिहार के लोगों को सोचना होगा?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी जी, प्लीज शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मुझे याद है, शिक्षा के बारे में, यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो मत सुनिए। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मैं विधायक था और जब अपने गांव में घूमने गया, तो वहां एक प्राथमिक विद्यालय था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो भोजपुरी में कहा गया, महोदया, देहात में भोजपुरिए में बात करिला। भोजपुरी में स्कूल टीचर से मैंने बात करनी शुरू की। हमने कहा कि आपका क्लास रूम तो खचाखच भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, इधर आइए, आप कह रहे हैं कि क्लास रूम खचाखच भरा हुआ है। आप इधर आइए, हम आपको बताते हैं। आकूचक, आप ही के संसदीय क्षेत्र में है सिग्रीवाल साहब। उन्होंने कहा कि देखिए यह प्राथमिक स्कूल है, लेकिन जो पहले लाइन से दूसरा और तीसरा लाइन है, वह क्लास वन टू क्लास थ्री है। तीसरी लाइन से जो सातवीं लाइन तक है, वह क्लास थ्री टू क्लास फाईव है। सातवीं लाइन से नौवीं लाइन में जो बच्चे बैठे हैं, ये आठवीं और नौवीं क्लास के बच्चे हैं। ये है भारत की दुर्दशा। यह है भारत की स्थिति, जहां यह पढ़ाई हो रही है।...*(व्यवधान)* यह सच्चाई है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है।...*(व्यवधान)* छोड़ दीजिए,

शशि थरूर साहब मिले थे, पढ़े-लिखे हैं, जीतकर आए हैं। ...*(व्यवधान)* जो मेरी बात सुन रहे हैं, वे चुप हैं। जो बात समझने की स्थिति में नहीं हैं, वे बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदया, मैं क्या करूं। मेरी जो बात समझ रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वे चुप हैं और जिसे पता ही नहीं है कि देश कैसे चलाना है, वे बोल-बोलकर परेशान हैं।...*(व्यवधान)* आज इस देश में ...*(व्यवधान)* मेरे पुराने दोस्त हैं, राज्य सभा में रहे हैं। महोदया, हमारे भारत में 660 विश्वविद्यालय हैं।...*(व्यवधान)* 660 विश्वविद्यालय, जहां हम सब पढ़कर आए हैं, भारत का एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक हो। ऐसा एक भी विश्वविद्यालय हमारे पास इस देश में नहीं है। जब एशिया का सर्वेक्षण होता है, तो 300 विश्वविद्यालयों में से लगभग 17 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। हम कहां खड़े हैं? पिछले 65 वर्ष में हम एक भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम नहीं क्रिएट कर पाए हैं। हम भले अपनी पीठ थपथपाते रहें, लेकिन मेरी अपेटाइट यह नहीं है। मैं अपनी जिन्दगी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं। आप सब लोगों के लिए यह हो सकता है कि यह देश बहुत अच्छा चलता आ रहा हो, लेकिन मेरी अपेटाइट इतनी नहीं है। मुझे सार्वजनिक जीवन में अभी 10-15 साल रहना है। मेरी भूख वह नहीं है, जो आपकी भूख है, मेरी भूख इससे ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री की भूख इससे ज्यादा है। हम लोगों ने तय किया है इस बहुमत के साथ, कि अगले दस वर्षों में इस देश का कायाकल्प करेंगे और तब लोग आपसे पूछेंगे।...*(व्यवधान)* अब क्या कहें, आपकी शिक्षा और हमारी शिक्षा ऐसी है। मैं खुदा कह रहा हूं कि हम लोग इसके पार्ट हैं, क्यों अब आप मेरे पीछे पड़े हुए हो।...*(व्यवधान)* यह सच्चाई है, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। अब हमें काम करने का मौका मिला है, हम इसको ठीक करेंगे। आपने हमें जो विरासत दी है, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यह हम सब पर लागू है। 45 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं, 21 प्रतिशत एम.बी.ए. ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सोचना होगा। आखिर इस देश में 2.1 प्रतिशत लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी हायर एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है। मात्र दो प्रतिशत मुसलमानों की हायर एजुकेशन तक एक्सेस है। मात्र 1.8 प्रतिशत ट्राइबल्स की हायर एजुकेशन तक एक्सेस हैं। ये सब कमियां हैं, जिनके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमें परिवर्तन लाना है।...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी: कैसे करेंगे, वह भी बताइए।... *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: बता रहे हैं।...*(व्यवधान)* क्लाइमेट चेंज का विषय आ रहा है और इस देश में पानी का अभाव है। दुनिया भर में पानी का अभाव है और भारत में भी पानी का अभाव है। आज लगभग दस करोड़ लोग पानी के अभाव में हैं। स्वच्छ जल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आज इस देश में 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको पानी लेने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या इनको पता है इस बात का? उसके लिए अगर आज हम सब लोग एकत्रित होकर तय करें। ...*(व्यवधान)* शशि साहब, यह हम सब को तय करना है, यह हम सबकी चिन्ता है। आज सत्ता हमारे पास है, लेकिन यह हम सबकी चिन्ता है। सुप्रिया जी मेरा बात ध्यान से सुन रही हैं। आप इन मित्रों को समझाइए कि कम से कम सही बात को सुन लें। ...*(व्यवधान)*

मैडम, पानी के कारण जो डिजीजेज हैं, टायफाइड है, कम्यूनिकेबल डिजीजेज हैं। हर्षवर्धन साहब यहां बैठे हैं। इरिगेशन के लिए पानी का अभाव है। हम ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। पंजाब में गांव के गांव, हमारे मित्र बैठे हैं, वहां पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। हम सबको मिलकर सोचना है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी समस्या का निदान करें। पंजाब की स्थित मैंने बताई है, बाकी चीजों की स्थिति के बारे में मैंने बताया है। इनको छोड़ दीजिए, अब कुछ अन्य सच्चाइयों की ओर आएं। कहां हुआ है ऐसा कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था, दो दिन के अंदर समाचार पत्रों में आने लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आश्चर्य है। श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, आश्चर्यजनक है। मालदीव्स के प्रेजिडेंट आ रहे हैं, आश्चर्यजनक है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के प्रमुख आएंगे। 24 घंटे भर के अंदर पूरा सार्क सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में हो गया। भारत के इतिहास में यह कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि दस देशों के प्रमुख इस देश के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आएंगे। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते थे? यह भारत की ताकत थी, इस जीत की ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्त्ताओं की मेहनत थी कि यह जीत हमें मिली। इतना ही नहीं, उसका परिणाम देखिए। पहले हम लोग सदन में खड़े होकर यहां गुहार करते थे कि मछुआरों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पकड़ ले गया है। मछुआरों को छोड़ दीजिए, श्रीलंका ले गया है। आने के साथ ही सैकड़ों मछुआरों को एक जेस्चर के रूप में उन्होंने छोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका स्वागत किया इस धरती पर और उन्होंने उनको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक मछुआरे की नाव की कीमत 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक होती है, उसको पकड़कर ले

जाते थे, वापस नहीं देते थे। अब उन्होंने इन नावों को भी लौटा दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि एक शपथ समारोह में इस देश को दे दिया, आखिर ऐसा कौन प्रधानमंत्री आने वाला है?

महोदया, इतना ही नहीं श्रीलंका के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां हमारे तमिल दोस्त बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)* मेरे तमिल मित्र यहां बैठे हैं...*(व्यवधान)*

मेरे मित्र, आप मंत्री रहे हैं, और आज मुझे लगता है, पहले यह राज्य सभा में मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आपको परेशान नहीं किया। आप मेरे मित्र रहे हैं। अब, चुप रहिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे बाद में बात करूंगा...*(व्यवधान)* आपके मंत्री रहते मैंने आपको कभी परेशान नहीं किया, क्या आपको वह याद है? मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। इसलिए कृपया आज शांत रहे...*(व्यवधान)*

वह मेरे मित्र हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: रूडी जी, कृपया पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति जी यहां आए। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। हमारे तमिल मित्रों को कष्ट हो रहा था। स्वाभाविक है कि देश से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर उनकी नाराजगी हो सकती है। लेकिन जब श्रीलंका के राष्ट्रपति जी यहां से लौटकर स्वदेश गए तो वहां के तमाम अखबारों ने क्या छापा, यह मैं बताना चाहूंगा। हम लोग पिछले 20 वर्षों में कामयाब नहीं हो पाए जिस विषय को लेकर, यहां सुषमा बहन बैठी हुई हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान पैदा न करें। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: एक कमेटी वहां गई थी 13वें कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट को लागू करने के लिए, उसकी कार्यवाही के लिए, सुषमा जी उस कमेटी में थीं, बलवीर पुंज जी भी थे और अन्य सदस्य भी थे। इन लोगों ने दिन-रात मेहनत करके, उस जगह जाकर कैम्प्स का विजिट किया था। आज पूरे देश के और श्रीलंका के अखबारों ने कहा कि आज श्रीलंका कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट 13 को लागू करने के दबाव में है। यह परिणाम था श्रीलंका के राष्ट्रपति जी के यहां आने का।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री इसे गंभीरता से लेंगे और देखेंगे कि श्रीलंका में 13वां संशोधन लागू किया जाएगा। इसी की हम आशा कर रहे हैं।

हाल ही में, फिर से, श्री लंकाई सेना ने 240 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। यह शोचनीय है। यही कारण है कि मैं सरकार से इस मामले में कार्यवाही करने का अनुरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: उसके बाद आप देखें कितनी सहूलियत रही। परम्परा रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात करता हो तो ड्राफ्ट स्पीच एम.एच.ए. देता है। चीन के प्रधानमंत्री जी से जब सौहार्द पूर्ण बातचीत हो रही थी, तब दस मिनट की बातचीत 45 मिनट में परिवर्तित हो गई। अब आप ही देखें कि कहां ऐसा उदाहरण मिलेगा कि एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के अध्यक्ष से अनौपचारिक रूप से बात कर रहा हो और इतनी लम्बी बात हो।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मलेप्पुरम): क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: आप भी मेरे मित्र हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री रूडी, क्या आप अनुमति नहीं दे दे रहे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: जी नहीं, महोदया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. अहमद, वह अनुमति नहीं दे रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: क्षमा करें, महोदय। मेरे पास बहुत सीमित समय है। मैं दल का एक अनुशासित सियाही हूं। मेरी सीमाएं हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. अहमद, मुझे खेद है। वह अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टलेंट ढूंढना है। संसद में जब भी खेलों पर चर्चा होती है तो ओलम्पिक का जिक्र जरूर आता है। अगली बार के ओलम्पिक खेल ब्राजील में होंगे। महोदया, आप तो तब मौजूद रही हैं और आपने सदन में खेलों पर चर्चा भी कराई है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में खेलों की क्या स्थिति है। सदस्यों द्वारा खेलों पर चर्चा के दौरान अक्सर यह जिक्र होता है कि चीन ने 88 पदक जीते, यहां तक कि जमैका और कीनिया जैसे छोटे-छोटे देश भी 20 से 30 स्वर्ण पदक तक जीतते हैं। यहां पर पूर्ण ओलम्पियन राज्यवर्धन राठौड़ जी बैठे हैं। हमारा 120 करोड़ की आबादी वाला देश एक गोल्ड, एक सिल्वर और ब्रांज मैडल ही ले पाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने इस पर विचार करते हुए केबिनेट में यह विषय रखा कि अगली बार ओलम्पिक्स में देहातों से टेलेंट लेंगे, क्योंकि शहरों में तो फिर भी खेलों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन गांवों में नहीं हैं, जबकि देहात से भी माइकल टुंडु जैसे खिलाड़ी भी निकले हैं। इसलिए देहात से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए नेशनल टेलेंट सर्च योजना बनाई, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें दुनिया के पटल पर रखा जाएगा। यह अगले ओलम्पिक्स की हमारी सरकार की तैयारी है।

महोदया, अब मैं रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे मैं इस पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस पर बोलने के लिए इन्होंने मजबूर किया है इसलिए मैं कुछ इस पर कहना चाहूंगा। हमारे देश में रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। हमारे देश में कई हजार पैसेंजेर्स और गुड्स ट्रेंन चलती हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि करके हम देश में 63,000 किलोमीटर ही रेल लाइन बिछा पाए हैं।

मध्याह्न 12.03 बजे

ठीक है, जो अंग्रेजों ने हमें लाइनें बनाकर दीं, उनमें हमने थोड़ा-थोड़ा विस्तार जरूर किया। इसमें 14 लाख कर्मचारी हैं विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता। मैं इस विषय को यहां लाना नहीं चाहता था लेकिन इतनी कमजोर सरकारें इस रेल मंत्रालय को चलाती रही हैं। ऐसा कहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में कि एक रेल मंत्री रेल बजट पेश करता है और 24 घंटे के भीतर, दुनिया के सबसे बड़ी लोक उपक्रम के उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है. ..*(व्यवधान)* आप देश चलाने की बात करते हैं?...*(व्यवधान)* आज हमारा एक विज़न है, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने बुलैट-ट्रेन के बारे में कहा है। हम बुलैट ट्रेंस की बात कर रहे हैं। हमारा विज़न देखिये। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमने सड़कों का निर्माण देश में चारों तरफ किया। गांव-गांव में सड़कों को पहुंचा दिया।

[अनुवाद]

रेल गलियारे, माल गलियारे और रेलगाड़ियों के स्वर्णिम चतुर्भुज। हमारे पास दूरदृष्टि है। हम बुलेट रेलगाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें इस देश में 50 के दशक में ही आ जाना चाहिए था। आज दुनिया के कुछ देश– यदि मैं उनका नाम लूं तो आप अपने स्थानों पर उछल पड़ेंगे, इसलिए मैं उस देश नाम नहीं लूंगा– अपनी रेल लाइनों का निर्माण करना चाहता है। वे बीजिंग में अपने मुख्यालय से रूस तक और संयुक्त राज्य अमरीका तक अपनी रेल लाइनों का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशांत महासागर के अंदर एक सुरंग बना दी है। यह आश्चर्य की बात है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या करने की योजना बना रहे हैं? हम आज कहां खड़े हैं? दो दिन में वे इतनी दूर की यात्रा करने की बात कर रहे हैं और हमारी यहां पलवल और अलवर जाने में हालत खराब हो जाती है, छपरा से सोनपुर जाने में हालत खराब हो जाती है। आप अपना विज़न तो देखिये कि आपने 55-60 साल में क्या किया? कौन कहां से कहां जा रहा है और हम कहां रुके हुए हैं लेकिन जिस तरह से 2003 में हमने सिविल एवीएशन का स्वरूप बदला, आज रेलवे में भी उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। लोग क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि गाड़ी समय से पहुचे, गाड़ी में सफाई हो, खाना अच्छा मिले, लम्बी कतारें नहीं हों, यात्रा सुरक्षित हो, यही तो लोग मांग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुल्तान अहमद: अध्यक्ष महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किस नियम के अंतर्गत? मुझे नियम बताइये। कृपया बैठ जाइए।

रूही जी, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है, किस नियम के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे खेद है। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मेरा निवेदन मात्र यही है *[हिन्दी]* कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी ने यह कहना शुरू कर दिया, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास कोई फाइल जाती है तो वह कहता है कि जरा हाई-कोर्ट से आदेश ले आइये, फिर हम अपनी संचयिका को क्लीयर कर देंगे, इस देश की यह स्थिति हो गयी है कि हर निर्णय के लिए न्यायालय को प्रवेश करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गयी है कि कोई कर्मचारी इस देश में संचयिका पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है और हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 34,000 केस उच्चतम न्यायालय में पड़े हैं, लगभग 42 लाख केस हाई-कोर्ट में हैं और लगभग 3 करोड़ केस लोअर कोर्ट में हैं। गरीब लोग इस देश में पिसते रहते हैं। हमने कहा है कि इस स्थिति में परिवर्तन करेंगे।

आज इस देश में शासन कैसा हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले दिन से कहना शुरू किया है तथा माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया है। पिछले शासन में दाहिने हाथ को पता नहीं था कि बायां हाथ क्या कर रहा है और इन्होंने पावर-डिस्टेंस कम करने की बात कही है। एक शेर बशीर अहमद का है जिसमें उसने कहा था और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया है–

"राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है,

आदमी फुटपाथ पर बेहोश होता है।"

यही शासन रहा है। एक और शेर है और वह यह है कि–

"जिसके पीछे तीन शेर, उसके सामने सब है ढेर।"

हम ऐसी परम्परा को तोड़ना चाहते हैं, इसे दूर करना चाहते हैं और इस देश की जनता और ब्यूरोक्रेसी को महसूस भी कराना चाहते हैं। अब इस देश की परिभाषा बदल गयी है। जिस आदमी को कानून बनाना है वह चापाकल गड़वाता है, रोड बनवाता है और जिसे रोड बनवाना है, वह कानून बनाकर देता है, हम इस परम्परा को खत्म करेंगे। हम सांसद पांच साल के लिए चुन कर आते हैं और वे तीस साल की नौकरी में आते हैं। हमारी परीक्षा पांच साल के बाद होगी, देश के प्रधानमंत्री जी की परीक्षा होगी, राजनाथ सिंह जी की परीक्षा होगा, आडवाणी जी, पासवान जी, उमा जी सबकी परीक्षा पांच साल बाद होगी। वे एक विभाग से दूसरे विभाग में जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदन में बैठ कर कानून बनाएं, कानून लागू हो, कानून पर नियंत्रण हो और वे काम करें। यहां परिभाषा बदल जाती है। हम सड़क बनाने निकल जाते हैं, रोड बनाते हैं, बिजली लगवाते हैं, तार खिंचवाते हैं, यह देश में कब तक चलता रहेगा? हमारा काम कानून लागू करने का है, हमारा काम सड़क बनाने का नहीं है और महोदया, यह सबसे बड़ी चुनौती है।

अब मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सदन के बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। जब मुझे वेंक्कैया नायडू जी ने समिति का अध्यक्ष बना कर भेजा, तब मुझे पता चला कि जम्मू-काश्मीर में ऐसे भी मतदाता हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, यहां पले हैं और वे लोकसभा के चुनावों में तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन एसेम्बली में उन्हें पिछले 55 वर्षों से वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह कौन-सा देश है? उनके बच्चे केन्द्र सरकार में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार में भर्ती नहीं हो सकते हैं। यह कौन-सी सरकार है और कौन-सा कानून है? यह बिल्कुल सत्य है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो विवाद बढ़ेगा, मैं इस विषय को छोड़ना चाहता हूं। वहां वैली में जो सिक्ख हैं ब्राह्मण हैं, जिन्हें वहां से निकाला गया है, उनके बारे में सरकार ने चर्चा की है।

मुझे लगता है कि मुझे अपना भाषण छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। उमा जी सदन में बैठी हैं। आप सभी नहीं जानते हैं, वे संगठन में देश भर में गंगा की आरती उतार कर गंगा की स्वच्छता की लड़ाई कर रही हैं। देश के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि देश में गंगा की स्वच्छता के लिए एक साध्वी को जिम्मा दिया है और हम सभी मिलकर देश में गंगा को स्वच्छ करेंगे। निर्मला जी कामर्स मिनिस्टरी देख रही हैं, वे सदन में नहीं हैं। उनका डिजर्टेशन ही इक्नोमिक ट्रेड इंडो यूरोपीयन ट्रेड पर है। ऐसे तमाम लोग हैं। राजनाथ सिंह जी देखने में बहुत नर्म हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हैं, जो कानून बना सकते हैं कि परीक्षा में चोरी नहीं होगी। हमारे साथ रामविलास पासवान जी गरीबों की आवाज उठाने वाले हैं। डॉ. जितेन्द्र दुनिया

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के जाने-माने डायटीशिन हैं। सदानंद गौडा, श्री तोमर, डॉ. हर्षवर्धन, श्री अनंत कुमार, श्री वेंक्कैया नायडू, आप एक लाइन से देखिए, श्री कलराज मिश्र, राधामोहन सिंह।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदया, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बोलने के लिए तीस मिनट का समय मिला।...*(व्यवधान)* मैं 25 वर्ष पहले बिहार में विधायक बना और वहां से मैं यहां आया। पिछले 10-15 वर्षों से मैं राज्य सभा और लोक सभा में रहा हूं। मुझे छपरा की जनता के बीच में लगता है कि मैं जहां से शुरू हुआ था आज वहीं खड़ा हूं। जब हमारे दोस्त यू.पी.एस.सी., आई.ए.एस. की तैयारी कर रहे थे, मैं गांव-गांव भटक रहा था। पंजाब विश्वविद्यालय से लौट कर राजनीति कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वहीं खड़ा हूं। दिल्ली का चुनाव होता है और कोई भूली-भटकी पार्टी सदन में आ जाती है और सरकार बना लेती है। तब मुझे लगा कि फिलोस्फी क्या है? इनकी फिलोस्फी गवर्नेंस, करप्शन नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री भगवंत मान (संगरूर): आप किसे भूली-भटकी पार्टी कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा है।...*(व्यवधान)* मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)* पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा।...*(व्यवधान)* इनका मैनिफेस्टो करप्शन नहीं है, इनका मैनिफेस्टो लोगों में नेताओं के प्रति जो नफरत थी, वह उभरकर आया। लेकिन वह खुद बाद में नेता हो गये। इसलिए लोगों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। इस देश में संविधान जो हमारे लिए बहुत मजबूत है, इस देश में संविधान का हमने क्या किया है? इस देश के संविधान को 120 बार अमेंडमेंट के लिए इस सदन में हम लाए हैं और लगभग 95 बार इस संविधान को हम लोगों ने अमेंड कर दिया है। इस देश में हम लोगों ने कैसा अपने आप को बिना लिया है? ...*(व्यवधान)*

आज इस देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, चुनाव लड़ने से पहले एफीडैविट देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे पास इतना अधिक धन नहीं है। हमें एफिडैविट देना पड़ता है। जिसे देश चलाना है, उसे एफीडैविट देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं डकैत नहीं हूं। यह दूसरी बात है कि इस देश में ऐसी भी स्थिति है कि इस देश में एक विधान सभा में एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक बनता है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। उसका कोई मैनिफैस्टो नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वह उस राज्य का ढाई वर्षों तक मुख्य मंत्री बना रहता है। यह लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की कामयाबी है...*(व्यवधान)* एक और राज्य है जहां लोग कुर्सी छोड़कर जेल जाते रहते हैं। सदन से बाहर हो जाते हैं। अपनी पत्नी लड़वा देते हैं। वहां से चुनाव हो जाता है। कभी मुख्य मंत्री का पद छोड़कर जेल चले जाते हैं। वह राज्य ऐसा भी है। लोकतंत्र कामयाब है।...*(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में इस लोकतंत्र पर लोगों ने कई सवाल खड़े किये।...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (बांका): माननीय अध्यक्ष जी, ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देखूंगी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, अब मैं समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सच्ची बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। ...*(व्यवधान)* उन्हें बहुत खराब लगता है और उसके बाद जिन्हें जेल के पीछे होना चाहिए था, कटघरे में होना चाहिए, वे सीना चौड़ा करके इस देश में प्रचार करते हैं। कामयाब लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को हम स्वीकार करते हैं। लोग अच्छे लोगों को राजनीति में ढूंढना चाह रहे हैं। अंतिम रूप से अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि आपको लगता होगा कि आपके इस शोर-शराबे से हम घबरा जाएंगे। आपको लगता होगा कि हमारा जो इनॉगरल स्पीच है, हम घबरा जाएंगे। आपको हमने सभी आंकड़े बता दिये लेकिन एक बार अंतिम रूप से एक बात कहना चाहेंगे। आज हमारे गोपीनाथ मुंडे जी यहां नहीं हैं। उनकी दुर्घटना से मौत हो गयी लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सदन के बाहर हैं, जो यहां नहीं आ पाए और जो सदन के के भीतर और देशभर के विधायक हैं,...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री रूडी, कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

आपको यहां पर मुझे संबोधित करना है। इधर-उधर की बातों का जवाब नहीं देना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री पप्पू यादव, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री रूडी, आप आगे बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसी कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: इन्हीं शब्दों के साथ, महोदया, *...(व्यवधान)*

महोदया, मैं उसे वापस लेता हूं।*...(व्यवधान)* आप के संदर्भ में भी था, मैं उसे वापस लेता हूं।*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

उन्होंने किसी का नाम नहीं किया है। मैं देख लूंगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: धन्यवाद, महोदया। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपने स्थान पर जाइये। मैं इसको देखूंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं उसको देखूंगी। केवल रूडी जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष जी, सबको लगता होगा कि हम जाने के लिए आए हैं। मैं अंतिम रूप से अपनी बात एक छोटे से वाक्य से कहना चाहूंगा:

"हर हाल-ए-सूरत में ये तावोतवा रखते हैं,

उम्र जो भी हो, खून जवां रखते हैं।

इस दौर के अंगद हैं नरेन्द्र मोदी,

हिलता ही नहीं पांव जहां रखते हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, हम यहां रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं।

माननीय अध्यक्ष: राम विलास पासवान जी, आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य दें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): माननीय अध्यक्ष, माननीय रूडी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का विज़न होता है और सरकार की नीयत को प्रतिबिंबित करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र बहुत अद्भुत है। आज कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है आज राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इस पर बहुत पहले चर्चा चली थी कि वोट का अधिकार किसे मिले? संविधान सभा में इस पर काफी डिसकशन हुई थी। पहले यह कहा गया था कि वोट का अधिकार कुछ पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। मैं महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के निर्माताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने सोच समझकर तय किया कि किसी भी आदमी, शिक्षित से अशिक्षित को भी वोट का अधिकार मिलेगा। आज उसी का प्रतिफल है कि पढ़े लिखे, गरीब परिवार से और कम पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि आजादी के 67 साल बाद जनतंत्र मजबूत हो रहा है। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो। हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेट भारत है, इसकी लोकतंत्र की जड़ें इतनी दूर तक चली जाएंगी कि इसे कोई भी ताकत उखाड़कर फेंक नहीं सकती है।

माननीय अध्यक्ष, यह जनादेश अद्भुत जनादेश है। राजीव जी जब थे तब 402 सीटें आई थीं। जनता जब वोट देती है तो जनता का आदर करना चाहिए, वोट का आदर करना चाहिए। आज देश की जनता ने यदि 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है, 336

सीट एन.डी.ए. को दी है तो आप तमाम भारत की जनता को कम्युनल नहीं कह सकते हैं। भारत की जनता का वर्डिक्ट है उसका हम सभी को आदर करना चाहिए। आप काम कीजिए फिर पांच साल के बाद अच्छा काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर जनता देख लेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): पासवान जी, पांच वर्ष पहले आप संप्रग में थे।...*(व्यवधान)* अब आप पांच वर्ष के लिए राजग में हैं। यह क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: पार्लियामेंट में देखा गया है कि 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 1998 में लोकसभा हुआ, 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस तरह तीन साल में तीन बार चुनाव हो गए लेकिन जनतंत्र, लोकतंत्र की ही देन है। पहले किसी एक इलाके को कब्जे में करने के लिए खून बहाया जाता था। तीन साल में तीन बार सरकार बदल गई लेकिन भारत की जनता और डेमोक्रेसी के ही दिन हैं और आज लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी जी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते तो हार जाते। इसका मतलब क्या है, यह आपके ऊपर आक्षेप है या नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर आक्षेप है। आपकी हालत इतनी खराब हो गई कि देश का प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ता तो हार जाता। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात कहना नहीं चाहता हूं। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आप उसका विरोध कीजिए, आप उसमें अमैन्डमैन्ट डालने का काम कीजिए। लेकिन जो सत्यता है, उस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्या बात है, हम लोग क्यों चुनाव में जाते थे। गांव में एक-एक बच्चा उछल रहा था और व नमो, नमो, नमो करता रहता था। उसे क्या लेना-देना था।... *(व्यवधान)* उसका सबसे बड़ा कारण था कि नरेन्द्र मोदी जब कहते थे कि हम गरीबी हटायेंगे तो आप कहते थे कि नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। नरेन्द्र मोदी कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटायेंगे, आप कहते थे कि नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। नरेन्द्र मोदी कहते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप कहते थे कि हम नरेन्द्र मोदी को हटायेंगे। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर ही चुनाव जीतने का काम किया था। देश की जनता जब किसी व्यक्ति को व्यवस्था से नाराज होकर चुनने का प्रयास करती है तो आप उसे हमेशा कम्युनल, सेक्युलर कहते हैं। आप गोधरा राइट्स की बात करते हैं। 2002 में हम मंत्री थे और हमने इस्तीफा दिया था। क्या कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया था? आपके कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था।...*(व्यवधान)* सोनिया जी यहां बैठी हुए हैं, 2005 में जब हमने कहा कि बिहार में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तो आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। क्यों एन.डी.ए. की सरकार बनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: वह सक्षम है।

श्री रामविलास पासवान: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे गोधरा कांड है, अब आप गोधरा कांड, गोधरा कांड को कितने दिन तक रटते रहोगे। 12 साल हो गये...*(व्यवधान)* एक युग हो गया, 12 साल का एक युग होता है। इसी देश के इमरजेन्सी लगी थी। हम सब लोग इमरजेन्सी में जेल में थे। इमरजेन्सी आप भूल गये या नहीं। इसी देश में हिन्दू-सिख राइट हुआ, हजारों सिख मारे गये, लोग उसे भी भूल गये। हमें इस बात की खुशी है कि देश में दो बार सिक्ख प्रधानमंत्री बने। भागलपुर में कम्युनल राइट हुआ। अभी मुजफ्फरनगर में राइट हुआ। सब चीजों को हम भूल गये हैं। लेकिन आप गोधरा कांड, गोधरा कांड की रट लगाये रहते हैं। आप रथ के चक्के को आगे बढ़ने दीजिए। आप रथ के चक्के को रोकने का काम क्यों करते हो। यह सरकार पांच साल तक है। 12 साल में कम्युनल राइट नहीं हुआ है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत कहता है कि हम किसी भी राइट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी दंगे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप उसमें विश्वास रखिये।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। रामविलास जी सक्षम हैं। आप बैठ जाइये।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवानः इसलिए अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम गरीबी को हटाने के बजाय गरीबी को मिटायेंगे। इसमें दो मत नहीं हैं कि आज दो तरह का भारत है– एक अमीर भारत है और एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है। जो कपड़ा बनाता है, उसके सिर पर कपड़ा नहीं है। जो महल बनाता है, उसके अपने रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है। जो सबकी गंदगी साफ करता है, वह सबसे गंदी बस्ती में रहता है।

जो सबको अनाज खिलाता है, उसका बच्चा भूखे पेट सो जाता है।...*(व्यवधान)* महोदया, इन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, जो कि अनपार्लियामेंट्री हो। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूं। मेरी कभी आदत नहीं है, मैं यहां सन् 1977 से हूं। कई लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं और समझते हैं कि कॉलेज हमारा ही है। फोर्थ ईयर तक जाते-जाते पता चल जाता है कि कॉलेज किसका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि गरीब बहुत परेशान है। आज दिल्ली के बगल में चले जाइए। गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है। गरीब का बच्चा दूध के लिए चिल्लाता रहता है। रात में जब वह आता है तो मां से कहता हूं कि मां रोटी दो। मां के पास सूखी रोटी भी नहीं होती है कि वह बच्चे को खाने के लिए सूखी रोटी भी दे सके। 5-6 साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है तो कहता है मां पेट जल रहा है, कुछ तो खाने के लिए दे दो तो मां कहती है कि बेटा सो जाओ, कल सवेरे रोटी मिलेगी।...*(व्यवधान)* उसके बाद भी जब बच्चा रोना बंद नहीं करता है तो मां उसको थप्पड़ मार देती है।...*(व्यवधान)*

श्री सुल्तान अहमदः आपने गरीब बच्चों के लिए क्या किया है?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवानः मां बच्चे को थप्पड़ मार देती है। बच्चा रोते हुए जाकर सो जाता है। आज इस तरह का भारत है। राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत चाहते हैं।

श्री सुल्तान अहमदः आप तो अपने बेटे चिराग को यहां ले आए।

श्री राम विलास पासवानः आप सोनिया जी को पूछिए कि राहुल जी को क्यों ले आए हैं?...*(व्यवधान)* राम विलास पासवान एक दलित का बेटा है और यदि वह अपने बेटे चिराग को ले आता है तो आपके पेट में दर्द होता है।...*(व्यवधान)* अगर सोनिया जी, राहुल गांधी को लाती हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होता है।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी लाएंगे तो आपको दर्द नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः राम विलास जी, एक मिनट।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, इस तरह की भाषा को रोकिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः मैं आप सभी सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहूंगी। मैं बहुत देर से देख रही हूं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। 315 से ज्यादा नए सदस्य हैं। मगर मैं देख रही हूं कि जो पुराने सदस्य हैं, बार-बार बीच में बोल रहे हैं। जब आपकी पार्टी का मौका आएगा तब आप अपनी बात रखिएगा। थोड़ी-बहुत टोका-टाकी चल सकती है। मगर सीट पर बैठ कर या बार-बार उठ कर आप पुराने सदस्य ही टोकेंगे तो जितने नए सदस्य आए हैं, वे उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यह सब न करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः यह सही तरीका नहीं है, जब अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े हैं।

[हिन्दी]

अगर मेरी जानकारी सही है तो आप भी कुछ रह चुके हैं। आपका भी कुछ अनुभव है और जो भी अनुभवी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे व्यवहार से नए लोग सीखेंगे। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप अपनी बात भरपूर रखिएगा। बार-बार टोका-टाकी सही नहीं है *[अनुवाद]* हां, रामविलास जी, आप जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, आज जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसका मतलब है कि आज कोई भी आदमी किसी से पूछता है, कोई कहता है कि हम बंगाली है, कोई कहता है हम बिहारी है, कोई कहता है कि हम यू.पी. के हैं, कोई कहता है मद्रासी हैं या चेन्नई के हैं। कोई कहता है कि हम हिन्दू हैं, कोई कहता है मुसलमान हैं, कोई कहता सिख हैं, कोई कहता ईसाई हैं। यह कोई नहीं कहता है कि हम

भारतीय हैं। भारतीयता की जो भावना है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो माईनोरिटी के लोग हैं, जो शैड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कहीं उपेक्षा हो। लेकिन कम से कम हम सब लोग, एक बार तो अपना मन बना लें कि हम सभी इंडियन हैं। पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं। हम अपने आप को भारतीय कहेंगे। राष्ट्र का हित सबसे ऊपर होता है। उसके बाद पार्टी का हित होता है। उसके बाद व्यक्ति का हित होता है। भारत एक बगीचा है। इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं। हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। बगीचा में वही माली अच्छा होता है, जिस बगीचा में हर तरह के फूल को खिलने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का यही अभिप्राय है कि बगीचा का कोई भी फूल मुर्झाए नहीं। हर कली को खिलने का मौका मिले। हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पावर टू दी पुअर। गरीब का राज हो और गरीब के राज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं साल में मतलब अगले 8 साल में हर गरीब को पक्का मकान दिया जायेगा। क्या इस पर किसी का कोई विरोध है? अगर पक्का मकान नहीं मिलेगा तो आप बोलिएगा। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि हर गरीब को पक्का मकान दिया जायेगा।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक बिजली की सप्लाई होगी। जिसके संबंध में रूडी जी ने कहा कि आज दिल्ली में भी बिजली नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य का प्रबंध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि सबके लिए शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं। शिक्षा के बारे में आज किसे मालूम नहीं है। बिहार के हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आज वहां शिक्षा की क्या हालत है? मास्टर जी को 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, यह चीज सब लोगों को मालूम है।...*(व्यवधान)* इतने में वह क्या पढ़ायेगा? आप भी कहते हैं कि हम उनको परमानेंट करेंगे, हम भी कहते हैं कि हम उनको परमानेंट करेंगे। शिक्षा की जो हालत है, आज दो तरह के स्कूल हैं, अमीर के लिए अलग स्कूल है और गरीब के लिए अलग स्कूल है। अमीर के स्कूल में चले जाइये यानी प्राइवेट स्कूल में चले जाइये, लाखों रुपया दीजिए, कैपिटेशन फी दीजिए, तब जाकर वहां एडमिशन होगा। गरीब के स्कूल जाइये तो वहां क, ख, ग, घ से पढ़ाई शुरू होती है। वह मां को मां कहेगा, बाप को बाप कहेगा प्राइवेट स्कूल में वहां मां को मम्मी कहेगा और बाप को डैडी कहेगा। एक स्कूल का लड़का पढ़कर निकलता है तो वह कलेक्टर, एस.पी. बनता है और दूसरे स्कूल का लड़का पढ़कर निकलता है तो वह चपरासी भी नहीं बन पाता है। हम लोग बचपन में नारा लगाते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिडला या गरीब का बेटी सबकी शिक्षा एक समान। वह बात अभी तक चली आ रही है। यदि कोई सरकार इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करे और सब लोगों के लिए, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो, तो इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति जी ने इन सारी बातों को कहा और मैंने यह पहले ही कहा कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार का विजन होता है और सरकार ने पहली बार अपने विजन को आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा है। इसमें कोई दो बात नहीं है। देश में चुनाव हुआ, देश में एन.डी.ए. की सरकार बनी है, लेकिन इसमें दो बात यह भी नहीं है कि नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला है। हमें वोट मिला है...*(व्यवधान)* आपको नहीं मिला होगा सोनिया जी के नाम पर किसी के नाम पर, लेकिन हमको मिला है।... *(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

महोदया, अब दूसरा मामला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है, शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राइब्स का मामला है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। पूना पैक्ट नहीं हुआ रहता तो जो दलित का अधिकार है, वह दलित का अधिकार उसे नहीं मिलता और भारत तीन भाग में बंट जाता, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अछूतिस्तान, लेकिन वह पूना पैक्ट बना और पूना पैक्ट लागू हुआ और रिजर्वेशन मिला। आज रिजर्वेशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, बार-बार सवाल उठाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* आप थोड़ा शांत रहिये, हम इस बारे में बतलाते हैं। ...*(व्यवधान)* मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, पांच साल के बाद खत्म हो जायेगा। नरसिंह राव जी की सरकार थी, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नरसिंह राव जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर यह कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा।...*(व्यवधान)* एक मिनट आप सुनिये।...*(व्यवधान)* फिर कोर्ट में लोग चले गये। उन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीनियरिटी रहेगी, लेकिन 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तीन बार पार्लियामेंट में संविधान संशोधन हुआ और तीनों आदेश से उसको रेक्टिफाई करने का काम किया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इस कारण से नहीं रहेगा, पिछले 10 साल से यू.पी.ए. की सरकार रही। हम लोग कितनी

बार जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, सब लोगों कसे जाकर मिले, आज तक एक संविधान संशोधन नहीं हो पाया। ...*(व्यवधान)* इसी लोक सभा और राज्य सभा को रोका गया, कहा गया यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा, यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा, यह रिजर्वेशन नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* जो सही बात है, जो हकीकत है, मैं उसे यहां रख रहा हूं।

कल आपकी बात भी मैं ही बोलूंगा, आप उधर से नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस वीकर सैक्शन की बात करते हैं, आप जिस दलित की बात करते हैं, रिजर्वेशन एक्ट में कुछ नहीं है। आज जो रिजर्वेशन का कानून चल रहा है, वह जी.ओ. से चल रहा है। हम लोग मांग करते-करते थक गए। एस. सी.एस.टी. पार्लियामैंट्री फोरम, जिसमें खरगे साहब तथा कांग्रेस के और भी लोग हैं, सब मांग करते-करते थक गए कि रिजर्वेशन का जो जी.ओ. है, उसको गवर्नमैंट एक्ट बना दो जिससे कोई रिजर्वेशन को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं किया गया। स्पेशल कंपोनैन्ट प्लान है अनुसूचित जाति के लिए। ट्राइबल सब प्लान है। स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में यह प्रावधान है आबादी के मुताबिक राज्य और केन्द्र सरकार पैसा रखेगी और उसका खर्चा होगा, लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है, वह इसको करने का काम करेगी। नहीं करेगी तो आपको पूरा अधिकार है कि आप विरोध कीजिए।

माइनॉरिटी का सवाल है। माइनॉरिटी के सवाल पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हम सोचेंगे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार डैडिकेटेड है, प्रतिबद्ध है उनको मुख्यधारा में लाने के लिए। दंगा रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता का शब्द कहा गया है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज के अल्पसंख्यक लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके पास जाइए तो वे खाना या कपड़े की बात नहीं करेंगे, वे सुरक्षा की बात करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और हम सब तो एक ही परिवार के लोग हैं। कोई विदेशी है क्या? वहां भी शेख है, सैयद है, खान है, कोई दलित में से गया है, कोई अंसारी है, कोई चूड़ी-हारा है, कोई रांई है, इसी परिवार से तो गए हुए हैं। हम कोई विदेशी हैं क्या? लेकिन यहां लोग अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की बात करते हैं। देश की जनता एक तरफ चलेगी और कुछ लोग हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं। कौन कम्यूनलिज़्म की बात करता है?...*(व्यवधान)* पूरे देश में और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तमाम ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, सभी लोगों ने वोट देने का काम किया है। वे सब क्या कम्यूनल हैं? आप हर चीज़ में हिन्दू-मुसलमान करते रहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सुल्तान जी, आप बैठिये। आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप क्यों अकेले खड़े हो रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री सुल्तान अहमद: बहुत सपोर्टर्स हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: उसके बाद महिला आरक्षण की बात है। कांग्रेस पार्टी के लोगों की नीयत पर हम डाउट नहीं करते हैं। सोनिया जी का शुरू से यह विचार रहा कि महिला आरक्षण लागू हो। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लड़ रही है कि महिला आरक्षण लागू हो। सी.पी.आई. और सी.पी.एम. कह रही हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। तमाम पोलिटिकल पार्टियों के लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ? यदि कल मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में यह बिल आता है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? *...(व्यवधान)* हम बिल लाएंगे। इसलिए मैंने कहा। आज हमें इस बात की खुशी है कि आज एक महिला यहां चेयर पर बैठी हुई हैं। इससे पहले मीरा जी बैठी हुई थीं। लेकिन यह बात भी सही है कि आज़ादी के बाद से आज तक जितना महिलाओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सबसे ज़्यादा देने का काम किया है। हमें मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। यहां पुरुष लोग अधिक हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात आई।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप दोनों उसी के लिए बैठे हैं। प्लीज़।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: *...(व्यवधान)* राष्ट्रपति जी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हमारा समाज ऐसा है कि बेटी से ज्यादा बेटे को

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महत्व देते हैं। किसी-किसी परिवार में जब बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, जबकि बाप को, मां को, बेटा से ज्यादा बेटी प्यार करती है। भाई को भाई से ज्यादा बहन प्यार करती है। शादी-विवाह हो जाता है, लेकिन उसका आधा दिल मां-बाप के पास रहता है। लेकिन हम बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देंगे। हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति है, और क्यों नहीं इसका समर्थन किया जाए?

इसी तरह से उन्होंने युवा समस्या के संबंध में कहा है। आज दो पीढ़ी के लोग हैं। बहुत सारे नौजवान आए हैं, चिराग का नाम ही क्यों कहते हैं? चौटाला जी के लड़के अजय जी और उनके लड़के भी आए हैं। नौजवान पीढ़ी की एक अलग लालसा है। वह जाति, धर्म, मज़हब सभी से ऊपर सोच रही है। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बने। हम लोग अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, प्रिज्यूडिस हैं, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है, वह प्रिज्यूडिस नहीं है। नौजवान पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है। नौजवान के पेट में जब आग लगती है तो धर्म और जाति की पूजा नहीं होती है। वह अपने भविष्य को देखने का काम कर रहा है। मैंने चुनाव में भी कहा था कि एक रामविलास पासवान की पीढ़ी है तो दूसरी चिराग पासवान की भी पीढ़ी है। ...*(व्यवधान)* आप लोगों को चिराग के नाम से इतनी एलर्जी क्यों हो गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा है कि नदियों को जोड़ेंगे। नदियों को जोड़ने का प्लान है। आज एक तरफ सुखाड़ है और दूसरी तरफ बाढ़ है। आप विदर्भ में चले जाइए, वहां लोग पानी के बिना मर जाते हैं और बिहार में 14 प्रतिशत पानी का उपयोग होता है और 86 परसेंट समुद्र में चला जाता है। यदि पूरे देश की नदियों को जोड़ दिया जाए, हम जानते हैं कि यह काम चार साल में नहीं होगा, यह पांच साल में नहीं होगा, हो सकता है कि नरेन्द्र मोदी जी के समय में नहीं हो...*(व्यवधान)* लेकिन एक काम जो शुरू हो जाए, नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो जाए और जिस दिन नदी को जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा, उस दिन कोई खेत बिना पानी के नहीं रहेगा और भारत को किसी पर निर्भर रहने का मौका नहीं मिलेगा।

महोदया, हम शुरू से वन रैंक-वन पेंशन के लिए लड़ रहे थे। यदि सरकार कहती है कि वन रैंक-वन पेंशन, जो हमारे फौजी भाई हैं...*(व्यवधान)* आपने किया है, उन्होंने कहा है कि हम उसको इम्पलीमेंट करेंगे। यदि उस को इम्पलीमेंट किया जाएगा तो क्या आप उसका विरोध करेंगे?

अभी हमारे भाई कह रहे थे, हम बिहार में अपने क्षेत्र में गए थे। गरीब को भारत सरकार के द्वारा सस्ते दर पर राशन दिया जाता है। पहले अन्त्योदय कार्यक्रम था, फिर बी.पी.एल. हुआ, उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। बहुत अच्छा है फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी राशन लोगों तक कहां पहुंच पा रहा है? हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए। बिहार में 23 लाख टन की क्षमता है, लेकिन 4 लाख टन की ही उपलब्धता है। हम राघोपुर गांव में गए, वहां इतना-इतना बण्डल गरीब लोगों ने रखा हुआ है कि छः महीने से कूपन मिल रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कहा है कि हम गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का काम करेंगे, हमने निर्णय लिया है। घर तक पहुंचाने का मतलब है कि हम जाकर देंगे। अभी डीलर को एफ. सी.आई. से लाना पड़ता है या मिल से। हम लोगों ने कहा कि नहीं, एफ.सी.आई. या मिल उसके यहां पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन एफ.सी.आई. तो डीलर के यहां पहुंचा देगी, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब को राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार को भी साथ में...*(व्यवधान)* लेना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि बिना राज्य सरकार के सहयोग के कोई काम नहीं होगा।

बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यहां हम लोग कहते हैं कि दो रुपये किलो गेहूं देंगे, तीन रुपये किलो चावल देंगे। तमिलनाडु की सरकार है, वह यह मुफ्त में दे रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है।...*(व्यवधान)* बहुत सारी सरकारें हैं जो यह एक रुपये में दे रही हैं।...*(व्यवधान)* हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम है।

गन्ना के किसानों का मामला है, उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। उस दिन कलराज मिश्र जी, मेनका गांधी जी, गोपीनाथ मुंडे जी जो अब नहीं रहे, ये सारे लोग, गडकरी जी, हमारे बालियान जी, अपने कृषि मंत्री राधा मोहन जी, सब लोग मिले थे। मिल मालिकों के ऊपर किसानों का ग्यारह हजार करोड़ रुपया बकाया है। मिल मालिक कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास एस.टी.एफ. में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र में चले जाइए तो एक क्विंटल गन्ना में ग्यारह किलो चीनी होती है। क्यों? वह जाकर खेत से खरीद लेता है। बिहार, यू.पी. में क्या होता है? एक क्विंटल में नौ किलो चीनी होती है। क्यों? किसान को तीन दिनों तक रोड पर बैठना पड़ता है। नतीजा है कि गन्ना सूख जाता है, उसमें से इथेनॉल निकलता है। उसका कहीं उपयोग नहीं होता है। ब्राजील में उसका उपयोग 84% होता है। उसी तरीके

से उसका खोई होता है। उस खोई का कोई उपयोग नहीं होता है जबकि बहुत जगह महाराष्ट्र वगैरह में लोग पावर में इसका उपयोग कर रहे हैं।

इसलिए मैंने कहा कि ये जो सारे के सारे सिस्टम हैं, उन्हें हम कैसे लागू करें? योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उस योजना का कैसे कार्यान्वयन करें? जैसा उस दिन हम ने कहा कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। कैसे आप उसे लागू करने का काम करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है।

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम पड़ोसी देशों के साथ शांति रखेंगे। हम बड़े भाई हैं। हमको बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए। इसमें दो मत नहीं है। आज़ादी के बाद शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार सार्क देशों के सारे के सारे हेड्स थे, सब लोग यहां आए। नवाज शरीफ़ जी आ गए। अब आप लोगों के पास बोलने का मुद्दा ही नहीं था। आपको स्वागत करना चाहिए था कि नवाज शरीफ़ जी आए हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको समझना चाहिए था कि हमारा यह सिगनल कहां जा रहा है।

नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था, उस काम को हम पूरा करके दिखलाएंगे। कश्मीर के यहां हमारे साथी हैं। हम भी हमेशा कश्मीर जाते रहते हैं। कश्मीर में वहां के लोगों ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि कश्मीर की समस्या का आप कैसे निदान करेंगे? संविधान के तहत? उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान के तहत नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से, ह्यूमैनिटी के प्वायंट ऑफ व्यू से।

जापान के साथ हमारा रिश्ता सुधरे। रूस के साथ हमारा रिश्ता सुधरा हुआ है। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हमारा रिश्ता सुधरे या अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता सुधरे। इसमें दिक्कत क्या है? कौन आदमी नहीं चाहेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मज़बूत प्रधानमंत्री हो, जिसको कोई आंख नहीं दिखा सके। यदि देश मज़बूत है तो हम मज़बूत है। देश मज़बूत नहीं होगा तो क्या हम मज़बूत होंगे? इसलिए मैंने कहा कि देश को मज़बूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। यह नहीं कि बात-बात में कोई हमको आंख दिखलाकर चल दे, बात-बात में हमको थप्पड़ मारकर चल दे। इसलिए देश को एक मज़बूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। हम यह फिर कहना चाहेंगे कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में सबसे बड़ी कमी है नेताओं की नीयत का। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, देश का भला नहीं होगा। आज हमको विश्वास है कि हमारा नेता भी है, हमारी नीति भी है और हमारी नीयत भी साफ है और हम विजय प्राप्त करेंगे।

हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए–

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 9 जून, 2014 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

अपराह्न 12.50 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश किए गए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

अपराह्न 12.51 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव...जारी

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भाषण हुआ, खासकर रूडी साहब ने इस प्रस्ताव को प्रपोज़ किया और श्री रामविलास पासवान

जी ने इसको सैकिंड किया। पहले तो मैं इस प्रस्ताव का स्वागत एवं सपोर्ट करूंगा और इस सदन में जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। खासकर आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दूसरी दफा भी इस सदन की संरक्षक, गार्जियन बन कर आप आए हैं। पहले श्रीमती मीरा कुमार थीं, जिनको कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रपोज़ करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, यह संतोष की बात है। इस वक्त मैंने यह सोचा था, जब रूडी साहब बात कर रहे थे। यह एक अनुभवी सांसद हैं और राज्य सभा में भी थे। उन्होंने मंत्री के रूप में भी काम किया है। हम आशा करते हैं कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी रोशनी डालेंगे। ये हमको बताएंगे, क्योंकि ज्वाइंट सैशन का खास करके एक साल में जो काम करना है और पांच साल में उनकी क्या नीति है, उसके बारे में भी सारे सदन को और हमको भी बताएंगे, ऐसी हमारी आशा थी। लेकिन उन्होंने हम सब को निराश कर दिया। सिर्फ चुनावी भाषण देकर आप सब समर्थन नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी प्रेज़ीडेंट स्पीच में अपनी सरकार के विचार लाए हैं, उन विचारों के ऊपर आप किस ढंग से उसको अनुष्ठान में लाएंगे। उसके बारे में अगर चर्चा होती तो बेहतरीन होता, लेकिन आपने वह सब छोड़ दिया।

मोदी साहब आए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप सबके सपोर्ट से, खासकर जनता ने उनको इस पद पर चुना है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जिस ढंग से बताया, वह ठीक नहीं था, उसमें पोलिटिक्स थी। ये स्पीच कर-करके तो यहां पर आप आए हैं। ये सारी बातें जनता को बता कर ही आपने इस सदन में कदम रखा है। यहां आने के बाद भी अगर वही पोलिटिक्स की बात करनी है तो हमारे पास भी ढेर सारी बातें हैं, हम बता सकते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करते, तो ठीक था। आप लॉ एंड आर्डर की बात कर रहे थे और दूसरी सारी चीजों की बात कर रहे थे। पासवान साहब ने असल में इसको प्रपोज़ किया, उन्होंने न प्रपोज़ किया, न सैकिण्ड ही किया, ऐसा उनका भाषण था, लेकिन फिर भी मैं उनका आदर करता हूं, क्योंकि, वे सीनियर मैम्बर हैं। सिर्फ यहां पर बहुत सी चीजें लाकर उन्होंने इस चर्चा को थोड़ा गड़बड़ी में डाल दिया।

वे जनादेश की बात कर रहे थे। जनादेश की बात तो आपके फेवर में आई है, इसीलिए तो हम यहां पर बैठे हैं। लेकिन कितने वोटों से आप आये हैं, इस देश में आपको सिर्फ 31.32 परसेंट वोट मिला है, इससे ज्यादा नहीं मिला।...*(व्यवधान)* ठीक है भई, जब हमारा भी था तो उस वक्त हम आये हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं कि बहुत हमें 10 लाख, 20 लाख मिले, यह तो भाषण के लिए ठीक है, लेकिन आप जो उछल-उछल कर बोल रहे हैं, बहुत सी बातें बता रहे हैं, उसमें सिर्फ 31.32 वोट परसेंटेज लेकर आप आये हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके विचारों के विरोध में, आपके खिलाफ में इस देश में जो विचारधारा रखते हैं, वे 69 परसेंट है। हो सकता है कि मेरी पार्टी को कम वोट मिले होंगे, लेकिन आपके पक्ष के समर्थन में जो बहुमत आप समझते हैं, वह नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में आये हैं, क्योंकि, वोट का बंटवारा हुआ है, विचार अलग-अलग थे, कोई रीजनल पार्टी थी, कोई किसी और मुद्दे पर खड़ा हुआ था तो इस बंटवारे में आपका फायदा हुआ है। ठीक है, उसका फायदा उठाकर जनता की सेवा कीजिए और जनता की भलाई के लिए आप क्या करते हैं, उसका महत्व है।

इस देश को तो सभी मजबूत बनाना चाहते हैं। कोई कमजोर बनाना चाहता है? क्या यू.पी.ए. सरकार कमजोर बनाना चाहती थी? ...*(व्यवधान)* इस देश को हमने ही तो मजबूत बनाया है ...*(व्यवधान)* आप सुनिये। जिस देश में एक सुई तैयार करने का कारखाना नहीं था आज इस वक्त मंगल पर जाने का रॉकेट हमने तैयार किया है। जिस देश में खाने के लिए लोग तरसते थे, अमेरिका से लाकर गेहूं लोगों को राशन में देते थे, आज अन्न का भंडार भरकर लोगों को तीन रुपये किलो में देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास किया है। आप बार-बार कहते हैं कि 65 ईयर्स में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, आप एक ही बात उजागर कर रहे हैं। इतने जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने बने हैं और जो पब्लिक सैक्टर सारा बना है तो वह कांग्रेस की सरकार में ही बना है।

आप सिर्फ भाषण देकर लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं। यह ग्रीन रिवोल्यूशन और गुजरात में जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, वह कांग्रेस का व्हाइट रिवोल्यूशन है, मोदी साहब का नहीं है या बी.जे.पी. का नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखिये। आप सिर्फ बातें बनाकर कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 60 साल में देश को बर्बाद किया, यह आपका कहना है।...*(व्यवधान)* अरे सुनो भई। तो ये सारी चीजें चुनाव के लिए और वोट लेने के लिए ठीक हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड अगर मैं कहूं, मैं रिपोर्ट कार्ड आपके पास पेश करूं तो दस साल पहले हमारी क्या हालत थी और दस सालों में हमने क्या किया, वह एक-दो मिनट में आपको बताता हूं।...*(व्यवधान)* अब आपकी गवर्नमेंट आयी है, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं?

अपराह्न 1.00 बजे

महोदया, मैं बताना चाहता हूं, यह मेरी रिपोर्ट कार्ड है, मेरी रिपोर्ट कार्ड यह है कि जिस गरीब के बारे में अभी पासवान जी ने बात की, उन गरीबों का पेट भरने के लिए ही मनरेगा जैसा कार्यक्रम लाकर आज 4 करोड़ 75 लाख फेमिलीज को हमने रोजगार दिया। जिसको एक दिन का खाना नहीं मिलता था, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को कम से कम साल में सौ दिन काम दिया। आज चंद लोग, जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। वे इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को मनरेगा में काम मिल रहा है, उनकी रोजी बढ़ गयी है। बड़े-बड़े जमींदार लोग चाहते हैं कि उनकी वेजेज न बढ़ें, वे कम दाम में काम करें और उनको फूड सिक्योरिटी न मिले।

अभी मैंने बहुत से गरीब लोगों के बारे में सुना। राजस्थान की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जिस जगह आपकी सरकार है। ...*(व्यवधान)* लेबर के बारे में, जिन गरीबों के बारे में आप बात करते हैं...*(व्यवधान)* सारे लेबर एक्ट्स को तब्दील करने का उन्होंने सोचा है और खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और जिक्र किया है। ये कहते हैं कि इनवेस्टमेंट को बड़े-बड़े उद्यमदार को अपने पैसे जुटाने में या मनी जेनरेट करने में और इंप्लायमेंट जेनरेट करने में दिक्कतें हैं, इसीलिए हम उन कानूनों को बदलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* यह जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से यह दिखता है कि यह सरकार गरीबों के फेवर में नहीं, सिर्फ अमीरों के फेवर में है, इसका अंदाजा लगता है। यह मेरा कहना नहीं है, आप रिपोर्ट देखिए।...*(व्यवधान)* परसों यह आयी है।...*(व्यवधान)* हर एक्ट को चेंज करने का है...*(व्यवधान)* इस देश में जो 40 एक्ट हैं, जो आज नहीं बना...*(व्यवधान)* पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर, जगजीवन राम से लेकर, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर से लेकर हर नेता ने इस देश के गरीबों के लिए कानून बनाया, उसको मिटाने की कोशिश यहां पर हो रही है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एनुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत टीका-टिप्पणी होती रहती है। एनुअल ग्रोथ रेट यह है, एन.डी.ए. के जमाने में 5.9 परसेंट, यू.पी.ए. गवर्नमेंट का एवरेज 7.5 परसेंट है। यह पौने दो परसेंट ज्यादा है, फिर भी आज टीका-टिप्पणी और क्रिटिसिज्म होता है।

फूड प्रोडक्शन, एन.डी.ए. के वर्ष 2004 तक 213 मिलियन टन था तो आज 263 मिलियन टन इस साल है। पॉवर की बात कर रहे थे, रूडी साहब ने भी पॉवर के बारे में बताया कि चाइना में ऐसा हो रहा है, दूसरी जगह ऐसा हो रहा है, वह ठीक है, लेकिन हमने जो दस साल में किया, वह सब आपके सामने है और इस सदन में भी रखा है, आप उसे देखिए। पॉवर कैपेसिटी 1,12,700 मेगावॉट थी। तो हमने 10 सालों में 2,34,600 मेगावाट बिजली उत्पादन किया है और सबसे चमत्कार की बात है कि कुछ नहीं हुआ। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है, यह 10 साल पहले केवल तीन करोड़ था और आज 96 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है।...*(व्यवधान)* ये सारे साधन हैं।...*(व्यवधान)* जो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए।...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं पंचायती राज को मजबूत करके नीचे के आदमी को सत्ता देने के लिए, एक पावर उसके हाथ में देने के लिए जो कोशिश हमने की है, पैसा वहां पर गया, हो सकता है, मैंने सुना था, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी एक बार बोले थे कि मनरेगा बेकार चीज है। यह पेपर में आया था। हो सकता है कि वह इसे क्लैरिफाय करेंगे। लेकिन, मनरेगा बेकार चीज है, जिन गरीबों के लिए यह किया गया है, करोड़ों लोग जो काम के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं।...*(व्यवधान)* घोटालों को कौन इम्पलिमेंट करता है, हर राज्य इम्प्लिमेंट करता है। बीजेपी हेडेड गवर्नमेंट राज्य हैं। कहीं कांग्रेस हेडेड गवर्नमेंट है।...*(व्यवधान)* राज्यों में दूसरों की भी गवर्नमेंट है।...*(व्यवधान)* जहां गलती है, वहां सुधारिए। ऐसा नहीं होता है।...*(व्यवधान)* हमारे यहां एक कहावत है।...*(व्यवधान)* अगर कभी बुखार होता है या सर दर्द होता है तो सर नहीं काटते हैं। हम सर को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो हम और आप मिल कर उन्हें दूर करेंगे। बजाय इसके कि यह कार्यक्रम ठीक नहीं है।

राइट टू एजुकैशन ठीक नहीं है। इस देश के गरीब लोगों के लिए जो लोग और खास कर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए मीड-डे मील की स्कीम ला कर, उन्हें रेगुलर स्कूल में लाने और पढ़ाने का काम, अगर किसी ने किया है तो यह राइट टू एजुकैशन और मीड-डे मील से हुआ है और ये सारी चीजें गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए जो कार्यक्रम है, जहां उससे आप को नफरत है, इसीलिए आप कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। वहां घपला है, यहां

घपला है। अगर आप गरीबों के बारे में कमीटेड होते, अगर आप गरीबों के बारे में सोचते, तो यह हाल नहीं होता।...*(व्यवधान)* मैं भी बोलने वाला हूं। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। ...*(व्यवधान)* मैडम, हो सकता है कि मैं इस सदन में जूनियर होऊंगा।...*(व्यवधान)* लेकिन, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 43 साल पहले मैं चुन कर आया था और आज तक जनता मुझे चुन कर यहां भेज रही है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैंने सभी लोगों को देखा है। मैंने सभी पार्टियों की फिलॉस्फी को भी देखा है। मैं सभी को जानता हूं। हो सकता है कि आप अपने विचार अच्छे ढंग से रखते होंगे, लेकिन मैं कर्नाटक से चुन कर आया हूं, मेरे शब्द जो हों, लेकिन मेरे विचार में कोई फर्क नहीं होगा।

माननीय अध्यक्षः आपके शब्द भी अच्छे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः ग्रामर इधर का उधर हो सकता है। फुलस्टाप और कौमा में मिस्टेक्स हो सकते हैं लेकिन मेरी नीयत और कहने में कहीं भी अंतर नहीं है।...*(व्यवधान)* दूसरी चीज, रूरल रोड की बात थी। मैं बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार रहने तक यानी वर्ष 2004 तक 51,511 किलोमीटर और यू.पी.ए. सरकार के 10 सालों में उसका टारगेट पहुंचा–3,89,578 किलोमीटर।...*(व्यवधान)* सड़क हर देहात में जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो। पिछली सरकार से सात गुना ज्यादा, इन 10 सालों में। दूसरी तरफ आप हेल्थ को देखिए। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह चीजें हुई हैं, लेकिन हमें प्रचार नहीं मिला। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जो आश्वासन दिए, आगे के लिए जो कहा, किसी ने कहा कि गुजरात जाकर मॉडल देखिए। मैडम, गुजरात में उनके पास और आपके पास यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट भी होगी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स आदि जितने पेपर आते हैं, उनमें देखा। हैल्थ के बारे में क्या आप नम्बर वन हैं, क्या लिटरेसी में आप नम्बर वन हैं, क्या आप यू.एन. पर कैपिटा इनकम में नम्बर वन हैं? आप कौन सी चीज में नम्बर वन हैं। इन्वैस्टमैंट में भी महाराष्ट्र नम्बर वन है, आप नहीं हैं। आप किसी भी चीज में लें, चाहे हैल्थ लें, एजुकेशन लें, किसी भी चीज में आप नहीं हैं। लेकिन मुझे मानना पड़ता है कि आप बातों में एक्सपर्ट हैं, प्रचार में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आपको ये मार्क्स मिले हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं हैल्थ के बारे में बताऊंगा कि 7,248 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लेकिन इन दस वर्षों में यू.पी.ए. सरकार ने 36,322 करोड़ रुपये खर्च किए यानी सात गुना ज्यादा।...*(व्यवधान)* आपके पास गए, आपके स्टेट को गए, आपके हर जिले को गए, आपके जिला पंचायत को गए, आपकी पंचायत को गए।

माइनॉरिटीज की बात – हमने सबको साथ लेकर चलने का वायदा किया है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पासवान साहब ने आश्वासन दिया और प्रैजिडैंट स्पीच में भी इसके लिए हमने कहा है। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ वेल्फेयर के लिए पहले एंड ऑफ एन.डी.ए. पीरियड तक 4 हजार करोड़ रुपये और यू.पी.ए. सरकार में 66,500 करोड़ रुपये। वुमेन इम्पावरमैंट, हैल्थ के लिए खासकर सैल्फ हैल्प ग्रुप के लिए 9,71,182 करोड़ रुपये। इस वक्त 41,16,000 करोड़ सैल्फ हैल्प ग्रुप बैनीफिशियरीज़ हैं। इसे हमने जनता के सामने रखा और आपके सामने भी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रूडी साहब ने यहां अपनी स्पीच में जो बताया, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बताता। मैं दूसरी चीजों के बारे में बताने वाला था। ...*(व्यवधान)* हमने क्या किया, वह मैं आपको बता रहा हूं।

बिजनसमैन क्रेडिट फैसीलिटीज के लिए उस वक्त 80 हजार करोड़ रुपये दिए थे। हमारे जमाने में 5 लाख 27 हजार करोड़ रुपये छोटे और मोटे बिजनस के लिए दिए थे।...*(व्यवधान)* एजुकेशन में आपने सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। इन दस सालों में 79,450 करोड़ रुपये यानी आठ गुना ज्यादा एक्सपैंडीचर किया। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन के बारे में भी यू.पी.ए. सरकार ने जितना ध्यान दिया, जितना पैसा दिया, शायद ही किसी ने इस तरफ इतना ध्यान दिया हो। यह क्यों हुआ? चाहे फूड सिक्युरिटी एक्ट हो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इन्फार्मेशन हो, लैंड इक्विजिशन एक्ट हो, लोकपाल बिल हो, ये हम लाए हैं। लेकिन लोकपाल बिल के बारे में सिर्फ इतना ही कहा। आगे क्या करने वाले हैं और दूसरे कौन-कौन से ऐसे कानून हैं जो करप्शन को रोकने के लिए स्टैप लिए हैं या लेने वाले हैं। इस बारे में प्रेजिडैंट एड्रैस में कुछ बताया नहीं है।

एक दुख की बात है। पासवान साहब ने पढ़ा होगा, आडवाणी साहब पढ़ते हैं। राजनाथ जी का तो यह मेनिफेस्टो है। यह मेनिफेस्टो डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट किया गया है जिसमें आप, आडवाणी साहब और सभी छः-सात प्रमुख पात्र हैं। उसमें आपने कहा कि इस देश से अस्पृश्यता का निर्मूलन करेंगे। अनटेचेबिलिटी को निकाल देंगे, इरैडिकेट करेंगे। लेकिन उसका जिक्र इस प्रेजिडैंट एड्रैस में नहीं है। उस बारे में आपने बताया नहीं है। इस देश में कम से कम 22 परसेंट अनटेचेबल पर्सन्स रहते हैं। उनके हित के लिए आप क्या करने वाले हैं, उस बारे में प्रेजिडैंट एड्रैस में एक-दो सन्टैंस भी नहीं लिखे गये हैं।...*(व्यवधान)* आपके

मेनिफेस्टो में जो लिखा है, उसे मैं बता रहा हूं। आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? आपके मेनिफेस्टो में जो लिखा है, उसे मैं बता रहा हूं। जो चीजें हैं, वे तो हैं, लेकिन जो चीजें प्रेजिडैंट एड्रैस में नहीं आयी हैं, उसे मैं बता रहा हूं। डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए हमने एक-दो एक्ट बनाये थे। उनको हमने पार्लियामैंट में इंट्रोड्यूस भी किया था। इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं सभी फ्लोर लीडर्स से मिला। जेटली साहब से मिला, श्रीमती सुषमा स्वराज से मिला। दूसरे लीडर मुलायम सिंह जी से मिला। वहां के कम्युनिस्ट नेता जो थोड़ा अपोज कर रहे थे, उनसे मिला। उसके बावजूद भी डिसएबल्ड पर्सन्स का रिहैबिलिटेशन एक्ट वहीं पड़ा रहा। उसे इंट्रोड्यूस भी नहीं होने दिया गया। आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज हम लेकर आये थे, जो चीज हमने बतायी थी, वह सारे लोगों के हित में थी, लेकिन किसी वजह से पोलिटिकलाइज बनाकर उसे रोक दिया गया। ऐसी कई चीजें हैं। प्रिवैंशन ऑफ एट्रोसिटी, एस.सी./एस.टी. एक्ट है। उसे आप आर्डिनैंस के रूप में लाये हैं। उसे आप इस सैशन में नहीं निकाल पायेंगे लेकिन आगे के सैशन में आप इंटरस्ट लेकर उसे निकालेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ये सारी चीजें हम करते आये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: किस नियम के अंतर्गत?

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदया, ऐसा नियम 352 के तहत है।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, क्या आप उन्हें अनुमति दे रही हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: खरगे साहब, आपके बोलने के ऊपर प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे लेबर लॉज प्रभावित हो रहे हैं। यह आपने अभी हाउस में कहा। रूल 352 में यह कहा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अखबारों में यह कहा गया है। आप अखबार पढ़ लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल: कौन से अखबार में है? ...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष जी, मैंने बोला कि पेपर में आया है।...*(व्यवधान)* इंडियन एक्सप्रैस के प्रंट पेज पर आया है।. ..*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल: राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।...*(व्यवधान) [अनुवाद]* यदि यह अखबार की खबर है तो आप इसे सभा में उद्धरण के रूप में नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)* यह अखबार की खबर है। ऐसा करके आप सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: पेपर में जो आया है, वह उन्होंने कहा है।...*(व्यवधान)* उन्होंने सरकार की बात ही नहीं की।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मेघवाल जी, आप आगे बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: नियम 352 (iii) कहता है कि : "संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में आक्रामक वक्तव्य का प्रयोग;"

[हिन्दी]

यह कहां हुआ? यह कहां था? आप पेपर रिपोर्ट को कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया। *[अनुवाद]* यह सही नहीं है...*(व्यवधान)* आप किसी समाचार पत्र की रिपोर्ट को सभा में उद्धृत नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* मैडम, आपको यह प्रोसीडिंग्स से हटाना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* आपको रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा।

श्री राजीव सातव: इसमें आक्रामक क्या है?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, मैं इसे देखती हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, आप इसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कीजिए।...*(व्यवधान)* आप भी पढ़ लीजिए। मैं पढ़कर ही बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः मैं इसे देखूंगी। कृपया आप बैठे जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः मैं समझ सकती हूं। आप बैठ जाइए। मुझे पता है और मैं इसे देखूंगी। कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत रायः महोदया, आपको पता नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः कृपया नियम का उद्धरण करें।

प्रो. सौगत रायः यह नियम 352 है।

माननीय अध्यक्षः जिसका आप उद्धरण दे रहे हैं वह नियम क्या है? ऐसा नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत रायः कृपया मुझे बोलने दें।

माननीय अध्यक्षः नियम हैं। किस नियम का आप उद्धरण दे रहे हैं?

प्रो. सौगत रायः मैं नियम 352 का उद्धरण दे रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत सरल है। नियम 352 का उद्धरण देते हुए, माननीय मेघवाल ने उल्लेख किया कि एक राज्य विधानमंडल इत्यादि की कार्यवाही के प्रति एक सदस्य आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है कि राजस्थान सरकार श्रम कानूनों में सुधार का प्रयास कर रही है...

माननीय अध्यक्षः क्या आप 'लोक सभा अध्यक्ष' हैं जो यह व्यवस्था दे सकें? मैं इस को देखूंगी।

प्रो. सौगत रायः मुझे समाप्त करने दें। महोदया, आप अधीर क्यों हो रही हैं?

माननीय अध्यक्षः मुझे पता है कि क्या करना है। आप 'लोक सभा अध्यक्ष' नहीं और आपको विनिर्णय नहीं देना है। आप 'विनिर्माण' क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा है कि मैं इसे देखूंगी। *[हिन्दी]* मैं आपकी सलाह में जे लूंगी। आप प्लीज बैठिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः मैडम स्पीकर, मेरा यह कहना था, वे गलत समझे हैं या उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है।

माननीय अध्यक्षः मैं देखूंगी, आप आगे बढ़िए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः यह तो पेपर में आया है, हेडलाइंस में रहा है, इसे सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी आपकी नीयत की बात कर रहा हूं। आपके गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो न्यूज आया है, यदि वह गलत है, तो गलत बोलिए, यदि न्यूज सच है, तो आपकी नीयत में कुछ खराबी है। इसीलिए, मैं यह कहूंगा...*(व्यवधान)* इस प्रेसीडेंट स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो पहले की सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको तोड़-मरोड़कर अलग-अलग ढंग से बोलें। इसमें बहुत-सी चीजें नयी नहीं हैं। जो ए.आई.बी.पी. स्कीम है, वह दूसरे नाम से है। एक इरीगेशन का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के नाम से लाने की घोषणा है। *[अनुवाद]* त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पहले से ही है। *[हिन्दी]* राजनाथ सिंह जी जानते हैं, उन्होंने पहले वह डिपार्टमेंट हैंडल किया है। उसी को अलग-अलग करके बताया गया है। ड्रिप इरीगेशन है, उसे आपने अलग ढंग से बोला। पिछली सरकार की जो अच्छी-अच्छी योजनाएं थीं, उन्हीं योजनाओं में आपने आगे कुछ नाम लगाया, पीछे कुछ नाम लगाया और इसे अपने मेनिफेस्टो में डाला। उसमें कोई नयी बात नहीं है। ये सारी चीजें गरीबों के हित में हमने पहले ही कर दिया है और कर रहे हैं। जो भी प्रोग्राम जनहित में है, उसे हम खुद सपोर्ट करेंगे। हमारा तो कांसेप्ट ही सपोर्ट है। उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह अमल में आए। यह हमारा वायदा है। इसके अलावा, तीसरी चीज यह है,...*(व्यवधान)* यदि आप दो सौ से तीन सौ बनकर यहां आ सकते हैं, तो हम भी चौवालिस से चार सौ बनकर बैठ सकते हैं।...*(व्यवधान)* यदि हमारी शक्ति को आप सिर्फ चौवालिस की शक्ति पर गिनना चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं है। हमें 10 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट दिया है। इसीलिए आप बहुत घमंड में मत रहिए। आप जरा सोचिए, बाद में घमण्ड उतरेगा तो परेशान हो जाएंगे। इन सारी चीजों की मोदी साहब के नाम से रिपैकिंग हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात तो बाद में वापस ले ली है। अब स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब बुलेट ट्रेन कब आएगी? जितने भी ट्रेन्स हैं, 65000 ट्रेन्स हैं, उनको अच्छा करें, वहीं एक बहुत बड़ा काम है।...*(व्यवधान)* अरे, हमने क्या किया, वह जाकर डिमार्टमेंट में पूछिए। आपके पास फाइल है, निकालकर देखिए। ...*(व्यवधान)* इसीलिए मेरा कहना है कि जो चीजें हो सकती हैं,

जो प्रैक्टिकल हैं, जो आप कर सकते हैं, जनता को बताइए। मेनिफेस्टो में जितना भी है, एक बार बोल देंगे, लोगों को कह देंगे, तो उससे सारी चीजें हल हो जाएंगी, अगर किसी ने ऐसा समझ रखा, तो शायद जनता इसको सोचेगी और अगर गलत स्टेप्स होंगे, तो जनता कभी माफ नहीं करेगी।

इसलिए मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो चीजें आप एक साल में कर देंगे, उनको बताना चाहिए। अब दस साल की बात की है, रिपोर्ट कार्ड पांच साल बाद चुनाव के वक्त देंगे और आगे काम करने के लिए दस साल चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम नहीं है। रीसेंटली आपने 100 दिन के कार्यक्रम की बात की है, लेकिन 100 दिन में क्या करने वाले हैं, आप बता रहे हैं, तो हम देखेंगे की 100 दिन में क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं? क्या अलादीन का चिराग लाने वाले हैं? हम भी यहीं रहेंगे, हम देख लेंगे और सारी चीजें सबको मालूम हो जाएंगी। आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें *[अनुवाद]* कुछ भी नया नहीं कहा गया है। सभी कार्यक्रम और प्राथमिकता पहले से ही संप्रग द्वारा लागू हो चुके हैं। अतः, अभिलेख सही करने की आवश्यकता है। संप्रग *[हिन्दी]* सरकार ने जो किया है, मोदी उसे ही पुनः दूसरे रूप में शुरू कर रहे हैं। ये चार चीजें मुझे कहनी थीं। कोई नए प्रोग्राम, कोई नई स्कीम इसमें नहीं है। यू.पी.ए. के प्रोग्राम्स को ही तोड़-मोड़ के इसमें दिया है, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रचार अच्छा है। मुझे किसी ने कहा और मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा कि अगर किसी चीज की मार्केटिंग करनी है, तो बीजेपी से सीखें। करते कुछ नहीं हैं, लेकिन इनकी मार्केटिंग जबर्दस्त है। उस सामान में कीड़े-मकोड़े हों, सड़ी हुई वस्तु रहने दो, लेकिन उसकी मार्कटिंग अच्छी हो। जो काम हुआ है, उसको कभी देखा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलता, उसकी असलियत क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या खामियां हैं और उसमें क्या ठीक है, इन सबको देखकर ही हमको काम करना है। केवल घोषणा से, मार्केटिंग से, प्रचार से कुछ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर को बाद में देखेंगे क्योंकि पुणे में हो रहा है, इधर-उधर हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन जो चीज इन्होंने कही है, उसको निभाएं और हमने जो अच्छे काम किए हैं, उनको आगे लेकर चलिए। अगर नहीं लेकर जाएंगे, तो अपोजिशन के रूप में हमें जो काम करना है, हम करेंगे। यह मत कहिए कि हम 44 लोग हैं और आप 300 से अधिक हैं, हमें दबाएंगे। हम दबने वाले नहीं हैं। कौरवों की कितनी भी संख्या हो, पाण्डव कभी नहीं माने और पाण्डवों की हुकूमत आई है। यह चीज आज आपके सामने है।

मैडम, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ही कहना चाहूंगा कि सरकार अच्छा काम करे। अगर उसमें कोई खराबी होगी, तो हम बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि लोगों के हित में ही हमारा स्टेंड होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

संशोधनों का पाठ

[अनुवाद]

श्री विन्सेंट एच. पाला (शिलौंग): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर भारत के विकास हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (2)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाखों शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (3)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरंतर चलने वाले अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने और विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार के सभी अग्रणीय कार्यक्रमों को जारी रखे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जघन्य अपराधों में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कारगर कानूनी और व्यवहारिक कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन और विपणन पर खर्च की गई भारी धनराशि पर श्वेत पत्र लाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी, निरक्षरता और रोगों के उन्मूलन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को श्रेय दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर के राज्यों में विद्रोह से निपटने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर में प्रत्येक राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इंडो-नागा शांति वार्ता हेतु वार्ताकार की नियुक्ति की तात्कालिक आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 370 पर चर्चा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुच्छेद 370, 371ए और पूर्वोत्तर तथा अन्य राज्यों से संबंधित विशेष उपबंधों से जुड़े विरोधाभासों और विवादों को उन्मुक्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विभाजनकारी तत्वों के आकस्मिक प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नौकरियों, लोक उद्यमों इत्यादि में मुस्लिम समुदाय के अत्यन्त कम प्रतिनिधित्व और तदनुसार मुस्लिम समुदाय की शिकायतों के निवारण के लिए किए गए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी के देशों में काम करने वाले 5 मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों की भलाई के लिए प्रस्तावित कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल (जी.सी.सी.) देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधी को मजबूत बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, पेंशन का अधिकार, उद्यमिता की वित्तीय सहायता और हकदारी का अधिकार जैसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन के आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संदूषित भूमि जल की सफाई के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण व पुनर्निर्माण किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि गरीब जनजातियों के निवास वाले वनक्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (27)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण भारत और बांग्लादेश के साथ विदेशी इंक्लेव और जल बंटवारे से संबंधित करार दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को रक्षा उत्पादन में स्व-निर्भर बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेखनहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमा पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों से निपटने तथा विशेषकर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने हेतु ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंगा नदी के अलावा भारत की अन्य नदियों का प्रदूषण कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त न किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में विशेष जांच दल की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनन्तनाग): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर समयबद्ध तरीके से "इंसानियत", "जम्हूरियत" और "कश्मीरियत" अर्थात् मानवता, लोकतंत्र कश्मीर की सौहार्द्रता की परंपरा पर ध्यान दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (38)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मानवाधिकार उल्लंघनों को बिल्कुल बर्दाश्त न किए जाने की रीति अपनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (39)

श्री पी. करुणाकरण (कासरगौड): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न देशों में जेलों में प्रताड़ित हो रहे भारतीयों को छुड़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा में जी.डी.पी. के 6% आवंटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दस्तकारों जैसे बुनकरों, कुम्हारों इत्यादि की दुर्दशा दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं और बालकों में कुपोषण रोकने के प्रभावी उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सिफारिशों के तहत पर्याप्त संसाधनों के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का सृजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, में शेयरों के विनिवेश, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से बाल मजदूरी को मिटाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक मंदी के कारण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों जिनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के मापदंड पर मुस्लिमों के लिए 10% और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गयी है, के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समुचित कानून द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) को सांविधिक समर्थन प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों में हो रही वृद्धि को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रही असाधारण वृद्धि को रोकने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य जो खराब मानसून के कारण संकटग्रस्त हैं, को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों के पर्याप्त और उचित भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन को पनपने से रोकने की परंपरा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस इलाके के निजी रेलवे जोन द्वारा उत्पन्न किये जा रहे कम से कम 50% राजस्व के स्थानांतरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिशा में संभाव्य पर्यटन के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 5 लाख बी.पी.एल. लाभार्थियों को शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रस्तावित पालावरम प्रोजेक्ट के कारण कलकानगिरि के जलमग्न और बाढ़-ग्रस्त होने के संदर्भ में ओडिशा के तटों के साथ बंदरगाहों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिशा के तटों के साथ बंदरगाहों के विकास के बारे में कोइई उल्लेख नहीं है।'' (112)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय संस्कृति ओर साहित्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कटक, ओडिशा में राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंद मिलों के पुनरूद्धार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नबाकलेबर फेस्टिवल, 2015 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1397 करोड़ रुपये मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायिक जवाबदेही लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिशा में रेलवे के मूलभूत ढांचे को बढ़ाने जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिशा को विशेष आर्थिक पैकेज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अति सामान्य लाभ प्राप्त करने वाली खनन संस्थाओं, के ऊपर खनिज संसाधन भाड़ा कर लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक तीन वर्ष में रायल्टी दरों के संशोधन हेतु कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समयबद्ध तरीके से प्रत्येक परिवार में शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में में समयबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में क्रीड़ा स्टेडियम बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में और अधिक नर्सिंग और फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानदी और ब्राह्मणी नदी को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(132)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका जिले बिहार में सिंचाई सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चंदन बांध को साफ करने एवं उसकी ऊंचाई बढ़ाने में हो रही बड़े स्तर की लूट को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विशेषकर बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फुंसिया, बौंसी, बाराहाट कटारिया स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एक अस्पताल की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुंगेर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रावण महीने में सुल्तानगंज में गंगा से गंजाजल लेकर वेल्हर, सुरदया, कटेरिया, चंदन होते हुए पैदल चलकर देवघर लाए जाने को एक राष्ट्रीय पर्व घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना स्थित एम्स को मरीजों के लिए चालू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और पटना को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंगाजल को आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुक्त कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विशेषकर बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजना कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमालपुर स्थित रेल कारखाना को विनिर्माण कारखाना का दर्जा दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर में पहले से स्वीकृत डी.आर.एम. कार्यालय के शीघ्र निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका रेलवे स्टेशन को पर्याप्त यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर और बांका जिलों में हथकरघा उद्योग के पुनरुद्धार हेतु हथकरघा बुनकरों को केन्द्रीय वित्त सहायता मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

किि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बांका में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में कैंसर से ग्रस्त मरीजों के इलाज हेतु और सुविधाएं दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा उपचार मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

श्री रामचन्द्र हांसदा (मयूरभंज): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उन क्षेत्रों को जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, योजनागत क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों का समान और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करके क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के वादे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शक्ति के विकेन्द्रीयकरण तथा संविधान की पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में पारंपरिक जनजातीय न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

डॉ. (श्रीमती) रत्ना डे (नाग) (हुगली): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट मिल के कामगारों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीयस सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल जैसे ऋण के बोझ तले दबे राज्य को वित्तीय पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(173)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में नदियों पर जीर्ण-शीर्ण पुलों के पुनर्निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ई.एस.आई. अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त निधियां मुहैया कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा की औचित्यपूर्ण, समावेशी परिभाषा बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रास्फीति से निपटने और वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता तथा सरकार द्वारा किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण सुनिश्चित कराने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को सस्ती और राज-सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की प्रणाली को खत्म करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों द्वारा भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए नीति बनाने तथा अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन में लगे उद्योग प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में में और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने और देश में उच्च शिक्षा में दोगुने नामांकन के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार की सेवाओं और केन्द्र सरकार की इकाइयों में मौजूदा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(194)

कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"
(195)

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए)*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद]

डा. एम. तम्बिदुरै (करूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देन के लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहले मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से उद्धरण पेश करना चाहता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा:

"मैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष दिए गए काफी व्यापक और समावेशी अभिभाषण का स्वागत करती हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नई सरकार की नीति गत प्राथमिकताओं पर काफी प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है।"

महोदय, इस लोक सभा में काफी बातें पहली बार हुई हैं। पहली बार इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने हमारी पार्टी को तमिलनाडु की 39 सीटों में से 37 संसद सदस्यों को लोक सभा में भेजने के लिए माननीय अम्मा को भारी बहुमत दिया है। डॉ. अम्मा के कुशल नेतृत्व में यह तमिलनाडु की जनता की एक ऐतिहासिक विजय है। इस प्रकार हमारी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम. के 16वीं लोक सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मैं अपनी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. और अपनी नेता माननीय अम्मा की ओर से तमिलनाडु की जनता का उनके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

जनता ने तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री के प्रगतिशील नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि माननीय अम्मा तमिलनाडु में अपने तीन वर्षों के शासन की शानदार उपलब्धियों के साथ तमिलनाडु के लोगों को 'शांति, प्रगति और समृद्धि' के मार्ग पर ले जा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव से यह स्पष्ट हो चुका है कि डॉ. अम्मा लोगों के साथ हैं और लोग डॉ. अम्मा के साथ हैं।

तीन दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं और नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 4 में राष्ट्रपति महोदय ने स्थिरता, ईमानदारी और विकास जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है, के लिए मतदान करने हेतु लोगों की प्रशंसा की यह चुनाव परिणाम का निचोड़ है। हमारे साथी, कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान मनरेगा, खाद्य सुरक्षा विधेयक, शिक्षा का अधिकार आदि जैसी उपलब्धियों की एक बड़ी सूची दी है। उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है परन्तु, उनकी हार क्यों हुई है? क्या उन्होंने अपनी हार का विश्लेषण किया है।

यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय अम्मा ने 2009-2010 से डी.एम.के. और संप्रग सरकार के 2जी घोटाले का पर्दाफाश करना आरंभ किया। यह महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि, भाजपा इस जीत के लिए अन्य बातों को भी जिम्मेदार मान सकती है परन्तु, इस प्रकार के परिणाम का मुख्य कारण यह है कि भारत की जनता ने यह निर्णय लिया था कि देश में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार भ्रष्ट लोगों का संरक्षण कर रही थी इसलिए, लोगों ने उन्हें पराजित किया है। इस चुनाव का यह परिणाम है।

महोदय, आप पिछली लोक सभा में सदस्य थे। आप जानते हैं कि मैंने 2009 अर्थात् पन्द्रहवीं लोक सभा में कई बार 2जी स्पैक्ट्रम का मुद्दा उठाया था। उस समय जब वह सत्ता में थे तब उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, हमने लोक लेखा समिति जिसके सभापति डॉ. मुरली मनोहर जोशी थे, में भी इस विषय पर चर्चा की थी जिसके सभापति और हमारे पास अनेक साक्ष्य थे। उस समय जब हम प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखने जा रहे थे तब सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने उसे अस्वीकार करते हुए दबा दिया। परन्तु, हमने एक बार फिर से लोक सभा में आकर इस मुद्दे को उठाया है और संयुक्त संसदीय समिति में भी इस मुद्दे को उठाया है।

9 नवम्बर, 2010 को भी सभी सदस्यों ने आदर्श आवासीय घोटाला, राष्ट्रमंडल चोल घोटाला और 2जी स्पैक्ट्रम मुद्दे को उठाया था। मैंने 10 नवम्बर, 2010 को एक बार फिर 2जी घोटाले के मुद्दे को उठाया और पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन सरकार इस संबंध में कोई गंभीर कार्यवाही करे। उन्होंने पूर्व दूरसंचार मंत्री श्री राजा पर त्यागपत्र देने के लिए दवाब बनाया। परन्तु, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कुछ मुद्दे उठाए और कार्यवाही करना आरंभ किया परन्तु, तत्कालीन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपये की हानि हुई परन्तु एक पूर्व मंत्री और दूरसंचार मंत्री ने यह कहा कि शून्य हानि हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई हानि नहीं हुई और वही मंत्री दिल्ली की एक सीट पर लोकसभा चुनाव में 1,76,000 मतों से पराजित हुए। यह उनकी नियति है...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह बात सभी पर लागू होती है। एक समय तमिलनाडु से आपकी पार्टी के भी केवल दो सांसद चुनकर आए थे। आप इस संबंध में कोई तुलना मत कीजिए। ...*(व्यवधान)* हर बात का श्रेय मत लीजिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: अपने भाषण के दौरान आपने अपनी उपलब्धियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की। मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों ने आपकी उपलब्धियों को सम्मान क्यों नहीं दिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया और उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। आप जो कहना चाहते थे कह चुके हैं। कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

मैं यह कह रहा था कि उस समय सभा में मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट किया था और एक विमत टिप्पण भी दिया था। मैं जे.पी.सी. का सदस्य था और मैंने एक विमत टिप्पण भी दिया था। मैंने विमत टिप्पण में यह कहा था कि तमिलनाडु के लोगों ने मई 2011 के चुनाव में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के दोषी लोगों को पराजित करके एक कुशल, कर्मठ और तमिलों की रक्षक, पुराची थैलवी अम्मा को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुना है। मैंने जो कहा था उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य और जोड़ना चाहता हूं। अपने टिप्पण में मैंने कहा था कि हमें विश्वास है कि इस महान् राष्ट्र के महान् लोग– मैं इस बात को एक बार पुनः दोहराता हूं और यह कहना हूं कि हमें विश्वास है कि इस महान् राष्ट्र के महान लोगों (मैं तमिलनाडु का नहीं बल्कि महान भारत राष्ट्र की बात कर रहा हूं) ने अगले वर्ष लोक सभा चुनाव में भी ऐसा ही किया। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस महान देश के महान लोगों ने (मैंने केवल तमिलनाडु नहीं कहा बल्कि महान भारत राष्ट्र कहा है) अगले वर्ष के लोकसभा चुनावों में भी वही किया। आपके दल को केवल 54 सीटें मिलीं क्योंकि आपने कभी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। आपने न ही 2जी मामले को गंभीरता से लिया और न ही उसके बाद हुए कोलगेट के मामले को जिसका परिणाम यह हुआ कि तमिलनाडु में हर किसी ने (अ.भा.अ.द्र.मु.क.) को वोट दिया। आपके सहयोगी यू.पी.ए. ने आपको धोखा दिया।

अपने भाषण में आपने कहा कि वोटों के प्रतिशत की बात की और कहा कि बी.जे.पी. को मात्र 31% वोट मिले हैं। तमिलनाडु में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा? आपको केवल 4.2% वोट मिले। आपने अपने सारे जमा खो दिये। यह आपका भाग्य है। इसके विपरीत 75% में से हमें 44.3% वोट मिले। 53% से भी अधिक मतदाताओं ने हमारे पक्ष में वोट दिया। आपके सहयोगी यू.पी.ए. को जिसने आपको धोखा दिया, को मात्र 21% वोट मिले और वह एक भी सीट नहीं जीत पाये।

आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने तेलगू देशम पार्टी को वोट दिया न कि आपकी पार्टी को। तेलंगाना में लोगों ने टी.आर.एस. को वोट दिया। यहां तक कि भाजपा को भी

वहां केवल एक सीट मिली ओडिसा में भी कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और बी.जे.डी. को 20 सीटें तथा भाजपा को एक सीट मिली। पश्चिम बंगाल में टी.एम.सी. को 34 सीटें मिलीं। टी. एम.सी. को 34 सीटें मिलीं। कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें नहीं ले पाई और भाजपा को पश्चिम बंगाल में केवल दो सीटें मिलीं। मैं ऐसा इसलिये कहा रहा हूं क्योंकि तटीय और दक्षिण हिस्सों में यू.पी.ए. सरकार के भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने हमें वोट दिया और भाजपा को नहीं दिया। यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को देखें तो वहां लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार क्यों हुई? मुझे यह कहते हुए खेद है, किन्तु मुलायम सिंह जी, दुर्भाग्यवश आपने उस समय कांग्रेस पार्टी का साथ दिया।

मैं कर्नाटक के संबंध में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछली बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में आपने 19 सीटें जीतीं पर इस बार आप केवल 17 सीटें ही जीत पाये। अत: कर्नाटक में आपको दो सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा का यह प्रदर्शन अच्छा नहीं है। मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और दोनों ही बुरी तरह से हारे। भाजपा बिहार में भी जीती। वे इसे एक लहर कह सकते हैं। वह एक अलग चीज है किन्तु मेरे विचार से भ्रष्टाचार विरोधी और कांग्रेस विरोधी लहर है। यह सब तमिलनाडु की हमारी मुख्यमंत्री अम्मा के द्वारा 2008 से शुरू किया गया और यह उसी का परिणाम है। अत: सारा श्रेय अम्मा को जाता है। जिन्होंने 2जी स्पैक्ट्रम के आबंटन में हुए घोटाले के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। अत: इस चुनाव का केन्द्र बिन्दु यही था। इसीलिये मैंने यह मुद्दा उठाया है।

और भी बहुत सी चीजें हैं। उदाहरणत: प्रवर्तन निदेशालय अभी भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। अनेक वी.आई.पी. तमिलनाडु के भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं किन्तु अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राष्ट्रपति जी ने कहा, "न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है।" फिर भी न्याय नहीं किया जा रहा। लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है और हमें पूरी आशा है कि नई सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी और 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले से जुड़े लोगों को सजा अवश्य दी जायेगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अनुच्छेद 7 में गरीबी हटाने की बात की है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि गोदामों में पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा है और चूहे उसे खा रहे हैं। अत: सरकार उसे लोगों में मुफ्त बांट दे। किन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। वे खाद्य सुरक्षा कानून लाये और चावल का दाम 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं का दाम 2 रुपये प्रति किलो तय किया। किन्तु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तमिलाडु हमारी मुख्य मंत्री अम्मा ने अनाज मुफ्त में बांटा। अत: मैं उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति माह 20 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया। यह है खाद्य सुरक्षा। यदि आप 3 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर चावल दे रहे हैं तो यह खाद्य सुरक्षा नहीं है। आप उन्हें भुगतान करने के लिये कह रहे हैं। मैंने सरकार से कई बार आग्रह किया कि अनाज मुफ्त में दिया जाए क्योंकि लोगों को खाना चाहिये। आपको यह सुरक्षा देनी है। आपके पास पर्याप्त भंडार हैं। अन्य कार्यक्रम उसके बाद लागू किये जा सकते हैं। इसीलिये मैंने आपसे यह मामला उठाने का निवेदन किया था।

जहां तक विवाह में सहायता देने का प्रश्न है– जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में विवाह एक बहुत बड़ा कार्य है। महिलाओं को इसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं। अत: हमारी मैडम एक ऐसी योजना लागू कर रही हैं जिसके अंतर्गत विवाह खर्चों के लिये 50,000 रुपये और चार ग्राम सोना दिया जाता है। ये सभी कल्याणकारी उपाय हैं। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी ने गरीबी उन्मूलन की बात की है। अत: यह है तमिलनाडु मॉडल जिसका अनुपालन पूरे देश में होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में मिक्सर ग्राइंडर और बिजली के पंखे भी मुफ्त दिये जा रहे हैं। मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ लैपटॉप, कम्प्यूटर, साइकिल, वर्दी और जूते भी मुफ्त दिये जा रहे हैं। मैंने श्री अखिलेख यादव जी से यह परियोजना लागू करने का निवेदन किया था और उन्होंने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिये हैं। अत: इस प्रकार की योजनाएं लागू करने में हमारी मैडम पुरोधा हैं। इसीलिये मैं इन सब बातों का उल्लेख कर रहा हूं।

विकास के बहुत से मॉडलों पर यहां चर्चा की गई है। गुजरात मॉडल और अन्य मॉडलों के बारे में बात की है। मैं निवेदन करूंगा कि तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाए।

हमारी मुख्यमंत्री इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में अग्रणी रही हैं। कांग्रेस सरकार बहुत से कार्यक्रम लाई किन्तु फिर भी वे जीत नहीं पाये; हम न केवल कार्यक्रम लाये बल्कि हमने उन्हें सफलतापूर्वक तमिलनाडु में लागू भी किया। इसीलिये हम 39 में से 37 सीटें जीत पाये। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों को हमारी नेता में दृढ़ विश्वास है। तमिलनाडु

में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है। किन्तु पिछली कांग्रेस सरकार इस मामले में कार्यवाही करने में विफल रही और इसीलिये वे चुनाव हार गये।

महोदय, मेरा अगला निवेदन कृषि क्षेत्र के संबंध में है। माननीय राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया था कि हमारे देश के अधिकांश लोगों की जीविका का साधन कृषि है। हमने कृषि पर अनेकों बार चर्चा की है। हर कोई कृषि में रुचि रखता है। सरकार इसके संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाना अनिवार्य है। प्राचीन समय से ही कृषि हमारा मुख्य आधार रही है। कृषि के बिना हमारा जीवित रहना कठिन है। हमारे पास अनेक उद्योग और अनेक सेवा क्षेत्र हो सकते हैं। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त है। यदि आप कृषि को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के सामने काफी समस्याएं आएंगी। अधिकांश व्यक्ति कृषि पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। परन्तु, उसकी स्थिति क्या है? पर्याप्त वर्षा नहीं होती और जब सूखा पड़ता है तो हम देश को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाते। इसके परिणामस्वरूप लोग पीड़ित होते हैं। अत:, इसे देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्कता है। अत: मैं कृषि क्षेत्र का उल्लेख किए जाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को बधाई देता हूं।

अपने अभिभाषण के पैरा 11 में माननीय राष्ट्रपति ने यह उल्लेख किया है कि सरकार नदियों को आपस में जोड़ने सहित जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए वचनबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में नदियों को आपस में जोड़ने का उल्लेख किया है। यह अत्यावश्यक है। चीन में अनेक नदियां आपस में जुड़ी हुई हैं। चूंकि, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है तो हम नदियों को आपस में जोड़े बिना किस प्रकार कृषि कर सकते हैं? हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली है जल और दूसरी खाद्यान्न।

महोदय, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं पुलिस बल के आधुनिकीकरण के मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हम यहां देश में शासन करने के लिए आए हैं। प्राचीन काल में राजाओं और सम्राटों ने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह सब किया जो कुछ वे कर सकते थे। उस समय राजा और सम्राट नागरिकों और उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता देते थे। हमें देश के नागरिकों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करनी है। परन्तु, आजकल हमारे देश में आतंकवाद और विध्वंस की अनेक घटनाएं हो रही हैं। हमारे नागरिकों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। हम शासन चला रहे हैं और हम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी बातें बाद में आएंगी। इसके लिए हमें पुलिस का आधुनिकीकरण करना होगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने यही कहा है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। यह सरकार इस संबंध में गंभीर है। सरकार को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निधियां आवंटित करनी चाहिएं। राज्य सरकारों को और अधिक निधियां प्रदान करनी होंगी क्योंकि उन्हें ही यह कार्य करना है। आजकल प्रत्येक राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। मैं स्वयं एक ऐसे स्थान से आता हूं जिसकी सीमा बंगलुरू शहर से लगती है। अपराधी तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं। परन्तु, हमारी पुलिस पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हमें पुलिस के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। अपराधियों का मुकाबला करने के लिए हमें हमारे पुलिस बलों को नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करना होगा और हमें यह भी देखना है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु और निधियां आवंटित की जाएं। मैं वर्तमान सरकार से ईमानदारी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि रक्षा के बाद सरकार को पुलिस बल हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। उन्हें नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। वर्तमान में हमारे पुलिस बलों के पास पुराने अस्त्र-शस्त्र हैं। सरकार को और अधिक समझदार, सेवा के लिए उपयुक्त और प्रतिबद्ध लोगों को पुलिस बल में भर्ती करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें अधिक वेतन प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हम समाज को अच्छे और प्रतिबद्ध लोग उपलब्ध करा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा प्रदूषण है। हम केवल गंगा नदी के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। कावेरी जैसी अन्य नदियों की क्या स्थिति है? आप ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, कृष्ण जैसी अन्य नदियों की स्थिति भी देखिये ये सभी नदियां भी प्रदूषित हैं। अत:, ऐसा मत सोचिए कि केवल गंगा नदी को ही साफ किए जाने की आवश्यकता है। अन्य नदियां भी राष्ट्रीय स्तर की नदियां हैं। आप कृपया सोचिए कि इन नदियों को कैसे बचाया जाए क्योंकि, ये पेयजल का एकमात्र स्रोत हैं। अन्यथा, हमें पेयजल भी उपलब्ध नहीं होगा। हम पेयजल कहां से लाएंगे? हमारे पूर्वजों ने इन सभी नदियों को संरक्षण किया और इस कारण से ही हम स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर पा रहे हैं। वर्तमान में यदि आप 1000 फुट तक की बोर वैल की खुदाई करते हैं तो भी आपको प्रदूषित जल मिलेगा।

सभी नदियां प्रदूषित हैं। इसके लिए आपको जल शोधन संयंत्रों पर एक बार फिर धनराशि व्यय करनी होगी। इस व्यय से बचा जा सकता है। आप एक मास्टर प्लान तैयार कीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि प्रदूषण फैलाने वाली कोई सामग्री नदी में न जाए। साफ सफाई करने से पैदा हुआ अपशिष्ट भी नदी में न जाए। औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाला कचरा भी नदी में नहीं गिरना चाहिए। नदी एक पवित्र जल निकाय होता है और हमें उसे बचाना है। नदियां हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत हैं।

अत:, मैंने जिन दो गंभीर मुद्दों का उल्लेख किया है उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उनमें से एक मुद्दा देश के नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हम महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं और हमें सुरक्षा मिल सकती है। परन्तु, आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? आज ऐसे लोगों का जीवन खतरे में है। कोई घटना घटने के बाद हम उसकी आलोचना करते हैं और यह चर्चा करते हैं कि ऐसी घटनाएं इन-इन राज्यों में घटी हैं और सरकार ने क्या किया है। यह कोई समाधान नहीं है। आपको आरंभ से ही प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्र सरकार इस संबंध में पर्याप्त निधियां स्वीकृत करे। क्योंकि सभी स्रोत केन्द्र सरकार के पास हैं। सभी प्रकार के कर केन्द्र सरकार के पास जाते हैं। राज्य सरकारों के पास कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। राज्य केन्द्र सरकार की दया दृष्टि पर निर्भर हैं। सभी राज्य धनराशि के लिए केन्द्र के पास आते हैं। गत 20 वर्षों के दौरान सबका केन्द्रीयकरण कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने कराधान की सभी शक्तियां ले ली हैं। अत:, मैं आपसे राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि वे उक्त धनराशि का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करें जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस देश में शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि हम मानव जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे यहां होने का क्या औचित्य है? यदि हम आम आदमी को स्वच्छ पेयजल प्रदान नहीं कर सकते तो हमारा संसद में मौजूद होने का क्या औचित्य है? यदि हम लोगों को भोजन नहीं दे सकते तो हमें यहां क्यों होना चाहिए? हम यहां संसद में आकर चर्चा और शोर-शराबा करके वापस चले जाते है। यह संसदीय प्रणाली के कार्यकरण का उचित तरीका नहीं है। मुझे आशा है कि अभी मैंने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है आप उन पर गंभीरता से कार्यवाही करेंगे।

जहां तक नदियों को आपस में जोड़ने का संबंध है, श्री वाजपेयी जी की सरकार के दौरान भी हमने इस पर चर्चा की थी। राजग सरकार के दौरान मैं भी कैबिनेट मंत्री था। हमने इस विषय पर चर्चा की थी और बाद में उसे छोड़ दिया। सभी नदियों को आपस में जोड़ना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। अन्यथा, हम समस्या का सामना करते रहेंगे। मेरे मित्र श्री अनंत कुमार का कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है। परन्तु एक मंत्री के रूप में पहले उन्हें वह सुनना होगा जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद वह अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं।

जल समस्या के मामले में, तमिलनाडु सरकार के सतत प्रयासों और भारत के उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेत्र के बाद भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2013 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को अधिसूचित कर दिया।...*(व्यवधान)*

महोदय, कृपया मुझे पहले बोलने दें। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। उसके बाद, आप अपनी बात कह सकते हैं।

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है। अत:, मुझे भी बोलने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)* महोदय, आपको उन्हें इस मामले को उठाने से रोकना चाहिए क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। कावेरी नदी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। यह न्यायालय के विचाराधीन है। वह इस मुद्दे को नहीं उठा सकते।. ..*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरै: यह न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। यदि यह न्यायालय के विचारधीन है तो इसे हटाया जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुझे पहले बोलने दें।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: उन्होंने मेरे नाम का भी उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरै (करूर): मैं इस पर विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूं। यदि वास्तव में, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तब महोदय, आप इसे कार्यवाही से निकाल दें। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, यदि यह न्यायालय के विचाराधीन है, तब इस पर बात न करें।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः तो केवल असंसदीय शब्दों को हटाया जाए। जब मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह सर्वोच्च मंच है। मुझे यहां बोलने का अधिकार है।...*(व्यवधान)* तमिलनाडु सरकार भारत सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक बोर्ड के गठन हेतु आग्रह करती आई है। यह हमारा निवेदन है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः मैं अगली बात पर आ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः मुल्लापेरियार बांध के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।...*(व्यवधान)* 7 मई, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें वृद्धि करने का निर्णय दिया था, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः श्री तम्बिदुरै, कृपया उन्हें बोलने दें। *...(व्यवधान)* यह पूर्णतः गलत है।...*(व्यवधान)* वह कावेरी के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि कावेरी मामला न्यायालय के विचाराधीन है।...*(व्यवधान)* उसके कारण कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए। वे बैठ जाएंगे। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के आने से पहले एक निरीक्षण समिति का गठन करे ताकि तमिलनाडु द्वारा मुल्लापेरियार बांध में 142 फीट तक पानी एकत्र करने के आदेश का शीघ्र कार्यान्वयन हो सके।...*(व्यवधान)*

नदियों को जोड़ने के संबंध में, तमिलनाडु सरकार भारत सरकार से "प्रायद्वीपीय नदियों के विकास घटक" के तहत महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-पालार-कावेरी और तत्पश्चात् गुण्डर तक नदियों को जोड़ने के कार्य के कार्यान्वयन के लिए आग्रह करती आयी है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः माननीय सभापति महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया है। *...(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरैः केन्द्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे कार्यान्वित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः डॉ. तम्बिदुरै को अनुमति दे देनी चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरैः मैं नहीं दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः माननीय तम्बिदुरै, श्री अनंत कुमार बोलने के लिए खड़े हैं। उन्होंने यह कहते हुए कुछ न्यायिक आपत्तियां उठायी हैं कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मैं उन्हें समय दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः पहले ही, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यदि, इसके बाद भी यहां कुछ असंसदीय है तो आप मेरे भाषण के उस हिस्से को निकाल सकते हैं।...*(व्यवधान)* परन्तु मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः धन्यवाद, माननीय सभापति जी। मैं इस महान सभा के समक्ष केवल एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। कावेरी जल न्यायाधिकरण पंचाट कर्नाटक राज्य के लिए मृत्यु दंड बन चुका है। हमने उस न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी है। सभी तीनों राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने कावेरी जल न्यायाधिकरण पंचाट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनाती दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है।...*(व्यवधान)* इस पर सुनवाई होती है।...*(व्यवधान)* अतः, वे इसे उठा नहीं सकते।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य, डॉ. तम्बिदुरै इस मामले को यहां नहीं उठा सकते। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः मैं सभा की कार्यवाही का अध्ययन करूंगा। यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है, मैं इसे हटा दूंगा।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरैः मैं अगली बात पर आता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देश दिया है कि नदियों को जोड़ने के कार्य के कार्यान्वयन हेतु एक विशेष समिति का गठन करे। मैं भी केवल उसी विषय को उठा रहा हूं। दुर्भाग्य से, मंत्रालय ने नदियों के संयोजन के कार्यान्वयन हेतु कोई

आगे कदम नहीं उठाया है। मैं केन्द्र सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह करता हूं।

पैरा 15 में, राष्ट्रपति ने सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में बोला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांवों में, घरों में स्वच्छता की कोई सुविधा नहीं है। अत:, हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बनने वाले घरों में शौचालयों की सुविधा हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले से ही राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। तमिलनाडु सरकार, मैडम के नेतृत्व में, 'सन् 2015 तक कोई खुले में शौच नहीं' का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया गया है। अत:, हम चाहते हैं कि इसका शीघ्रता से कार्यान्वयन हो। इसलिए, हमें केन्द्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है।

जहां तक संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रश्न है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में जब मैं विधि मंत्री था, तब मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय जब मैंने महिलाओं के 33% आरक्षण देने संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया तो कुछ सदस्य आये और विधेयक को उठाकर फेंक दिया। एक सप्ताह बाद मैंने पुन: यह विधेयक प्रस्तुत किया। मेरी नेता माननीय मुख्यमंत्री अम्मा चाहती हैं कि 33% आरक्षण तुरंत लागू हो। हमारी पार्टी में उन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया है।...*(व्यवधान)* स्थानीय निकायों में छ: सीटों पर मेयर के पद हेतु हुए चुनावों में चार सीटों पर महिलाएं हैं और निगम की छ: सीटों के लिये हुए चुनावों में से चार पर महिलाएं हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, हमें यह देख कर खुशी हुई कि माननीय राष्ट्रपति जी ने पैरा 20 में सहकारी संघवाद की चर्चा की है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पिछले बीस वर्षों के दौरान देश के संघीय ढांचे के प्रति केन्द्र का दृष्टिकोण सम्मानजनक नहीं रहा है। राज्यों को पर्याप्त शक्तियां और संसाधनों का समुचित आबंटन नहीं किया जा रहा। मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अत: इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

शिक्षा के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार करने की शक्ति राज्यों को दी थी और शिक्षा को राज्य सूची में सम्मिलित किया था। वर्ष 1970 के बाद जब भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। किन्तु समवर्ती सूची में डालने से क्या हासिल हुआ कुछ नहीं। हमने अपनी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है तो हमें राज्य सरकारों को शक्ति देनी ही चाहिये। केवल राज्य सरकारें ही यह कार्य बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकती हैं। संस्कृति है, और भी कई चीजें हैं। बहुत से माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं, कभी न कभी अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी इस समस्या का सामना किया होगा। जब किसी गांव में कोई स्कूल खोला जाता है तो केन्द्र सरकार वहां जाकर स्थिति नहीं देख सकती। केवल राज्य सरकार ही यह कार्यान्वयन करा सकती है।

जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध है, आप दिशा-निर्देश दे सकते हैं। वह एक अलग मामला है। यदि आप शिक्षा में समानता चाहते हैं तो आप दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं किन्तु लागू करने की शक्ति राज्य सरकारों को दें। क्या केन्द्र सरकार राज्य में स्कूल का निर्माण कर सकती है? क्या आप वहां शिक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? क्या आप इस आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिये पाठ्यक्रम बना सकते हैं? इसीलिये हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं। कृपया शिक्षा को फिर से राज्य सूची में सम्मिलत करें और समवर्ती सूची से हटा लें। केवल तभी आप जैसा कि कह रहे हैं, मातृभाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है और अन्य चीजें, की जा सकती हैं।

महोदय, यहां उपस्थित अधिकांश माननीय सदस्य अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। मैं इस समय अंग्रेजी बोल रहा हूं। मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूं? यही समस्या है। यदि आपने तमिल को भी समान दर्जा दिया होता तो आज मैं उसी भाषा में बोलता।

भाषा के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आठवीं अनुसूची में देश की अनेक सी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा करके भी क्यों विशेष भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा की पहचान दी गई है? क्या आप सभी 18 भाषाओं को इस देश की राष्ट्रीय भाषाएं नहीं बना सकते? यह एक अच्छी भावना है। यदि आप वास्तव में इस देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी आदि सभी भाषाओं को देश की राजभाषा बनाएं। कृपया सभी भाषाओं को समान दर्जा दें। अन्य भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार न करें। यदि आप सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे तभी ढांचा अर्थपूर्ण सिद्ध होगा। आपको देश की सभी भाषाओं को सम्मान देना होगा। हम सब एक हैं। हम सब भारतीय हैं। सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। अत: सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिये। यदि सभी भाषाओं को राष्ट्रीय या राज भाषाएं बना दिया जायेगा, तो संघवाद सफल होगा। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। तभी सच्चे अर्थों में संघवाद स्थापित हो पायेगा।...*(व्यवधान)*

भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में बात करें तो माननीय राष्ट्रपति जी ने पैरा 23 में कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति पाने के लिये दृढ़ संकल्प है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार पहले ही एस.आई.टी. का गठन कर चुकी है। मैं उसका स्वागत करता हूं किन्तु कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। हम स्विट्जरलैण्ड के बैंकों में पड़े काले धन के बारे में चर्चा करते रहते हैं और भी बहुत-सी बातों पर चर्चा करते रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपये विदेशों में पड़े हैं, यदि वह सारा धन वापस आ जाये तो देश की जनता को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जो कुछ मुफ्त में देना चाहते हैं, दे पायेंगे। यदि सरकार इस संबंध में पूर्ण रूप से गंभीर है तो एस.आई.टी. को सक्रिय होने दें। जिस किसी ने भी विदेशों में काला धन जमा कर रखा है, वह जल्दी से जल्दी वापस आना चाहिये। सरकार उसे देखे।

वस्तु और सेवा कर के संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर आरंभ करने से पूर्व इसमें राज्यों की चिंताओं का समाधान अवश्य होना चाहिये। हम सरकार के नेक इरादे, सुइच्छा का स्वागत करते हैं। तमिलनाडु से हमारी मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में अपनी अनेक चिंताएं जताई है। मेरा निवेदन है कि वस्तु और सेवा कर आरंभ करने से पूर्व उनका समाधान अवश्य कर लिया जाए। अन्यथा, पैसे के बिना हमारे लिये सरकार चलाना कठिन हो जायेगा। हम पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जायेंगे। यदि किसी रेस्तरां में जाते हैं तो हम टैक्स का भुगतान करते हैं। छोटे शहरों में अधिकांश होटलों में केवल एक कमरा ही वातानुकूलित होता है। उसके माध्यम से भी आप टैक्स वसूल करते हैं। यह पहले केन्द्र को जाता है।

हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जो हमारे ही राज्य से हैं, वे चुनाव में खड़े भी नहीं हो पाये। इन क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता उसी प्रकार की है। उस व्यक्ति ने पूरा माहौल ही खराब कर रखा है। उन्होंने यहां अनेक बार बजट प्रस्तुत किये हैं और देश को गुमराह किया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों की शक्तियों को छीन लिया है और अधिकांश राज्यों को धनराशि भी आबंटित नहीं की हैं। तमिलनाडु की बहुत क्षति हुई है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार हेतु अनेक सभाओं को सम्बोधित किया, विशेष रूप से तमिलनाडु में, तो उन्होंने कहा कि वह एक पुन: गणक मंत्री हैं। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पूरा माहौल खराब किया है। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे राज्यों के प्रति उदार हों, राज्यों को और शक्तियां प्रदान करें, और धनराशि आबंटित करें। जब आप वस्तु और सेवा कर लागू करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वस्तु और सेवा कर से एकत्रित धनराशि का कुछ हिस्सा राज्यों को दिया जाए। केवल तभी राज्य अपने कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकते हैं। वैसे भी केन्द्र कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहा। केन्द्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को ही करना होता है। उनके पास जनता के लिये कार्यक्रम लागू करने के लिये पूरी मशीनरी उपलब्ध है। यदि केन्द्र सरकार वास्तव में संघीय ढांचे का सम्मान करती है तो कृपया इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को और अधिक धनराशि आबंटित करे।

मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता। जहां तक श्रीलंका के मुद्दे का सवाल है, हमारी मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा में पहले ही एक संकल्प पारित किया है, ताकि श्रीलंकाई तमिलों को न्याय प्राप्त हो सके। श्री रेड्डी के भाषण के दौरान मैंने यह मुद्दा उठाया था। 13वां संशोधन जो राजीव गांधी और जयवर्द्धने के बीच हुए समझौते के कारण अस्तित्व में आया, को पूरी तरह से लागू किया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 13वें संशोधन को लागू किए जाने के बाद ही श्रीलंकाई तमिलों को न्याय मिलेगा। तब तक वे लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। हम श्रीलंकाई तमिलों के लिए बराबरी का दर्जा चाहते हैं। हमारा यही अनुरोध है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू श्रीलंका में चलाए गए सैन्य अभियान के दौरान की गई मानव हत्याओं से संबंधित है। भारत की सरकार ने अनेक बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और बाद में सरकार पीछे हट गई। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह प्रभावित लोगों के पुनर्वास और अपराधियों को दंड दिए जाने के संबंध में एक संकल्प पारित करे। तमिलनाडु सरकार ने विध ानसभा में यही संकल्प पारित किया है। संघात्मक ढांचे के एक सिद्धांत के रूप में केन्द्र सरकार को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए गए संकल्प का सम्मान और तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए।

तमिलनाडु के मछुआरों के बारे में श्री रूडी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क नेताओं के भारत दौरे के समय पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकारों ने भारतीय मछुआरों को मुक्त कर दिया था। उस समय उन्होंने भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? उन्होंने फिर से तमिलनाडु के 244 मछुआरों को पकड़ लिया है। मछली पकड़ना इन मछुआरों की जीवन शैली है। उन्हें मछली पकड़ने का पूरा अधिकार है। कच्चातीबू भारत का क्षेत्र था परन्तु, इंदिरा गांधी के शासनकाल में वह क्षेत्र श्रीलंका को दे दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद में संविधान में संशोधन

किए बिना हम भारत का कोई भी क्षेत्र किसी को नहीं दे सकते। परन्तु, कच्चातीवू क्षेत्र दे दिया गया। वह भारत का भू-भाग था; वह हमारे देश का हिस्सा था। केवल कच्चातीवू दे दिए जाने के कारण ही यह मुद्दा बना हुआ है। तमिलनाडु के मछुआरे उस क्षेत्र में मछली पकड़ने के आदी हैं परन्तु, अब श्रीलंका हमारे मछुआरों को वहां मछली पकड़ने के लिए जाने की अनुमति नहीं दे रहा है? इसलिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं? वे न केवल हमारे मछुआरों को पकड़ते हैं बल्कि, उनकी हत्या भी कर दी जाती है? श्रीलंका सेना द्वारा की गई गोलीबारी से तमिलनाडु के लगभग 500 मछुआरों की मौत हो गई है। मैं यह नहीं समझ पर रहा हूं कि हमारी नौसेना वहां क्या कर रही है? अत:, मेरा अनुरोध है कि कम से कम इस सरकार को इस संबंध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए। श्रीलंका की सरकार न केवल तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार और उनका उत्पीड़न कर रही है अपितु, उनकी हत्या भी कर रही है। श्रीलंका की नौसेना उनकी नौकाओं आदि को जब्त करके वहां रख लेती है। मैं सरकार से इस संबंध में कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री पहले ही माननीय प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री को अनेक पत्र लिख चुकी हैं जिसमें उन्होंने सरकार से मछुआरों की जब्त की गई नौकाओं को छुड़वाने और श्रीलंका की जेल में बंद मछुआरों को रिहा करने का अनुरोध किया है।

3 जून, को हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की और वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरकार ने तमिलनाडु सरकार से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और जो कुछ धनराशि तमिलनाडु सरकार को जारी की जानी थी वह पूर्व वित्त मंत्री ने राजनैतिक कारणों से जारी नहीं की। वह चाहते थे कि ए.आई.ए.डी.एम. के पार्टी कठिनाइयों का सम्मान करे। अत:, मैं यह मानता हूं कि यह सरकार हमारे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और तमिलनाडु को बकाया धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

कुल मिलाकर, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं और उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री कल्याण बनर्जी। श्री बनर्जी इससे पहले कि आप अपना भाषण आरंभ करें मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री श्री अनंत कुमार ने एक मामला उठाया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि न्यायपालिका में जो मामले लंबित पड़े हुए हैं? उन पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा। यदि यह सही है तो उसकी कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आदरणीय सभापति जी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं और हम भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उक्त अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने हमारे देश के विकास हेतु अपनी नीतियों का उल्लेख किया है। उनमें कुछ नई नीतियां है और शेष, नए नाम से पुरानी नीतियों की पुनरावृत्ति है तथा, यह एक नई सरकार है। हम नई सरकार के प्रदर्शन को धैर्य से देखना चाहते हैं। हम अभिभाषण में उल्लिखित नीतियों के कार्यन्वयन के लिए उन्हें समय देने के लिए तैयार हैं।

यदि सरकार देश की बेहतरी के लिए सकारात्मक कार्य करती है तो हम उसी सीमा तक ऐसे प्रदर्शन की प्रशंसा करेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। यदि सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है तो हम उसे अपना समर्थन देंगे। परन्तु, यदि सरकार का कोई कार्य राष्ट्रीय हितों लोगों के हितों के विपरीत है विशेष रूप से निर्धन लोगों, इस देश के सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल के विपरीत है तो हम ऐसी कार्यवाही और नीति का पुरजोर विरोध करेंगे। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, राज्य सरकार को विश्वास में ले। मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि वह हमारे देश की बेहतरी, शांति और सौहार्द की कीमत पर किसी विशेष राजनैतिक दल या किसी धार्मिक संगठन के एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास न करे।

माननीय सभापति, भारत के निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से देश में आम चुनाव संपन्न कराए हैं। हम भारत के निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते हैं। इस सरकार को केवल 31 प्रतिशत मत मिले हैं; उन्हें स्पष्ट अधिदेश नहीं मिला है। तथापि, उन्हें सीटों में बहुमत प्राप्त हुआ है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। किसी लोकतंत्र में हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। हम इस सरकार से निर्धन वंचित लोगों और ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए अपने सिद्धांतों नीतियों को लागू करने का अनुरोध करते हैं। भारत गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। उन पर और अधिक ध्यान, अधिक समय दिए जाने तथा और अधिक सुविधाएं और सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश की बेहतरी के लिए ग्रामीण भारत का निर्माण करने के महात्मा गांधी जी के सपने का पूरा करने की आवश्यकता है। प्राय: हम अपने भाषणों में महात्मा गांधी जी के भाषणों का उल्लेख करते

हैं परन्तु, हम गांधी जी की नीतियों को लागू नहीं करते। ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए उनके सपनों को पूरा करने की आवश्यकता है। आपको हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए।

हमारी उत्पत्ति ही विविधता में एकता हमारी संस्कृति से हुई है। इसी सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे संविधान की भावना के अनुरूप उन पर अधिक ध्यान दिए जाने तथा और स्नेह प्रदान करने की आवश्यकता है। स्मरण रहना चाहिए कि सरकार निर्धन वर्ग के लोगों की संरक्षक और प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षक है। कृपया किसी धार्मिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी संवैधानिक अधिकार का हनन न किया जाए।

सभापति महोदय, अल्पसंख्यक भारतीय राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमारे देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अल्पसंख्यकों हेतु सभी योजनाओं का लाभ निम्नतम स्तर तक पहुंचना चाहिए। कृपया हमारे देश की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखिए जोकि, इस समय अस्थिर है। कृपया आर्थिक स्थिरता और नीतियों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। कृपया लोगों के हितों को ध्यान में रखें। यदि ऐसा होता है यदि आम लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए कोई आर्थिक नीति बनाई जाती है तो नि:संदेह हम उसका समर्थन करेंगे। परन्तु, आर्थिक स्थिरता के नाम पर, केवल कुछ उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कृपया इस देश के निर्धन लोगों की आशाओं और अधिकारों को धूमिल न करें। यदि आर्थिक स्थिरता संबंधी नीति इस देश के लाभ के लिए है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

महोदय, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है। उससे पहले लगभग 35 वर्षों तक वहां वाम मोर्चा की सरकार थी। हमारी सरकार के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपये का ऋण थोप दिया गया है। यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है। हम सरकार से ऐसे ऋण और ब्याज को माफ करने का अनुरोध करते हैं। पहले भी हमने पूर्व सरकार से इसके लिए अनुरोध किया था परन्तु, हमारे अनुरोध पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पूर्ण सरकारों के 35 वर्षों के कार्यकाल के कारण हम इस ऋण और ब्याज के बोझ तले दबे हुए हैं। हम आपसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। सभी जनजातीय और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल अवश्य मिलना चाहिए। बी.पी.एल. कार्डों को तुरंत बनाया जाना चाहिए। यह रोक दिया गया है। इसकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। शहरों में यह 18 से 20 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 25 प्रतिशत है। मैं सरकार से इन बी.पी.एल. कार्डों की संख्या 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कार्यनिष्पादन का अवलोकन अपेक्षित है और आगे अधिक अध्ययन करना अपेक्षित है। ऐसे लोग जो बी.पी.एल. सूची के अंतर्गत आने के पात्र हैं, को बी.पी.एल. सूची में ही शामिल किया जाना चाहिए। जहां तक इस दिशा में कार्य करने का प्रश्न है, सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिये।

हमारे देश के लिए अवसंरचना विकास अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रत्येक गांव में, सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें पक्का बनाया जाना चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग सड़कों की अच्छी स्थिति, इत्यादि से वंचित क्यों रहें? हमारे मुख्यमंत्री ने एक दिन में ही इस संबंध में एक परियोजना प्रारंभ की है। पश्चिम बंगाल में लगभग 16 हजार किलोमीटर लम्बे सड़क का निर्माण होने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु इसी प्रकार की योजनाओं को शुरू करना चाहिए। जहां तक अपने देश का प्रश्न है, मैं एक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क मिशन के गठन का अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा एक मिशन शुरू होता है, अंतत: हम सड़क का निर्माण शुरू कर सकते हैं। हम 1998-99 में अटल जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नहीं भूल सकते, जब पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ था। वह उनका सपना और लक्ष्य था, जिसे काफी सीमा तक पूरा कर लिया गया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार के लक्ष्य को प्रारंभ करने का निवेदन करूंगा ताकि सभी ग्रामीण सड़कों को पक्का कर दिया जाये।

सरकार को धान और जूट के समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए। कम समर्थन मूल्य के कारण कृषक नुकसान उठा रहे हैं। पहले, जब वर्तमान सरकार विपक्ष में थी, वे स्वयं ही मांग कर रहे थे कि समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि उस समय के विपक्ष के नेता समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को भूले नहीं होंगे। इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जूट के मामले में भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। कानून में इस सीमा तक संशोधन होना चाहिए कि जूट के बैगों को शत प्रतिशत प्रयोग में

लाया जाये। यदि ऐसा किया जाता है, तो किसी भी जूट उद्योग को नुकसान नहीं होगा।

महोदय, पश्चिम बंगाल में ढेर सारे जूट उद्योग हैं। चूंकि सुरक्षा कम है और बिक्री भी कम है, जूट उद्योग कम होते जा रहे हैं। अत:, सरकार को जूट उद्योगों के उन्नयन और विकास हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इस देश के गरीब लोगों को दिए गए कृषि ऋण को माफ किया जाना चाहिए। पिछले दो वर्षों में, डीजल और अन्य सामानों के दामों में भारी वृद्धि हुई है और इसलिए, गरीब लोगों के लिये अपने कृषि ऋणों को चुकाना असंभव हो गया है।

इसी प्रकार, हमारे देश में एक नयी भूमि नीति बनायी जानी चाहिए। हमारे देश में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण जबरन नहीं होना चाहिए। उद्योगों और अन्य निहित स्वार्थों के लिये ही भूमि को अधिगृहित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अत: भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। भूमि संबंधी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। कृषि भूमि बैंक और औद्योगिक भूमि बैंक होना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके कृषि भूमि के लिए नीति और औद्योगिक भूमि के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। अनंत कुमार जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे एक निवेदन करूंगा। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उन्हें पिछले, छह वर्षों से देखा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक मामले में, कृपया प्रत्येक राज्य सरकार को विश्वास में ले लें। यदि आप प्रत्येक राज्य सरकार को विश्वास में लेंगे और यदि आप प्रत्येक राज्य सरकार से चर्चा करेंगे, तो आप पायेंगे कि अधिकांश समस्याएं बातचीत से ही हल हो जायेंगी।

कृपया इस प्रकार का बर्ताव न करें कि आप नम्बर एक हैं और आप संरक्षक हैं। याद रखें कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, सभी बराबर हैं। आप राज्य सरकारों या राज्य सरकारों के कर्मचारियों या अपने कर्मचारियों के मालिक नहीं हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सभी बराबर हैं। अत:, यदि आप सुधार करना चाहते हैं और यदि आप सचमुच भूमिका निभाना चाहते हैं तो प्रत्येक संवेदनशील मामले पर राज्य सरकारों से बात करें। आप अपनी नीतियों को इस प्रकार बनायें कि आप इसे लागू कर सकें। किसी राज्य सरकार की उपेक्षा न करें।

महोदय, हमारी न्याय प्रदान करने की प्रणाली को तीव्र करने की आवश्यकता है। पिछले एक दशक में ही, हमने अपने देश में न्याय प्रदान करने की प्रणाली को तीव्र करने के लिए काफी धन खर्च किया है। परन्तु कुछ भी ठोस कार्य नहीं हुआ। हमने, कई प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किये हैं, जैसा भोपाल में एक है। यद्यपि, न्यायाधीश वहां पर प्रशिक्षण हेतु जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, फिर भी हमारी प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। तीव्र न्याय बिल्कुल ही नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु क्या नीति है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति क्या है?

यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का विचार है कि एक राज्य से कुछ न्यायाधीशों को लिया जाना है तो वे वहां जाते हैं और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लिया जाता है और उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। परन्तु नीति क्या है? जनता जानना चाहती है कि नीति क्या है? एक ही राज्य से ही क्यों तीन या चार न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करना चाहिए और क्यों अन्य राज्य से एक भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न जाए? हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति की समीक्षा करे। इसे पारदर्शी होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि नीति क्या है? और वे किस तरफ जा रहे हैं?

मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि न्यायाधीशों की काफी रिक्तियां सृजित करे। न्यायाधीशों पर कार्यभार अत्यधिक है। इंटरनेट या कम्प्यूटर की सहायता से उनके भार को कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश इन्सान हैं; वकील इन्सान हैं। उन्हें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है; और उन्हें पढ़ना पड़ता है। कम्प्यूटर पर एक बटन दबाकर ऐसा करना संभव नहीं है। अत: हमें न्यायाधीशों के अधिक पदों की आवश्यकता है। उसके बाद ही, आप न्याय प्रदान कर सकते हैं।

महोदय, चूंकि एक नई सरकार आ चुकी है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। हम हमेशा सुलभ न्याय की बात करते हैं। यदि भारत का शीर्ष न्यायालय दिल्ली में है, तो क्या कर्नाटक या पश्चिम बंगाल में सुलभ न्याय हो सकता है? अब समय आ चुका है कि हम देश के विभिन्न हिस्सों में सर्वोच्च न्यायालय की सर्किट पीठ स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के बारे में पुनर्विचार करें।

सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा ली जाने वाली शुल्क की राशि को देखें। क्या तमिलनाडु या कर्नाटक या पश्चिम बंगाल से आने वाले एक भारतीय के लिए अपने मुकदमे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के भारी शुल्क की अदायगी सम्भव है? यह इन अधिवक्ताओं का एकाधिकार बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एकाधिकार बन चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का एक

अधिवक्ता गरीब लोगों से 8 से 10 लाख रुपये ले रहा है। गरीब लोगों को अपने लिए एक अधिवक्ता की सेवा लेने हेतु जमीन सहित अपनी सम्पूर्ण चीजों को बेचना पड़ता है।

अत: आज देश के विभिन्न भागों में सर्किट पीठ की स्थापना के बारे में गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। यदि देश के विभिन्न हिस्सों में इन सर्किट बैंचों की स्थापना होती है, तो दिल्ली के अधिवक्ताओं का एकाधिकार समाप्त होगा; और जनता को लाभ मिलेगा। मुझे पता है कि यह सब सुनने के बाद श्री जेटली जी को धक्का लगेगा। मुझे यह पता है और मैं यह सभी व्यावहारिक चीजें बता रहा हूं। श्री जेटली जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए हैं, इसे याद रखें। हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हमारी बातों को सुनें। हमारी न्यायपालिका के एक खण्ड में भ्रष्टाचार है। इसे रोकना होगा।...(व्यवधान) मुझे पता है कि वह यहां नहीं हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वह यहां नहीं हैं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, वे उच्च सदन के नेता हैं और संवैधानिक रूप से, यह द्विसदनीय प्रणाली है। दो सदन हैं, राज्य सभा और लोक सभा। अत: अन्य सदन की कोई निन्दा नहीं होनी चाहिए।

श्री कल्याण बनर्जी: अनंत जी, हम बिल्कुल स्पष्ट बात करें। कानून में कोई कमी नहीं है परन्तु यह नैतिकता का प्रश्न है। यही सवाल है। आप नैतिकता के बारे में बात करते हैं। नैतिकता कानून से ऊपर है और प्रत्येक प्रक्रिया से ऊपर है। कृपया, यह नैतिकता का प्रश्न है। मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं।...*(व्यवधान)* इसे छोड़िए। यही कारण है कि, मैंने कहा कि वे यहां नहीं हैं।

श्री अनंत कुमार: कल्याण जी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। यह एक द्विसदनीय प्रणाली है। आपको राज्य सभा का अपमान नहीं करना चाहिए।

श्री कल्याण बनर्जी: बहरहाल, श्री जेटली जी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं इसे वापस लेता हूं। श्री अनंत कुमार जी मेरा यह कहना है कि चूंकि, श्री जेटली यहां नहीं हैं इसलिए मैं इसे वापस ले रहा हूं। मैं यह बात पहले कह चुका हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में वकीलों के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। कृपया इस पर पुन: विचार किया जाए। इस विषय पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। कर्नाटक के किसी व्यक्ति के लिए दिल्ली आकर किसी वकील को 7 लाख रुपये, 8 लाख या 10 लाख रुपये का शुल्क देना संभव नहीं है। यदि देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना की जाए, तो आम लोगों को यह बहुमूल्य सेवा उपलब्ध हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं। आपकी सरकार एक नई सरकार है। इस पर गहराई से विचार कीजिए। वस्तुत:, यदि आप आम लोगों के हितों को ध्यान में रखना चाहते हैं तो इस पर पुन:-विचार कीजिए।

मैं एक और बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान में न्यायालय प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आज यह रोजमर्रा की बात हो गई है। दिवानी या फौजदारी मुकदमों का निपटान करने की बजाय, न्यायालय अधिकांशत: प्रशासन चलाने में रुचि दिखा रहे हैं। अब समय आ गया है जबकि संसद में प्रत्येक राजनैतिक दल इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। चुनाव की तारीख निर्धारित करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दायित्व नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करें कि संसद अथवा कोई विधान सभा ठीक से कार्य कर रही हैं या नहीं। वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। मैं केवल यही सुझाव दे रहा हूं। अत:, अब वह समय आ गया है जबकि आप दो या तीन वर्षों के पश्चात् यह महसूस करेंगे कि सरकार के प्रत्येक क्षेत्र के कार्य में न्यायालय का हस्तक्षेप होगा।

जनहित याचिका के मामले में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि जनहित याचिका के अंतर्गत किसी के नाम को प्रकाशित न किया जाए। न तो न्यायाधीश के न याचिकाकर्ता और ना ही वकील का नाम प्रकाशित किया जाए। तत्पश्चात् आप यह देखेंगे कि कितनी जनहित याचिकाएं दायर की जाएंगी। हर कोई जनहित याचिका में रुचि रखता है। अगले दिन न्यायाधीश यह देखना चाहता है कि समाचार पत्र में उसका नाम आया है या नहीं। वकीलों की उत्सुकता भी इस बात में होती है कि समाचार पत्र में उनका नाम आया है या नहीं। न्यायालय में याचिका दायर करने वाला याचिकाकर्ता भी यह देखना चाहता है कि समाचार पत्र में उसका नाम आया है या नहीं। केवल पी.आई.एल. मामलों को ही प्राथमिकता दी जाती है और मूल दीवानी और फौजदारी मामलों को दबा दिया जाता है। और अधिक पीठों की स्थापना की जानी चाहिए। हमें त्वरित न्याय प्रदान करना चाहिए।

हमें भ्रष्टाचार के मामलों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। इस संबंध में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों

की सुनवाई करने के लिए बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शीघ्र स्थापना की जाए। यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए ...(व्यवधान)

सबसे पहले आप अडाणी और अंबानी के पीछे भागना बंद कीजिए।

माननीय सभापतिः श्री बनर्जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए।

श्री कल्याण बनर्जीः महोदय, उन्होंने टिकट प्राप्त करने के लिए हमारी पार्टी से संपर्क किया था। इन सज्जन ने टिकट के लिए हमारी पार्टी से संपर्क स्थापित किया था। हमने उन्हें टिकट नहीं दिया...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जीः मैं अच्छी धनराशि, अच्छे कानून और अच्छे न्याय के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश के लोगों को न्याय प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं उन विषयों पर बोलना चाहता हूं जिन्हें मेरे सहयोगियों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। महोदय, 'घुसपैठ' शब्द का क्या अर्थ है। उन्होंने पैरा 20 के एक वाक्य में इस शब्द का उल्लेख किया है। यह बहुत खतरनाक है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि इसे एक राजनैतिक मुद्दा न बनाया जाए। आप केवल कानून के अनुसार चलिए। यदि आप इसे एक राजनैतिक मुद्दा बनाएंगे तो इससे देश की शांति भंग हो जाएगी। अतः आप कानून के अनुसार चलिए। कानून में जो प्रावधान है आप उसके अनुसार चलिए। परन्तु, इसे एक राजनैतिक मुद्दा मत बनाइए।

मैंने इसी बात से अपना भाषण आरंभ किया था और मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हम केवल आपके कार्यों को देख रहे हैं। जब तक आप देश के हित में कार्य करेंगे निःसंदेह, हम उनका समर्थन करेंगे। परन्तु, कृपया किसी धार्मिक संगठन के हित के लिए, इस देश के सौहार्द को मत बिगाड़िए; संवैधानिक प्रयोजनों को नष्ट मत कीजिए। कृपया इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखिए। हम आपको अपना सहयोग जारी रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मुझे हमारे विद्वान सहयोगी श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पेश किए गये और श्री रामविलास पासवान द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कुछ शब्द बोलने की अनुमति देने के लिए, आपका धन्यवाद।

सर्वप्रथम, हम सभी ने यह देखा है कि कल माननीय राष्ट्रपति ने क्या पढ़ा था। उनकी पहली पंक्ति, जिसमें चौंकाने वाला तथ्य था, इस प्रकार है, "यह आशा का चुनाव है।" मैं कहूंगा कि, प्रत्येक चुनाव आशा का चुनाव होता है। लोग मतदान केन्द्र पर इस उम्मीद के साथ मतदान करने आते हैं कि कुछ बदलाव आयेगा। लोग मतदान केन्द्र पर यह देखने आते हैं कि उनकी उम्मीद पूरी होगी। लोग मतदान केन्द्र पर सिर्फ यह देखने नहीं आते हैं कि लोकतंत्र सफल हो बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हों।

मैं कहूंगा कि भारत के लोग चाहते हैं कि उनकी आशा पूरी हो। परन्तु, क्या इस देश का उम्मीद सिर्फ राजग सरकार को केन्द्र में देखने की ही है? यदि ऐसा है, तो तमिलनाडु के लोगों ने 39 में से 37 सदस्यों को इस सभा के लिए क्यों निर्वाचित किया है? पश्चिम बंगाल के लोगों ने 42 में से 34 सदस्यों को इस सभा में क्यों भेजा है? ओडिशा के लोगों ने 21 में से 20 सदस्यों को क्यों निर्वाचित किया है? मैं कहता हूं कि इन तीनों राज्यों में कोई समानता नहीं है, फिर भी लोगों ने शासक दल के पक्ष में ही मतदान किया है। ओडिशा में मैं इस आशय से भिन्न मत रखता हूं कि हमारे योग्य मुख्यमंत्री का नेतृत्व बार-बार सिद्ध हुआ है। सन् 2000 में उनका विधान सभा में निर्वाचन हुआ था; पुनः 2004 में पूर्ण बहुमत के साथ विधान सभा हेतु चुने गए; और इसी प्रकार 2009 में पुनः निर्वाचित हुए; और सन् 2014 में एक बार फिर उनका निर्वाचन हुआ। और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, "प्रत्येक निर्वाचन में बीजु जनता दल की सीटों की संख्या विधान सभा और संसद में भी बढ़ी हैं।"

ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि उम्मीद बनी रहती है और उम्मीद चलती रहती हैं। इसीलिए, महान विद्वान अरस्तू ने दो हजार वर्ष पहले कहा था, "आशा ही एक सजग व्यक्ति का

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सपना होता है।" *[हिन्दी]* जो जाग्रत रहता है उसके पास आशा बरकरार रहती है। *[अनुवाद]* केवल जाग्रत व्यक्ति ही आशा करता है और उस सपने को साकार करना चाहता है। जैसा कि भाषण में उल्लेख किया गया, एक सपना बुना गया था, जब राष्ट्रपिता सन् 1915 में देश में वापस लौटे थे। वह सपना 1947 में साकार हुआ। उन्होंने और उनके साथ काफी संख्या में लोगों ने कठिन परिश्रम किया, तपस्या की और यह देश आजाद हुआ।

मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करूंगा कि पिछले 65 या 66 वर्षों के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। हमने लम्बी छलांगें लगाई हैं, परन्तु काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस संदर्भ में, मैं इस भाषण का स्वागत करूंगा, जो इस नई सरकार का स्वप्न है, जो नई राजनीतिक भाषा में नीति पैकेजों को व्यापक रूप से जारी रखने का प्रस्ताव करती है और कुशल कार्यान्वयन तथा सत्यनिष्ठा के वादे को सम्मिलित करती है। ये चीजें क्या हैं? ये गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल का विस्तार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का कल्याण है। ये माननीय राष्ट्रपति के भाषण के पांच बड़े अवयव हैं और यही सरकार का स्वप्न है। सरकार के लक्ष्य के रूप में इनका प्रमुख स्थान है। यह, वास्तव में, बिना लेबल का समावेशी विकास है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ न तो मांग की गई है और न वांछित है।

सर्वप्रथम, हम गरीबी के बारे में बात करते हैं। कई वर्षों के दौरान ठोस आर्थिक विकास प्राप्त करने के बाद, न केवल भारत बल्कि भारत सहित एशियाई देश धीरे-धीरे इस तथ्य से परिचित हो रहे हैं कि विकास के लाभ समाज के गरीब तबकों तक नहीं पहुंचे हैं और इससे केवल सामाजिक अन्तर बढ़ रहा है। चूंकि कुछ राष्ट्र अधिक ठोस विकास के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने की ओर उन्मुख हुए हैं, इस उम्मीद में कि इसके प्रभाव से समाज के सभी तबकों को धीरे-धीरे लाभ होगा, परन्तु इससे आय की असमानता और बढ़ती है जिससे विकास के लिए मौलिक रूप से एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसका इस भाषण में अभाव है।

सभापति महोदय, हाल ही में, सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा किए गये अध्ययन में भारत अपवर्जन पर अपने प्रतिवेदन में कहा गया कि शिक्षा, सम्माननीय रोजगार, आवास और न्याय को प्राप्त करने में दलित, जनजातीय लोग, मुस्लिम, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति सबसे पीछे हैं। उनकी साक्षरता दर, विशेषत: जनजातियों की, उनकी जनसंख्या की तुलना में 12.9 प्रतिशत कम है। दलित और मुस्लिम परिवार खराब स्थितियों में रहते हैं और उन्हें नौकरी के अच्छे अवसर नहीं प्राप्त होते। यदि हम विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्ध कैदियों के आंकड़े देखें, तो हमें पता चलता है कि दलित, अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की संख्या, जनसंख्या में उनके प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण निर्धनता और शिक्षा की कमी होना है, जिसके कारण ये लोग गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि वे पुलिस की मनमानी के शिकार होते हैं। एक शांतिपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए, हाशिए पर जीने वाले इन समुदायों को विकास की मुख्यधारा में लाने पर बल दिया जाना चाहिए।

एक ऐसा समाज जहां लोगों की आय में असमानता होती है, वह एक स्वस्थ समाज नहीं होता; उसमें अधिक हिंसा; अधिक सामाजिक समस्याएं और घटिया शैक्षणिक परिणाम सामने आते हैं। आंकड़ों के आधार पर लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना ही काफी नहीं है क्योंकि अब निर्धनता की अवधारणा बदल चुकी है। अब एक संतुष्ट जीवन जीने का परिवेश प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अत:, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि विकास का लाभ सबसे पहले निर्धन लोगों को मिलना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। बीजू जनता दल (बी. जे.डी.) इसका स्वागत करती है और हम इस सरकार द्वारा सभा के समक्ष रखी जाने वाली रूपरेखा से स्वयं को अवगत कराना चाहते हैं।

पैरा 20 में, सहकारी संघवाद का उल्लेख किया गया है। राज्यों के त्वरित विकास के लिए सहकारी संघवाद को एक मूलमंत्र बताया गया है। इस विचार की संकल्पना 9वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1997 से 2002 के बीच की गई थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि श्री रामविलास पासवान जी ने इसका उल्लेख किया है अथवा नहीं। तब से दो पंचवर्षीय योजनाएं गुजर चुकी हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त सहकारी संघवाद के बारे में क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि : "हमारे जैसे विशाल देश में एक और केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित होने चाहिए वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों और राज्यों के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के बीच संबंध भी इसी भावना पर आधारित होने चाहिए। सहकारी संघवाद का सार यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें व्यापक राष्ट्रीय सरोकारों द्वारा शासित होनी चाहिए - हमारी चिंता यही है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाए। सहकारी संघवाद विभिन्न

स्तरों पर सरकार को एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय बाजार, विविध और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों तथा देश के सभी भागों और समाज के सभी वर्गों से मानवीय क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सहकारी संघवाद, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर समन्वित रूप में मौजूदा संसाधनों का जुटाया जाना और आम लोगों की भलाई के लिए उसका उपयोग किया जाना संभव बनाता है। इसके लिए केन्द्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंधों और सहकारिता की भावना की आवश्यकता है।" मैं इसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता।

वस्तुस्थिति क्या है? ओडिशा निर्धन क्यों रहा? यह एक समृद्ध राज्य है; इसके पास व्यापक संसाधन हैं; और यहां मानव संपदा भी काफी समृद्ध है। परन्तु, इन सबके बावजूद ओडिशा निर्धन राज्य क्यों बना हुआ है? हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और हमने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं और जब बजट पेश किया जाएगा तो सभी को यह पता चल जाएगा कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा हमने बार-बार यह कहा है कि हमारा मामला एक विशेष मामला है और इसलिए हमने बार-बार पूर्व संप्रग सरकार के समक्ष भी यह अनुरोध किया था और अब भी यही कह रहे हैं कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। केवल एक ही ऐसी बात है जो हमारी मांग का समर्थन नहीं करती कि हमारे राज्य से कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, इसके अलावा ओडिशा शेष पांच मानदंडों पर खरा उतरता है। फिर भी हमें विशेष दर्जा देने के लिए मना कर दिया गया। हमने बार-बार यह कहा है "हमें पांच वर्ष के लिए यह दर्जा दे दीजिए फिर उसकी समीक्षा कीजिए। यदि हम इस दुर्दशा की स्थिति से उबर जाते हैं तो हम फिर इसकी मांग नहीं करेंगे।" ओडिशा में प्रति वर्ष सूखा, बाढ़ अथवा चक्रवात जैसी आपदाएं आती हैं।

हमने जो भी विकास किया है अथवा करते हैं चाहे वह मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना हो, साक्षरता दर में वृद्धि करना हो, स्वास्थ्य मानदंडों, मानव विकास सूचकांक के सभी मानदंडों में वृद्धि करना हो, प्रत्येक वर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा से वह फिर से नीचे आ जाते हैं। यह हमारी विषम परिस्थिति है।

हम केन्द्र से सहायता चाहते हैं क्योंकि संविधान में प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ है।" संघ का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। राज्यों के एक साथ सम्मिलित होने से ही संघ का निर्माण होता है। गत अनेक वर्षों से ओडिशा बार-बार यह अनुरोध कर रहा है। अत्यधिक निर्धनता और प्रतिकूल मानव विकास सूचकांक सहित यह सबसे कम विकसित राज्य है और रघुराम राजन समिति ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया और राज्य को 'विशेष आवंटन' करने की सिफारिश की। ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक वैध मांग है। इससे राज्य को केन्द्र से पर्याप्त संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राज्य को एक समान और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास करने में सहायता मिलेगी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। क्या उसमें कुछ ऐसी बात दोहराई गई है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को बार-बार क्यों दोहराया जा रहा है। मैं यह समझना चाहता हूं। आप 'सहकारी संघवाद' को फिर से क्यों दोहरा रहे हैं। क्या यह सब राज्यों को सुदृढ़ बनाने, राज्यों के बीच परस्पर मैत्री स्थापित करने और संबंधित अल्पविकसित राज्यों के विकास हेतु राज्य को संघ सरकार का प्रतिभागी अंग बनाने के लिए किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है संविधान की प्रथम पंक्ति में यह उल्लिखित है "भारत, राज्यों का एक संघ है।" फिर भी राज्यों की उपेक्षा की गई है। माननीय राष्ट्रपति ने यह कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्र (ओडिशा सहित) का विकास, कार्यसूची में शामिल है मैं यहां 'ओडिशा सहित' शब्द को जोड़ रहा हूं। उन्होंने यह कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्र को वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र – दोनों के बीच तुलना – के बराबर लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आगामी बजट और अगले 59 माह में नि:संदेह रूप से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। किसी भी सरकार ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा है अत: हम अत्यधिक आशा और आकांक्षा के साथ इसका स्वागत करते हैं। दो शताब्दी पहले यह कहा गया था कि "भविष्य में बड़ी उपलब्धि की आशा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।" अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान ये शब्द कहे थे।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह खनिजों की रायल्टी की दरों में बदलाव किए जाने के बारे में है। हमने कई बार इस मुद्दे को पूर्व सरकार के समक्ष रखा है। यह कार्य 2012 में किया जाना था, क्योंकि अंतिम संशोधन 2009 में किया गया था। वित्त आयोग द्वारा यह घोषणा किए जाने के बावजूद कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, खनिजों की रॉयल्टी दरों में वृद्धि की जाए; यह एक ऐसा दस्तावेज है जो इस सभा का एक भाग है और जिसे पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। यह कार्य अभी

तक नहीं किया गया है। इस विलंब के कारण ओडिशा को प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? परन्तु, इस देश में ऐसा हो रहा है और हम सहकारी संघवाद के सफल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अत: केन्द्र सरकार को रॉयल्टी की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करते हुए एक आवश्यक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। यदि आप इसमें देरी करते हैं तो किसे लाभ मिलेगा? महोदय, बुद्धिमान लोग मेरी बायीं तरफ बैठे हुए हैं। वे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ये खनन से संबंधित हस्तियां हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ मिल रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दर बढ़ चुकी है। वे अब न तो केन्द्र सरकार और ना ही राज्य सरकार को कोई रॉयल्टी अदा कर रहे हैं। उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। देश की खनिज संसाधनों का एक तिहाई ओडिशा में है। इसका लाभ कुछ थोड़े से घरानों को प्राप्त होता है, जिन्हें सामान्य से काफी अधिक लाभ मिलता है। इसलिए, खनिज दोहन से स्थानीय क्षेत्रों और पिछड़े खनन क्षेत्रों की जनसंख्या को लाभ सुनिश्चित करने के लिए खनिज संसाधन किराया कर लगाया जाना जरूरी है।

सामाजिक कल्याण के संबंध में, नि:संदेह, मेरे मित्र कल्याण बनर्जी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का उल्लेख किया था। ओडिशा के मामले में, मैं कहूंगा कि 1997 में सूची बनी थी। बार-बार हमारी और कई बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ कोशिश के बावजूद भी इस संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसी क्रम में, जब इसे संप्रग के समय में जारी किया गया, तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं कहूंगा कि इससे काफी संख्या में पात्र बी.पी.एल. व्यक्ति बाहर हैं। हमने सरकार से कहा है कि छूटे हुए बी.पी.एल. लोगों को कवर करने के लिए विद्यमान 1997 की सूची के अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कम से कम 5 लाख और बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करने की अनुमति दें।

महोदय, रेलवे नेटवर्क के संबंध में, एक अन्य मुद्दा है जिस पर रेल बजट के दौरान खुले आम विचार-विमर्श होता आया है परन्तु मैं अपना मुद्दा बहुत संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि रेल बजट तैयार हो रहा है। मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। ओडिशा भारतीय रेल के राजस्व में वार्षिक रूप से 14000 करोड़ रुपये का योगदान करता है, जो कुल रेल राजस्व के लगभग दस प्रतिशत के बराबर है। इस राज्य में देश के खनिज संसाधनों का एक तिहाई भाग उपलब्ध है, जिसे राज्य में फैले औद्योगिक कलस्टरों तक पहुंचना है। इससे ओडिशा में रेलवे द्वारा निवेश करने में आर्थिक औचित्य बनता है क्योंकि उपरोक्त निवेश पर बहुत शीघ्र लाभ प्राप्त होने लगेगा। इससे इक्विटी और प्रतिफल दोनों की दृष्टि से रेलवे की राशि को बढ़ाने पर केन्द्रित करने के लिए सशक्त मामला बनता है। ओडिशा ने रेल बजट 2014-15 में 3,160 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रत्येक वर्ष, इसे मुश्किल से 500 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये और इसी तरह प्राप्त होता है और उस धन का मुश्किल से पचास प्रतिशत खर्च होता है। मैं ओडिशा की सबसे कम औद्योगीकृत राज्यों में से एक के रूप में स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहता हूं कि अन्य राज्यों के समान विकास करने की न्यायोचित आवश्यकता के लिए यह धनराशि आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को ओडिशा में आया फैलिन नाम का चक्रवात याद होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व और दलगत भावना से ऊपर उठकर, सरकार के प्रयास में हर किसी ने लोगों के लिए कार्य किया और हम दस लाख व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सफल रहे। परन्तु, हमें कौन सी सहायक प्रणाली प्रदान की गई थी? वित्तीय रूप से कुछ भी नहीं।

माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी जी.एस.टी. का उल्लेख हुआ है। पूर्व सरकार चली गई है। मुझे याद इसलिए आया, क्योंकि डॉ. तम्बिदुरई ने भी जी.एस.टी. के बारे में उल्लेख किया था। वे केन्द्रीय व्यापार कर को चरणबद्ध रूप से 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक घटाने के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिये वचनबद्ध थे, इसे क्यों रोक दिया गया है? क्या आप वह धन हमें वापस दे रहे हैं? वह सरकारी खजाने को नुकसान है। वर्ष 2010-11 में, ओडिशा को 664 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, परन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान हर्जाने के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया। हम इस पहलू पर सरकार से उत्तर चाहते हैं। हमें दण्डित क्यों किया जाये?

यह सरकार इसीलिए सत्ता में आयी है, क्योंकि पिछली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। बहुत अनिच्छापूर्वक लोकपाल संस्था स्थापित हुई थी, परन्तु पिछली लोक सभा के दौरान अधिक प्रगति नहीं हो पाई। संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित किए जाने के तीन महीने के भीतर ओडिशा ने अपना लोकायुक्त गठित करने की घोषणा की। हमने ऐसा किया। इस अधिनियम के अनुकूल आवश्यक नियम शीघ्र बनाए जाने चाहिए ताकि नौकरशाही के अन्दर आत्मविश्वास और नैतिकता का निर्माण हो सके।

नि:सन्देह, विदेशों में जमा काले धन से पर्दा उठाने के लिए एस.आई.टी. की स्थापना, एक स्वागत योग्य कदम है। मेरी प्राथमिकता काले धन की उत्पत्ति के सभी स्रोतों को रोकने की होगी। इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आप इसे किस प्रकार रोकेंगे या कम करेंगे।

माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को सुनते समय, मुझे कई बार आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने ये बातें पहले नहीं सुनी थीं? यह आशा से परिपूर्ण है। लम्बी तटरेखा भारत की समृद्धता का मुख्य द्वार बनेगी; पत्तन के माध्यम से होने वाले विकास के आदर्श की बात की गई है; घरों और उद्योगों को गैस ग्रिड से जोड़ना–ये आश्चर्यजनक उद्घोषणाएं हैं।

भारत में अगले 20 वर्षों में शायद 25 करोड़ और नगर निवासी बढ़ जायेंगे। प्रत्येक कस्बा और शहर बढ़ रहा है। शायद यह पहली बार है जब सरकार कह रही है कि केवल शहरों के नवीकरण नहीं बल्कि नए कस्बों की स्थापना आवश्यक है। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे नई आशा जगी है। कोई कैसे भूल सकता है, जो एस.ए. सैच ने पहले कहा था, "टूटे हुए सपनों की राख से एक अमरपक्षी की तरह आशा जगती है।" 2004 और 2014 के दौरान सपने टूटे थे। एक अमरपक्षी की तरह आशा पुनः जग गई है। क्या यह पुनः टूटने के लिए ही जगी है, क्या अमरपक्षी की तरह पुनः स्वयं को जलाने के लिए ही जगी है? या कुछ सकारात्मक होगा? देश यही देखने की प्रतीक्षा कर रहा है। शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से जो सपना हमें दिखाया गया था, कम से कम ओडिशा के भुवनेश्वर और पुरी में यह अब दुःस्वप्न बन चुका है। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलता रहेगा।

अंत में, मैं इस सभा का ध्यान अपनी विदेश नीति की ओर दिलाना चाहूंगा। काफी पहले, 2000 वर्ष से अधिक पहले, एक विद्वान व्यक्ति, कौटिल्य ने चार औजार बताए थे–साम, दाम, दण्ड और भेद–जिसका अर्थ है समझौता, प्रलोभन, बल प्रयोग और विनाश। इस सरकार को नियमित औपचारिकता के पुराने आदर्श से विदेश नीति को अवश्य बचाना चाहिए और विदेश नीति तथा रक्षा दोनों को सम्मिलित करते हुए एक स्पष्ट सुरक्षा सिद्धान्त का विकास करना चाहिए।

जानबूझकर तटस्थ रहने की कम ज्ञात रणनीतिक कल को मत भूलिए। विदेश नीति में रणनीतिक दक्षता की आवश्यकता होती है, न कि अनावश्यक उतावलापन। मैं दिनांक का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यदि इसे याद नहीं रखा जाता है तो जल्दबाजी, दिखाने का माहौल बना रहेगा और वास्तविक रूप से विगत से कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा।

मैं अपने देश के एक सुप्रसिद्ध कवि के शब्दों का उद्धरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

"लुक टू दिस डे :

फॉर इट इज लाइफ, द वैरी लाइफ ऑफ लाइफ

इन इट्स ब्रीफ कोर्स

नाइ आल द वेरीटीज एण्ड रियलिटीज ऑफ एक्जिस्टेंस

द ब्लिस ऑफ ग्रोथ, द ग्लोरी ऑफ एक्शन

द स्पलैण्डर ऑफ अचीवमेंट

आर बट एक्सपीरियऐंसिज ऑफ टाइम

फॉर येस्टरडे इज बट ए ड्रीम, एण्ड टूमोरो इज ओनली ए विजन

एण्ड टुडे वेल-लिण्ड, मेब्स, येस्टरडे ए ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस

एण्ड ऐवरी टुमोरो ए विजन ऑफ टोप, लुक वेल देयरफोर टू दिस डे;

सच इज द सैलूटेशन टू द ऐवर न्यू डॉन।"

यह महान कवि कालिदास थे।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहां पर अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्य राजीव प्रताप रूडी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह चुनाव उम्मीदों का चुनाव रहा है। इस चुनाव में सबने देखा कि भारी तादाद में देश की के मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में अपना सहयोग दिया और मतदान किया। पिछले दस सालों में यू.पी.ए. के राज में देश के लोगों को काफी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यू.पी.ए. सरकार के पिछले दस सालों में बड़े-बड़े स्कैम हुए और भ्रष्टाचार के आंकड़े हमें मीडिया के माध्यम से सुनने और पढ़ने को मिले। इन आंकड़ों का आकलन सर्वसाधारण के लिए करना एक अकल्पनीय बात थी। जैसे यू.पी.ए. सरकार के समय में पहला घोटाला जो उजागर हुआ, वह करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का

घोटाला हुआ और फिर कोयले का घोटाला हुआ। इन घोटालों में जो राशि थी, उसके जो आंकड़े थे, वे सर्वसाधारण लोगों के दिमाग से बाहर की बात थी। लोग सोचने लगे थे कि हमें भ्रष्टाचार से कौन मुक्ति दिलाएगा, कौन महंगाई कम करेगा, क्योंकि रोजाना बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त थी।

अपराह्न 4.02 बजे

*(**श्री प्रहलाद जोशी** पीठासीन हुए)*

चाहे देहातों में रहने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो, जिनके घरों में दो समय का चूल्हा जलाने में भी दिक्कत आ रही थी, उन लोगों के दिलों में यह सवाल था कि कौन हमें महंगाई से मुक्त कराएगा। पिछले दस सालों में गरीबों से जो झूठे वादे यू.पी.ए. सरकार ने किए थे, उनके नाम पर कई योजनाएं तो बनाईं, लेकिन उनका फायदा उन गरीबों तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि बीच में ही लोगों ने उसका ज्यादा फायदा उठाया। इसलिए गरीब आदमी इस उम्मीद में डूबा था कि हमें इन सबसे छुटकारा कौन दिलाएगा, कौन महंगाई कम करके हमारे घरों में चूल्हा जलाने का काम करेगा।

इस सारे घटनाक्रम में लोगों में एक उम्मीद जगी और वह उम्मीद की किरण लोगों ने नरेन्द्र भाई मोदी में देखी। उन्हें लगा कि यह एक शख्स है नरेन्द्र भाई मोदी, जो हमें महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और किसानों की जो समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाएगा। इस उम्मीद के साथ लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया और एन.डी.ए. को, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, भारी बहुमत से विजय दिलाई। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लोग एन.डी.ए. को कम्युनल-कम्युनल कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन जब 16 मई को चुनाव के परिणाम सामने आए तो भारी बहुमत एन.डी.ए. को मिला। तो सही मायने में मैं हमारे कांग्रेस वालों को भी यहां पर बताना चाहूंगा कि आपको भी ज्ञात होगा कि सभी लोगों ने बढ़चढ़ कर अपनी जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म सभी को बाजू रखते हुए एन.डी.ए. के सभी लोगों को जिता दिया। सभापति जी, मैं यहां पर माननीय खड़गे जी का भाषण बहुत शांति से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया जो उन्होंने यू. पी.ए.-2 के समय में घोषित की थीं। मैं माननीय खड़गे जी से यही बोलूंगा कि अगर आपकी योजना अच्छी थी, आपका काम अच्छा था तो 10 साल के बाद आपका हाल लोगों ने इतना बुरा क्यों किया? आपके पक्ष के 400 से ज्यादा सदस्य इस सभागृह में बैठते थे आज केवल 40 के लगभग ही इस संसद में आ सके। विरोधी दल का नेता बनाने के लिए जो 10 परसेंट सांसद चुनकर आने चाहिए, उतनी संख्या भी आपकी चुनकर नहीं आ सकी। पिछले 25 सालों से हम यहां पर गठबंधन की सरकारें देखते आ रहे थे और हर सरकार जोड़-तोड़ करके, गठबंधन बनाकर अनेक पार्टियों ने पक्षों ने चलाई। आज हम यहां पर देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष का नेता चुनने के लिए गठबंधन करने की नौबत आ गयी। किसका गठबंधन होगा और कौन प्रतिपक्ष नेता की कुर्सी पर बैठेगा। सोचने की बात है कि यह मैनडेट जनता ने क्यों दिया? उन्होंने बताया कि यू.पी.ए. की योजनाओं को ही तोड़-मरोड़कर या शब्दों में फर्क करके राष्ट्रपति के अभिभाषण में रखा गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः कृपया, पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधवः आप लोगों को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि इतने दिनों तक हम लोगों ने आपकी बातें सुनी हैं और 50 सालों तक आपकी सरकार को लोगों ने सहा। अब लोगों ने सही मैनडेट दिया है तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए और उस मैनडेट का सम्मान करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहां थे और लोगों ने हमें कहां लाकर बैठा दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः उन्हें परेशान मत कीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधवः मेरे से पहले आपके कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी ने बताया कि जो हमारी यू.पी.ए. की योजना थी उस योजना को पूरा का पूरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूरा का पूरा रख दिया गया है केवल नाम थोड़े बदले गये हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: यहां पर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की बात की है और मैं देश की ही बात कर रहा हूं और देश के लोगों ने जो वोटिंग के माध्यम से हमें बहुमत दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: उन्हें परेशान मत कीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: सभापति महोदय, मैं यहां पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि 25 साल पहले हमारे शिवसेना के प्रमुख आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा था कि इस हिंदुस्तान के लाल किले पर भगवा लहराएगा, तो लोग हंसते थे। आज मैं इस देश की पूरी जनता को धन्यवाद दूंगा, विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 48 में से 42 लोग हमारे एन.डी.ए. के चुनकर भेजे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): लाल किले पर कोई भगवा लहरायेगा, यह बात आप कैसे कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: यह असंसदीय नहीं है। यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक है तो हम उसे हटा देंगे। मैं इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यदि इसमें कुछ गलत है, तो हम उसे हटा देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, मैं खास कर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 42 सीटों पर हमारे भगवे सिपाहियों को संसद में पहुंचाया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: हम इसकी जांच करेंगे और उसमें यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसे हटा देंगे। यह असंसदीय नहीं है। उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, इस भगवे का विरोध करने वाले कांग्रेस के सिर्फ दो सांसद, जो कि एक बाइक पर बैठ कर घूम सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: यदि कुछ आपत्तिजनक है, तो हम उसे निकाल देंगे। आप अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, आप मुझे संरक्षण दीजिए कि मैं अपनी बात सदन में रख सकूं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, अब आप कंक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं यह व्यवस्था दे चुका हूं कि यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो हम उसे निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: हम इसकी जांच करेंगे और उसमें यदि कुछ आपत्तिजनक है तो हम उसे निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापतिः कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता अपनी बात कहना चाहते हैं। आइये हम उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः महोदय, उनकी पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी के नेता के बारे में अगर उन्हें गर्व है, तो ठीक है। लेकिन लालकिले पर तिरंगे झंडे की जगह पर भगवा झंडा लगाएंगे, यह कहां तक ठीक है। अगर ये बोलेंगे कि संसद में भगवा झंडा लगाएंगे, तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* ऐसी चीजों को निकाल दीजिए। आप शिव सेना आफिस पर अपना भगवा झंडा लगाइए।

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः इसलिए मैंने यह कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और यदि उसमें कुछ आपत्तिज़नक पाया जाता है तो हम उसे निकाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधवः महोदय, हम सभी हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं और तिरंगे से हमें प्यार भी है लेकिन जो हमारा भगवा है, तिरंगे झंडे में भी भगवा है और वह सबसे ऊपर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो हम उसे निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः अब आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः हम इसकी जांच करेंगे और यदि उसमें कुछ असंसदीय पाया जाता है तो हम उसे हटा देंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधवः महोदय, मैं सभी सांसदों को कहना चाहूंगा कि हमने जो भी चुनाव लड़ा, हमने भगवा ले कर ही चुनाव लड़ा और भगवा की तरफ ही लोगों ने हमें वोट दिया। ...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः जाधव जी, आपका हो गया। आप अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः अगले वक्ता हैं, श्री थोटा नरसिम्हन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापतिः चन्द्रकांत जी, आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.16 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः मैंने कहा है कि यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है, तो हम उसे निकाल देंगे। इस समय माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने दीजिए। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। श्री जाधव, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः मैं पहले ही यह विनिर्णय दे चुका हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापतिः हम उसको पहले एग्जामिन करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने अपने स्थान पर वापस चले जाइए। वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं और मैं उसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः श्री थोटा नरसिम्हन जी कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री जाधव जी अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापतिः जाधव जी, आप एक मिनट के अंदर अपनी बात कंक्लूड करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं इस मामले की जांच करूंगा और यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसे हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः श्री जाधव, आपको एक मिनट में अपना भाषण पूरा करना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधवः सभापति जी, यहां पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा...*(व्यवधान)* उन्होंने पहली बार इस संसद में इस देश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने की घोषणा इस भाषण के माध्यम से की है।...*(व्यवधान)* मैं पूरे सदन की ओर से, किसानों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा।...*(व्यवधान)* उन्होंने यहां पर पानी की एक बूंद की कीमत बता दी है कि जल का संचय होना चाहिए और साथ ही सिंचन भी होना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः सभा अपराह्न 4.35 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.19 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 4.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.35 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.35 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री प्रहलाद जोशी *पीठासीन हुए।)*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

[हिन्दी]

माननीय सभापतिः माननीय मंत्री, श्री गीते जी।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए मेरी पार्टी के सदस्य श्री प्रताप जाधव ने शिव सेना पार्टी का झंडा भगवा है, का जिक्र किया। जब उन्होंने यहां पर कहा तो उनके कहने पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी सदस्यों में हो गई।...*(व्यवधान)* पहले आप सुन लीजिए और अगर सुनने के बाद यदि कुछ लगता है तो आपत्ति कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता सदन में सदस्यों में गलतफहमी हो गई। मैं बिल्कुल एक बात को साफ तौर पर सदन के सामने रखना चाहता हूं। शिव सेना पार्टी के प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने पार्टी की स्थापना दिवस से भूमिका पूरे देश में ली है कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा और संविधान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। पहले दिन से जब

से पार्टी गठित हुई है उस दिन से यह नारा शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया था इसलिए तिरंगे का अपमान करने का इरादा सदस्य के मन में नहीं था। हम शिव सेना से हैं, शिव सेना का झंडा भगवा है। जब हम चुनाव प्रचार या रैलियों में जाते हैं, तब कई नारे लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमेशा नारा देते हैं कि महाराष्ट्र के विधान भवन पर भगवा लहराए...*(व्यवधान)* हम भाषण के नारे में कहते हैं। पांच साल हमारा राज था लेकिन पांच साल विधान भवन पर तिरंगा लहराया है और तिरंगा ही लहराएगा। इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, राष्ट्र ध्वज और संविधान पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जो विचारधारा बाला साहेब ठाकरे जी की थी, मैं उसे इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि धार्मिकता या सैक्युलरिज्म के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी जो शायद देश में किसी ने नहीं कही होगी। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि उनकी विचारधारा आप लोगों की समझ में आए और यही विचारधारा हमारी पार्टी की भी है।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। दोबारा यह बात न आए इसलिए आप सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन जब हम न्यायालयों में जो हैं तो हिन्दू - भगवद गीता, मुस्लिम भाई - कुरान, क्रिश्चियन - बाइबल की शपथ लेते हैं। इस संदर्भ में भी बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि सचमुच धर्मनिरपेक्षता लानी है और न्यायालयों में यदि कसम देनी है तो संविधान की दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, इसे वापस लिया जाना चाहिये। इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाए...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यह कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: इसमें विड्रॉ करने वाली कोई बात है नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते: इसमें विदड्रा करने वाली कोई बात नहीं है। सभापति जी, आप जांच करिये, यदि आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से विदड्रा कीजिए। आप कर सकते हैं, आसन से आप विदड्रा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: यह बात अब समाप्त हो चुकी है। वह पहले ही यह बता चुके हैं। मैं इसकी जांच करूंगा और यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो उसे निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: आप मेरी बात सुनिये, सभापति जी विदड्रा कर सकते हैं, यह आसन का अधिकार है, यदि आपको कुछ ऑब्जैक्शनेबल लगता है तो आप उसे निश्चित रूप से विदड्रा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: इसकी जांच की जाएगी और उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसमें जांच करने के लिए कुछ नहीं है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: अब, अगले सदस्य बोलेंगे। गीते जी, कृपया बैठ जाइए। अभी श्री नरसिम्हन जी बोल रहे हैं। श्री थोटा नरसिम्हन।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हन (काकीनाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं के समक्ष कल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अभिभाषण का स्वागत करता हूं और श्री नरेन्द्र मोदी को हाल ही में हुए लोक सभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी तेलगुदेशम को शेष आंध्र प्रदेश राज्य ने स्वर्णांध्रप्रदेश बनाने के लिए श्री चन्द्रबाबू नायडु जी को सत्ता सौंपी है।

अपना भाषण आरंभ करने से पहले, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी में रविवार को हैदराबाद के इंजीनियरिंग के 24 छात्रों के डूब जाने की घटना को इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं सरकार से इन लापता छात्रों के परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

मैं इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्री श्री पी. नारायण और उनके साथ 37 अभिभावकों को बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा था। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारी पार्टी के नेता और नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू को बचाव कार्यों में सहयोग देने और जीवित बचे लोगों और शवों को वापस लाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर, मैं अर्ध सैनिक बलों को बचाव कार्यों में उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, मैं ऐसे समय पर बोल रहा हूं जबकि मेरा राज्य एक दोराहे पर खड़ा हुआ है। यह पता नहीं है कि किस मार्ग पर जाना है और कैसे जाना है तथा आंध्र प्रदेश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को कैसे पूरा करना है। हमें वस्तुत:, लगभग 50,000 करोड़ रुपये के बजट घाटे के साथ एक दयनीय स्थिति से शुरुआत करनी है। लोगों ने श्री चन्द्रबाबू नायडू में विश्वास दिखाया है; और उनके प्रशासनिक अनुभव, सोच तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सहायता और सहयोग से मुझे विश्वास है कि हम आंध्र प्रदेश की जनता की आशाओं पर खरा उतरेंगे।

सबसे पहले मैं राज्य के विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के संबंध में इस सभा में डॉ. मनमोहन सिंह जी द्वारा दिए गए आश्वासन को स्मरण कराना चाहता हूं। मोदी जी ने इसका समर्थन किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बी.जे.पी. के घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार इसे किया जायेगा। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि आंध्र प्रदेश को तुरंत ही विशेष दर्जा दिया जाए। साथ ही मैं यह निवेदन भी करता हूं कि राजस्व की कमी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए अवधि को पंद्रह वर्षों के लिये बढ़ा दिया जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा पानी के प्रयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा 11 में कहा है कि पानी की प्रत्येक बूंद कीमती है और सरकार जल सुरक्षा के लिये कटिबद्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि लम्बे समय से लम्बित सभी जल परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में जलांगनम् के अंतर्गत बहुत सी परियोजनाएं जैसे वामशाधारा-2, थोटापल्ली, झंझावती, हान्द्री-नीवा, गालेरू-नागीरी आदि जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि लम्बे समय से लम्बित सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें। प्रधान मंत्री सिंचाई परियोजना आरम्भ करने का मैं स्वागत करता हूं। अंतिम खेत तक पानी पहुंचाने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।

तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह पूरे देश में बनाए जा रहे डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर और इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के बारे में है। मैं सूस संबंध में मेरे राज्य आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता देने के लिये सरकार से निवेदन करता हूं।

मेरा चौथा मुद्दा सरकार द्वारा भारत में विशेषीकृत अनुक्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाओं से युक्त 100 शहरों को विकसित करने के सरकार के प्रस्ताव से संबंधित है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आंध्र प्रदेश के बहुत से शहरों को इस प्रस्तावित परियोजना में सम्मिलित किया जाए।

मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान हवाई अड्डों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन किया जाए।

मैं सरकार के नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु किये जा रहे प्रयासों का समर्थन करता हूं। हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू ने इस विचार का पुरजोर समर्थन किया है। मैं मानता हूं कि कुछ आरम्भिक कार्य आरम्भ हुआ था किन्तु पिछली सरकार ने सभी कार्य बंद करवा दिये। अब यह फिर से प्रकाश में आया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख किया है कि बार-बार आने वाले बाढ़ और सूखे को रोकने के लिये जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली एन.डी.ए. सरकार ने 2003 में श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत कवर करने के लिये और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश की जा सके। मेरे ख्याल से इसकी रिपोर्ट मंत्रालय में धूल फांक रही है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को बाहर निकाल कर इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

महोदय, आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसके विभाजन के बाद राजधानी से वंचित रखा गया है। अभी तक हमारी कोई राजधानी नहीं है। हमें इसे नये सिरे से बनाना है। किंतु हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम अपने प्रयासों से स्वयं ही राजधानी बना लें। अत: हम सहायता हेतु केन्द्र सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से केवल यही आग्रह कर सकता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द अपनी

राजधानी बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध कराया जाए।

आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। व्यापार और वाणिज्य हेतु यहां काफी संभावनाएं हैं। इसका लाभ उठाते हुए, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने और अधिक बंदरगाहें बनाने, पुरानी बंदरगाहों पर बर्थों की संख्या बढ़ाने, बंदरगाह प्रबंधन को और मजबूत बनाने, राज्य के पूर्वी क्षेत्र में मॅरिन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाते रहे हैं। अत: भारत सरकार को आंध्र प्रदेश को प्राप्त इस प्राकृतिक सुविधा का लाभ उठाने की ओर ध्यान देना होगा और न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास हेतु इस प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना होगा।

इससे पहले आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि ओडिशा में कोरापुट-बोलंगीर-कालाहांडी तथा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को दिये गये विशेष पैकेज की तरह रायलसीमा और उत्तरी आंध्रा के पिछड़े जिलों को भी एक विशेष पैकेज प्रदान किया जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार आंध्र प्रदेश के पिछले जिलों को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए तुरंत कदम उठायेगी।

अविभाजित आंध्र प्रदेश देश में कपास का अग्रणी उत्पादक है। किंतु राज्य में कपास के किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को याद दिलाया है कि गुंटुर जिले में हुई एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने क्या कहा था। महोदय, उन्होंने कहा था कि वे "फाइव एफ" फार्मूला बनायेंगे। यह फार्मूला है : फार्म से फाइबर; फाइबर से फैब्रिक; फैब्रिक से फैशन; फैशन से फॉरेन। यह एक बहुत ही नेक और नया विचार है जिससे आंध्र प्रदेश के कपास किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कपास के किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी इसे जल्द से जल्द लागू करेंगे।

मैं सरकार से यह प्रार्थना भी करता हूं कि सरकार तेलंगाना पुनर्गठन विधेयक बनाने के समय किये गये सभी वायदों को पूरा करे तथा आंध्र प्रदेश में और अधिक संख्या में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों और एम्स (ए.वाई.आई. एम.एस.) जैसे मैडिकल कॉलेजों की स्थापना करे।

अंत में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को सीमांध्र के उद्धार हेतु आगे आना चाहिये ताकि इसे स्वर्णधारा बनाया जा सके क्योंकि यह अभी एक नवजात शिशु की तरह है जिसे स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिये पोषित किये जाने की आवश्यकता होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): सबसे पहले मैं इस महान सभा के सभी सदस्यों को उनकी सफलता पर बधाई देती हूं। 16वीं लोकसभा के इन चुनावों के लिये, मैं विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पूरे देश में भारी जनमत से विजय प्राप्त की है। लगभग तीन दशकों के बाद देश के लोगों ने उन्हें स्पष्ट बहुमत दिया है। हम उन्हें उनकी इस विजय पर बधाई देते हैं। मैं टी. आर.एस. पार्टी की ओर से और अपने नेता एवं तेलंगाना के मुख्य मंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव जी की ओर से आपको अपना पूर्ण सहयोग देते हैं।

महोदय, इस सभा के नये सदस्य होने के नाते, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हिस्सा बनने का अवसर मिला और मैं तेलंगाना के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन का सदस्य बनने के लिये हमारी पार्टी के ग्यारह सदस्यों का चुनाव किया। किंतु महोदय, हमने पूरे अभिभाषण को ध्यान से सुना और यह समझने का प्रयास किया कि माननीय राष्ट्रपति जी क्या कहना चाह रहे थे। हमें बहुत अधिक निराशा हुई है। हम भारतीय संघ का 29वां राज्य हैं, यह एक नवगठित राज्य है किंतु हमें बधाई नहीं दी गई। तेलंगाना की जनता को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से बहुत आशाएं थीं। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के विकास के बारे में केवल एक वक्तव्य दिया गया है। किंतु तेलंगाना आंदोलन 60 वर्ष पुराना आंदोलन है। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला अब तक का सबसे लम्बा आंदोलन है। यदि इस प्रकार के आंदोलन का सम्मान नहीं किया जाता तो इस देश में चलने वाले अन्य आंदोलनों का स्वरूप विकृत हो जायेगा। मैं पूरी गंभीरता से यह अपील करती हूं कि, चूंकि मैं एक नयी सदस्य हूं और नियमों से अवगत नहीं हूं, अत: यदि संभव हो तो राष्ट्रपति जी की ओर से एक बधाई नोट आना चाहिये जिसकी तेलंगाना के लोग अवश्य सराहना करेंगे।

जब मैं तेलंगाना के लोगों और तेलंगाना आंदोलन की बात करती हूं तो मेरे मन में दो लोगों के नाम उभर कर आते हैं। एक है–हमारे नेता श्री चंद्रशेखर राव गारू जिन्होंने शांतिपूर्वक हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया और दूसरी श्रीमती सोनिया

गांधी हैं जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों और दबावों के रहते भी हमें समर्थन दिया। तेलंगाना के हम लोग पूरी निष्ठा से यह मानते हैं कि उनके बिना तेलंगाना राज्य मूर्त रूप नहीं ले पाता। मैं दोनों सभाओं में विधेयक का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन करना चाहता हूं; विशेष रूप से श्रीमती सुषमा स्वराज का क्योंकि 2006 से लेकर अभी तक उन्होंने तेलंगाना मुद्दे को सतत रूप से उठाया है।

एक महिला सदस्य के रूप में मैं महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण वाले महिला आरक्षण विधेयक को लाने के लिए सरकार की पहल की भरपूर सराहना करती हूं। इस विधेयक पर पूर्व में राज्य सभा में चर्चा की गई थी और इसे पारित किया गया। अब, जिम्मेदारी इस सभा पर है। जब कभी भी यह विधेयक टी. आर.एस. पार्टी द्वारा लाया गया हम इसका समर्थन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह पारित हो। साथ ही, जब हम महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बात करते हैं, उस समय पूरा देश जिस मुद्दे का सामना कर रहा है वह कुपोषण है जिसकी चर्चा अथवा उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि भारत के 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। यह केवल बच्चों की ही समस्या नहीं है, बल्कि महिलाओं की भी है जो कुपोषण की समस्या के कारण बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसका समाधान एक सुव्यवस्थित और संवेदनशील सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक आई.सी.डी.एस. सेवाओं को सुदृढ़ कर सकती है। पर्याप्त भंडारण सुविधाओं और भंडारित खाद्यान्नों के प्रभावी वितरण द्वारा पी.डी.एस. को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए अभियान चला रही थी उन्होंने वादा किया था कि वे कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ेंगे। किसानों को उनसे बहुत अधिक आशाएं थीं लेकिन कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में मनरेगा का उल्लेख नहीं है। मैं मात्र कृषि मंत्री से एक वक्तव्य चाहती हूं। महोदय, आपके माध्यम से, मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि उन्हें मनरेगा पर वक्तव्य देने की आवश्यकता है क्योंकि आज बहुत से किसानों को कृषि श्रमिक प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है। यह बहुत महंगा हो गया है। खेती अव्यावहारिक हो गई है। यदि यह संपर्क जल्द स्थापित नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि किसान बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे।

दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि यह 16वीं लोक सभा का पहला ही दिन है, टी.आर.एस. पार्टी के सदस्य, बी.जे.डी. के सदस्यों के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम विरोध करना नहीं चाहते थे परंतु हमारे ऊपर एक अध्यादेश थोपा गया है। लोकतंत्र में अध्यादेश जारी करना अच्छी परंपरा नहीं है। हम सभी यह जानते हैं। हमारी स्वतंत्रता के वर्ष 1947 से लेकर आज तक जब भी कभी किसी अध्यादेश को पुर:स्थापित किया गया है, लोक सभा अध्यक्षों ने लगातार उनका विरोध किया है और उन्होंने उन पर तीखी टिप्पणियां की हैं। लेकिन आने वाली सरकारें लगातार ज्यादातर कर मुद्दों पर अध्यादेश लाती रही हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। यहां सभी योग्य सदस्य हैं; वे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। महोदय, आपके माध्यम से, मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारे संविधान के केवल अनुच्छेद 3 में ही किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने अथवा किसी राज्य का नाम बदलने अथवा नया राज्य बनाने की शक्तियां हैं। यहां बहुत से सदस्य, मुझे विश्वास है, काली मिर्च स्प्रे के हमले से बच गए होंगे और उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाने में हमारी सहायता की है। परंतु विभाजन के बाद 1 मार्च से तेलंगाना एक अलग राज्य बना है - तेलंगाना की सीमाओं में परिवर्तन इस सभा का विशेषाधिकार होना चाहिए। अध्यादेश द्वारा ऐसा किए जाने पर वास्तव में यह एक बहुत गलत उदाहरण स्थापित करेगा। महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार से इस अध्यादेश को इस सभा से वापिस लेने का अनुरोध करती हूं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि इस तरह का कोई अध्यादेश पारित होता है तो राज्यों की सीमाएं परिवर्तित करना और उनके नाम बदलना एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हमने एक छोटी घटना देखी है। *[हिन्दी]* तिरंगा *[अनुवाद]* के स्थान पर उन्होंने कहा है *[हिन्दी]* "भगवा लहराएगा"। *[अनुवाद]* यदि ऐसा कुछ होता है और नाम परिवर्तित करना भारत में एक उदाहरण बन गया है, यदि केन्द्र सरकार हर छोटी चीज के लिए अध्यादेश लाना शुरू करेगी तो यह एक बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं सरकार से इस अध्यादेश के वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

इस पर मैं मावलंकर जी को उद्धृत करना चाहती हूं। 17 जुलाई, 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में मावलंकर ने कहा है : "अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक है और अत्यधिक आवश्यकता अथवा आपातकाल के मामलों को छोड़कर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।" महोदय, इसमें न तो कोई तात्कालिकता और न ही कोई आपातकाल है। यह पोलावरम परियोजना पिछले 60 वर्षों से लंबित है। कई बार आदिवासियों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया और इसे रद्द किया गया। लेकिन जब कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है तो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है; राजग सरकार की पहली ही

कैबिनेट बैठक ने इस अध्यादेश को पारित कर दिया। निश्चित ही यह तेलंगाना के लोगों के साथ सही नहीं हुआ है। अभी राजग के पास पूर्ण बहुमत है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइये। सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्रीमती कविता कलवकुंतलाः यदि आवश्यकता हो, तो सीमाओं का परिवर्तन अथवा इन मंडलों को देने के बारे में चर्चा लोक सभा में की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइये। कृपया उन्हें परेशान न करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती कविता कलवकुंतलाः आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि इस अधिनियम में तेलंगाना राज्य के 139 गांवों को आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। ऐसा हुआ है। वे सभी जलमग्न हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कविता कलवकुंतलाः लेकिन, जो सात मंडल जलमग्न क्षेत्रों में नहीं हैं उन्हें एक अध्यादेश के द्वारा दोबारा हस्तांतरित किया जा रहा है। अधिनियम में क्या था? वे 139 गांव एक अलग मुद्दा हैं। जो सात मंडल जलमग्न क्षेत्रों में नहीं हैं उन्हें एक अध्यादेश से हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः, यही हमारा इस सभा से विनम्र निवेदन है। 1 मार्च को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है। सीमाओं के निर्धारण हेतु मुझे लगता है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। आप सभी की बात सुनें। सभा के माध्यम से, मैं प्रधानमंत्री से चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का अनुरोध करती हूं। यह आंध्र और तेलंगाना के बीच का मुद्दा नहीं है। कृपया समझिए; यह आदिवासियों का मुद्दा है। मैं हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धरण प्रस्तुत करना चाहती हूं।

माननीय सभापतिः महोदया अब कृपया समाप्त करिए।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती कविता कलवकुंतलाः महोदय, मुझे मात्र एक मिनट दीजिए। उन्होंने कहा है, हम वनबंधु कल्याण योजना शुरू करने जा रहे हैं। *[हिन्दी]* मुझे इतना ही कहना है कि आदिवासी अगर जीवित रहेंगे तो उनका कल्याण होगा। *[अनुवाद]* यहां हम लगभग दो लाख आदिवासियों के केवल एक राज्य नहीं बल्कि चार राज्यों यथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डूबने के बारे में बात कर रहे हैं। यह केवल तेलंगाना की समस्या नहीं है। ओडिशा उच्चतम न्यायालय में चला गया है; छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायालय में गया है; तेलंगाना भी उच्चतम न्यायालय में गया है। हम पोलावरम परियोजना के विरुद्ध नहीं हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

हम चाहते हैं हमारे आंध्र प्रदेश को पानी मिले। समस्या केवल डिजाइन को लेकर है। इसके विकल्प उपलब्ध हैं। किसी भी विकल्प पर विचार नहीं किया गया है।

वहां कुछ आदिम जनजातियां हैं। अनुसूची (पांच) के अनुसार राष्ट्रपति संरक्षक होते हैं। यदि वह स्वयं ऐसा अध्यादेश जारी करते हैं तब मुझे नहीं मालूम उन आदिवासियों को कौन बचाएगा। आपके माध्यम से हम सरकार से और प्रधानमंत्री से इस अध्यादेश को वापिस लेने का अनुरोध करते हैं।

इन सात मंडलों में से, जिन्हें आंध्र प्रदेश राज्य को दिया जा रहा है, वहां एक विद्युत उत्पादक संयंत्र है जो साल भर में 460 मेगावाट विद्युत पैदा करता है। यह लोअर सिलेरू परियोजना है। मूलतः यह तेलंगाना की परियोजना है। यह डूब क्षेत्र का भाग भी नहीं है। अब इसे वापिस आंध्र प्रदेश को वापिस दे दिया गया है।

महोदय, वहां एक बहुत प्रसिद्ध भद्राचलम श्रीराम मंदिर है। तेलंगाना के लोगों को उस मंदिर के दर्शन हेतु जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सदियों पुराना मंदिर है।

महोदय, कृपया सुनिश्चित करिये कि ये सातों मंडल तेलंगाना के साथ रहें। महोदय, पोलावरम परियोजना को एक 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह पुनर्वास और पुर्नस्थापना का उत्तरदायित्व ले और सातों मंडलों को तेलंगाना में ही रखा जाए। ऐसा हो सकता है। इसके विकल्प हैं।

एक अंतिम निवेदन और करना है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया था कि वे चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं, एक सहमति बने और निर्णय लिया जाए।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, यदि कोई सदस्य चाहे, तो अपना भाषण सभा पटल पर रख सकता है।

श्री पी. करुणाकरन।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड): मैं संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण वास्तव में सरकार की नीतियों का घोषणा पत्र होना चाहिये। यह नयी सरकार की नीतियों और कार्यों का ब्ल्यू प्रिंट होना चाहिये।

महोदय, मुझे इस बात का दु:ख है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नई सरकार के विचारों का कथन मात्र है। इस भाषण में उठाए गये अनेक मुद्दे एन.डी.ए. के चुनावी घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति मात्र हैं। यह सही है कि चुनावों के समय सभी पार्टियों द्वारा अनेक वादे किये जाते हैं। किंतु जब बात राष्ट्रपति के अभिभाषण की हो, तो यह एक आम वक्तव्य की भांति नहीं होना चाहिये। इन वायदों को मूर्त रूप अवश्य दिया जाना चाहिये। मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है।

महोदय, कोई भी ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। नीति आधारित विश्लेषण कहीं दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि बहुत से मामलों में प्राथमिकता के संबंध में विरोधाभास भी दिखाई दिया। एक पेज पर हमने देखा कि आप बिजली को प्राथमिकता दे रहे हैं पर उसी पेज पर हमने देखा कि रेलवे को भी प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस प्रकार प्राथमिकता में विरोधाभास इस भाषण की प्रमुख विशेषता नजर आती है। यह सच है कि कौन से मामले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, यह समझने में आपको समय लगेगा। मैं इससे असहमत नहीं हूं।

कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई क्योंकि पिछले दस वर्षों में उनकी नीति जन-विरोधी रही हैं। इसमें सबसे पहले उनकी मूल्य नीति है जिसका प्रभाव देश के सभी वर्गों पर पड़ा है। मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि है। कांग्रेस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने का रिकार्ड बनाया है। उन्होंने 23 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए। उन्होंने डीजल को पूर्ण रूप से नियंत्रण मुक्त भी किया। जब यह सरकार सत्ता में आई तो मुझे लगा था आपका पहला निर्णय पेट्रोलियम मूल्यों को कम करना होगा। किंतु आप भी उन्हीं वही नीतियों का पालन कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही थी। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी और बी.जे.पी. के अन्य नेता कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही प्रेरणास्पद भाषण दे रहे थे। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के मामले में आप क्या कर रहे हैं? यद्यपि इस सरकार को बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ है किंतु फिर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।

महोदय, भ्रष्टाचार उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिनके कारण यू.पी.ए. सरकार ध्वस्त हुई। हमने इन मामलों पर 15वीं लोक सभा के दौरान भी चर्चा की थी। मैं उसका साक्षी हूं। 2जी स्पैक्ट्रम, कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी घोटाला, कोलगेट और अन्य बहुत से मामलों पर चर्चा हुई थी। न केवल हमने बल्कि सी.पी. एम.के सदस्यों, दूसरे वामपंथी सदस्यों और यहां तक कि बी.जे.पी. के नेताओं ने भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट का मामला उठाया था। सी. ए.जी. की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि एकाधिकारियों और निजी लोगों के "अनियंत्रित और स्वतंत्र कार्यों के कारण यह सब भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ।"

किंतु अब यह सरकार क्या कर रही है? एक वक्तव्य पहले ही जारी कर दिया जा चुका है कि ये रक्षा, रेलवे, संचार और अन्य उद्योगों में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं। अब कांग्रेस और भाजपा की सरकार में क्या अंतर है? जब वे विपक्ष में थे तो वे इन सभी नीतियों की आलोचना करते थे। किंतु अब वे पहले ही कह चुके हैं कि वे उन्हीं नीतियों का पालन करने जा रहे हैं जो पिछली सरकार की थीं।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। उन्होंने सही कहा है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति अत्यंत गंभीर है। देश के विभिन्न भागों से किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने की सोच रही है? यही मेरा मुख्य प्रश्न है जो मैं वर्तमान सरकार से करना चाहता हूं।

जहां तक कृषि का संबंध है, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, किसानों को कृषि ऋण तथा उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य दिये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नीतिगत मामले भी हैं। मैं जानता हूं कि केरल में पिछली बार रबर का मूल्य 250 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब यह 135 रुपये प्रति किलो है। इस प्रकार किसानों को 115 रुपये प्रति किलो की हानि है। इसका क्या कारण है? इसका कारण विदेशों से रबर का अनियंत्रित आयात है। मैं आयात या निर्यात के खिलाफ नहीं हूं किंतु मूल्यों में स्थायित्व और उनका निर्धारण अवश्य होना चाहिये। जबकि घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में रबर है, आप रबर का आयात कर रहे हैं। यह किसानों के हित में नहीं है। कुछ रबर किसानों ने भी आत्महत्या की है। अत: यह भी एक महत्त्वपूर्ण मामला है जिसका वे सामना कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार

को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वे विद्यमान आयात नीति में कोई परिवर्तन करेंगे। यदि वही नीति चलती रही तो मुझे डर है आप कृषि क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं कर पायेंगे।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा है देश का भविष्य करोड़ों करोड़ों युवाओं के हाथ में है। अवश्य ही यह एक आकर्षक वक्तव्य है किंतु कार्यक्रम क्या हैं? सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने की सोच रही है? वक्तव्य तो हम कितने भी दे सकते हैं किंतु वे क्या प्रयास करेंगे, इस संबंध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति जी के पहले के भाषणों में ऐसे कथन दिखाई देते हैं किंतु इसमें नहीं हैं।

महोदय, शिक्षा के संबंध में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। जहां तक शिक्षा क्षेत्र का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास हेतु शिक्षा आम आदमी के लिये काफी महंगी होती जा रही है। एक साधारण परिवार के लिये अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना संभव नहीं है। केवल शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न नहीं है, यह भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि गरीब लोग कहां तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इस अभिभाषण में किसी भी वैकल्पिक नीति या कदमों का उल्लेख नहीं है।

यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारों ने कहा था कि वे बैंकों के माध्यम से छात्रवृत्ति देंगे किंतु इस भाषण में इस संबंध में भी कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, अभी भी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की स्थिति अत्यंत दुर्दशापूर्ण है। 14वीं लोकसभा के दौरान वर्ष 2000 में इस सदन में सच्चर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। मैं 14वीं लोकसभा का सदस्य भी रहा हूं। उस समय भाजपा के लोगों का रवैया सच्चर समिति की रिपोर्ट पर सहयोगपूर्ण नहीं था। सच्चर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार देश के 90 शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति अ.जा. /अ.ज.जा. के लोगों से भी बदतर है और हमारे देश के 370 शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जहां तक रोजगार के अवसरों का संबंध है भा.प्र. से, भा.पु. से और भा.वि.से में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व 1-2 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.10 बजे

(प्रो. के.वी. थॉमस *पीठासीन हुए।)*

साथ ही, सच्चर आयोग के संबंध में आपका क्या मत है? आपने अल्पसंख्यकों की बात की। सच्चर समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था जिस पर संसद में चर्चा की गई। कुछ राज्यों ने इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब इस बात को मानती है कि ऐसा कोई प्रतिवेदन आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर में आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए।

हमारे देश के विभिन्न भागों में महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है परन्तु, इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही का प्रस्ताव नहीं है। क्या सरकार कोई नया कानून बना रही है? आप उनको किस प्रकार मजबूत सुरक्षा प्रदान करेंगे? महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न के मुद्दे पर हमें विश्वास नहीं होता कि हमें न केवल किसी एक राज्य से बल्कि लगभग सभी राज्यों से प्रतिदिन ऐसी घटनाओं की खबर मिलती है। अतः, इस संबंध में एक व्यापक शिक्षा अभियान चलाने और कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है और साथ ही नए कानून भी लागू किए जाने चाहिए। इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

महोदय, हम न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें जजों का चयन, जजों की नियुक्ति जजों का स्थानान्तरण और उनके वेतन जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं। अभी ये सभी निर्णय स्वयं जज ही लेते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में सरकार का क्या विचार है? कुछ सुझाव आए हैं। जहां तक आम लोगों का संबंध है उनके लिए आज भी उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय तक पहुंच पाना संभव नहीं है। आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही करे। न्यायालय जाए बिना, वकीलों को एक भारी धनराशि दिए बिना हम लोगों को न्याय किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं? इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह मुद्दा केवल जजों के वेतन अथवा उनकी नियुक्ति से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि आम आदमी को न्याय प्रदान करने से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में न्याय पाना संभव नहीं है। लोगों को न्याय तभी मिल सकता है जब उनके पास धनराशि हो।

सरकार ने यह कहा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। यह सत्य है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पांच प्रतिशत से भी कम है। कर संग्रहण में भी कमी आई है। यहां, इस संबंध में सरकार क्या उपाय करने जा रही है? काला धन और भ्रष्टाचार, प्रणाली की विफलता के मुख्य मुद्दे हैं। पूर्व सरकार

ने कॉरपोरेट्स को छूट प्रदान की थी। मुझे यह जानकारी है कि प्रत्येक बजट में एक कॉलम होता है। हम यह जानते हैं कि वह कॉलम है कर छूट। कर छूट आम आदमी के लिए नहीं है अपितु, कॉरपोरेट घरानों के लिए है...*(व्यवधान)*

कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। पिछली बार भी कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपये दिए गए थे। यह छूट आम आदमी के लिए नहीं थी। अतः, यदि आप भी उसी मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं तो पूर्व सरकार और आपकी सरकार में क्या फर्क है।

करोड़ों श्रमिक खादी, बीड़ी निर्माण, नारियल का रेशा, हथकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों में कार्यरत हैं। उनकी मजदूरी बहुत कम है। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। उनके कार्य दिवस बहुत कम होते हैं। जब आप हाई-टैक उद्योगों और आधुनिक नगरों की बात करते हैं तो इन पारंपरिक उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इन करोड़ों लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कुछ अन्य वर्ग भी हैं। हमने इस सभा में भी ई.पी.एफ. पेंशनभोगियों के बारे में चर्चा की है जिन्हें 10 या 20 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। हमने इस बारे में पूर्व सरकार से भी बात की थी परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या यह सरकार इस बारे में हमारी बात सुनने के लिए तैयार है? यह इसलिए है क्योंकि सभी पार्टियां यह लाभ देने के लिए सहमत हैं।

रेलवे हमारा एक बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। रेलवे में लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और अब आप रेलवे में पी.पी.पी. मॉडल और एफ.डी.आई. की बात कर रहे हैं। रेलवे का सार्वजनिक स्वरूप ही वस्तुतः उसकी सफलता का बड़ा कारण है। यदि आप रेलवे का निजीकरण करना चाहते हैं तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि रेलवे राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रतीक है। अतः, सरकार को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए।

हमने देश के विभिन्न भागों में आतंकी हमले, नक्सली हिंसा और उपद्रव की घटनाएं देखी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें इस संबंध में सुरक्षा उपाय करने होंगे। परन्तु, साथ ही इस संबंध में सतर्क और सुधारात्मक उपाय किए जाने की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापतिः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. करुणाकरनः महोदय, कृपया मुझे केरल राज्य से संबंधित एक और मुद्दा रखने की अनुमति दीजिए। यह मुद्दा केवल केरल के लिए ही चिंता का विषय नहीं है अपितु, इससे सात अन्य राज्य भी पीड़ित हो रहे हैं। यह मुद्दा कस्तूरीरंगन प्रतिवेदन और माधव गाडगिल प्रतिवेदन के कार्यान्वयन से संबंधित है। न केवल मैं बल्कि, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कई अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार को एक नया प्रस्ताव तैयार करके राज्यों के सभी पक्षकारों, तथा जिला पंचायतों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करना होगा।

जहां तक इन उपायों का संबंध है हम जानते हैं कि लगभग 53 लाख की जनसंख्या वाले 4352 गांव इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जहां तक केरल राज्य का संबंध है 25 लाख की जनसंख्या वाले 123 गांव इससे प्रभावित हैं। माननीय सभापति महोदय, आप भी इसमें रुचि लेंगे क्योंकि आप इसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

माननीय सभापतिः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. करुणाकरनः महोदय, मैं अपने अंतिम बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

इस चुनाव में, इस बात में संदेह नहीं है कि इस सरकार को बहुमत मिला है। अपनी पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रपति और एक पार्टी के बहुमत वाली दल सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु, साथ ही आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि 69 प्रतिशत लोग आपके पक्ष में नहीं हैं। केवल 31 प्रतिशत लोग ही आपके पक्ष में हैं। जहां तक कांग्रेस का संबंध है इसे 44 सीटें मिली हैं जिसका यह अर्थ है कि इस पार्टी को लगभग 20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। यह भी सत्य है कि 10 पार्टियों को केवल एक-एक सीट मिली है जबकि पांच पार्टियों को दो-दो सीटें मिली हैं। हमारे वामदलों को भी असफलता मिली है। यह एक नया परिदृश्य है। अतः, यहां सरकार को यह समझना है कि देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की सुरक्षा करनी है। हमारे देश में अनेक भाषाएं, धर्म, जातियां और उपजातियां हैं। अतः, अपनी नीतियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा।

[हिन्दी]

***श्री देवजी एम. पटेल** (जालौर): 16वीं लोक सभा का यह ऐतिहासिक क्षण है, मैं भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 30 वर्षों बाद किसी एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। एक गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट देकर जनता ने माननीय प्रधानमंत्री

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

नरेन्द्र भाई मोदी जी पर अपार विश्वास जताया है। सत्ता पक्ष होने के कारण हमारी पार्टी और हम सब पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना एक चुनौती है। जिसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आज देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत युवा देश है, फिर भी आज देश में अनेक समस्याएं लम्बे समय से बनी हुई हैं। मैं एक युवा सांसद हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र जालौर सिरोही अपार सम्भावनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। मेरा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेयजल, बिजली, उद्योग, कृषि, रोजगार, पर्यटन, दूरसंचार आदि सभी क्षेत्रों में अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है।

जालौर सिरोही में आज से लगभग आठ दशक पहले ट्रेन की शुरूआत हुई थी, लेकिन आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सेवाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण जालोर सिरोही जिला केन्द्र अभी तक रेलवे नेटवर्क से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेक लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। जिले से दक्षिण भारत के लिए सीधे रेल सेवाओं का अभाव है, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जालौर, आबू रोड रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन तो घोषित कर दिया गया है, किन्तु इन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, छाया के लिए टिन शेड आदि का अभाव है। इन स्टेशनों के अतिरिक्त रानीवाडा, मोदरण, भीनमाल आदि स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की तेज आर्थिक प्रगति के लिए कांडला से बाड़मेर वाया सांचोर नई रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं कि रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। वर्तमान सरकार हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे जालौर सिरोही क्षेत्र के लोगों का भी समुचित विकास सम्भव है।

मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी तथा राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के प्रयासों से नर्मदा नहर के माध्यम से सांचोर तथा जालौर के अनेक गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर आभार व्यक्त करता हूं। नर्मदा नहर के आने से यहां के किसानों की आय में वृद्धि हुई है, परंतु इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण अनेक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र डार्क जोन घोषित है। यहां के भूमिजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी पीने के लायक नहीं है। पिछली सरकार नर्मदा का पानी सांचोर से जालौर सिरोही तक नहीं पहुंचा सकी। हम अपने प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि वे कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं, जिससे हर खेत को पानी मिलने के कारण क्षेत्र पेयजल और सिंचाई की समस्या से निजात पा सकेगा।

मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहां के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। विषम परिस्थितियों के बावजूद यहां की मुख्य फसल जीरा, इसबगोल, बाजरा व मिर्च है। इस क्षेत्र में सूखा के साथ-साथ किसानों को पाला का भी सामना करना पड़ता है। बीमा पॉलिसियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए बाजार समिति, कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस आदि के निर्माण की आवश्यकता है। हमारी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जा रही है, जिससे जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को परिवहन से देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास की भी समस्या है। हमारी सरकार विश्व स्तरीय सुविधायुक्त 100 शहर बनाएगी, जिसके लिए स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब तक देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा। जिसमें पानी, शौचालय, चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधा होगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर की भारी कमी है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है तथा नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी, इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनलों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को प्रशिक्षण में बदलाव किया जाएगा।

भारत में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं, जो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। आज हमारी सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी, जोकि विशिष्ट विषय-वस्तु पर आधारित होंगे। मेरे क्षेत्र में माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू के विकास से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन के मंत्र पर कार्य करेगी और इस तरह संगठित सुदृढ़ और आधुनिक भारत का निर्माण होगा तब हमारा देश एक भारत-श्रेष्ठ भारत बन सकेगा।

[अनुवाद]

***श्री विनसेंट एच. पाला.** (शिलौंग): मैं विभिन्न कारणों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नारों का संकलन मात्र है। चुनावों ने आशा जगाई है। आशा जगाने का यह दूसरा दौर है। निराशा में डूबने से पहले आप आशा के कितने दौर लाने वाले हैं?

इस देश के युवाओं ने इस सरकार को बनाने के लिए जिस आशा के साथ मतदान किया था यह अभिभाषण उस आशा को साकार करने का रास्ता नहीं दिखाता। यदि आप इस अभिभाषण पर जनमत चाहते हैं तो निश्चित ही आपको उन युवाओं से न सुनने को मिलेगा जिनमें अब और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है।

आपने अपने चुनावी नारे "स्किल, स्केल एण्ड स्पीड" को फिर से दोहराया है। कम योग्यता के कारण आपके मंत्रियों के पास कौशल नहीं है। आपका मंत्रालय पूर्णत: कुशल नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में गति के साथ आपको अभी अपना प्राथमिक कर्तव्य करना शेष है। एक पखवाड़े में आपने दिखा दिया कि आपके पास स्किल, स्केल और स्पीड नहीं है। इस कथनी के स्थान पर कृपया अपने कार्यों को वास्तविक रूप में और भावना से पूर्ण करिये।

अभी आपने जी.ओ.एम. और ई.जी.ओ.एम. को समाप्त कर दिया है। उनके स्थान पर आपने कुछ विशेषज्ञ समितियां बनाई हैं। आपने एक ईकाई को मात्र दूसरी ईकाई से बदला है। गति में सुधार कहां है? आपने प्रशासन और अपने सांसदों को कुछ निर्देश जारी किए हैं जैसे कि यह कोई नई चीज हो। वे पहले से ही मौजूद हैं। प्रशासनिक सुधार इस तरह की छोटी-छोटी चीजों से नहीं आ सकते। उन्हें व्यापक, सर्वव्यापी और तह तक पहुंचने वाले होना चाहिए। दिखावटी निर्देश हमेशा असफल होते हैं। इस देश के लोग अभी भी श्रीमती इंदिरा गांधी के कृतज्ञ हैं जिन्होंने कार्यस्थल पर अनुशासन कायम किया था। इंदिरा गांधी का "बातें कम और काम ज्यादा" यदि सरकारी विभागों में ज्यादा सफल न भी हो पाया तो भी इसने कॉरपोरेट कार्य संस्कृति में अपनी जड़ें गहराई तक जमा ली हैं। इसलिए हमें हमारे प्रशासनिक सुधारों के बारे में व्यावहारिक होना होगा। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह सरकारी संस्थानों के प्रति दण्डात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे, परंतु फिर भी, आयकर विभाग द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त पर की गई पहली कार्यवाही संदेह उत्पन्न करती है। इसे न केवल निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए।

मुझे राजीव गांधी के स्वर्णिम दिनों की याद आती है जो देश को तेजी से इक्कीसवीं सदी की ओर ले गये। काम का डिजिटलीकरण, पांच प्रौद्योगिकी मिशनों, दल-परिवर्तन रोधी कानून, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानून, अ.जा. और अ.ज.जा. की सुरक्षा हेतु कानून तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रगतियों का श्रेय केवल राजीव गांधी को जाता है जो केवल दो दशक पहले हमारे साथ थे। देश को सभी मोर्चों पर तेजी से प्रगति के पथ पर ले जाने का श्रेय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। वैश्विक मंदी के मुश्किल वर्षों के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का श्रेय हमारे बुद्धिमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को जाता है। वह चुपचाप काम करने वाले और एक शांत क्रांतिकारी रहे हैं। आपके अपने वित्त मंत्री ने उन्हें बधाई दी है। इस सभा में हमारी निर्वाचित संख्या हमारे अच्छे कामों को नकारा जाना नहीं है बल्कि यह आपके लिए एक अवसर है। आप जोरदार तरीके से आये हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं है कि क्या आप इस उत्साह को बनाए रख पाएंगे क्योंकि हमें राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में कोई जोश दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि आप निराश होकर जाएंगे।

आपने कहा है कि अभी तक पूर्व का उतना विकास नहीं हुआ है। पचास और साठ के दशक के दौरान द्रविड़ दल इस तरह की राजनीति करते थे कि दक्षिण की कीमत पर उत्तर हमेशा प्रगति करता रहा है। उत्तर-दक्षिण की राजनीति अब खत्म हो चुकी है अब पूर्व-पश्चिम की राजनीति हो रही है। लेकिन पूर्व विशेषकर उत्तर-पूर्व का विकास करने हेतु ठोस रूपरेखा कहां है। उत्तर पूर्व के संघर्षरत क्षेत्रों में स्थाई शांति लाने के लिए थोड़ी भी चर्चा नहीं है। आपने सरकार में सबकी नियुक्ति की है, परंतु आपको भारत-नागा शांति वार्ताओं हेतु किसी वार्ताकार की नियुक्ति करनी बाकी है। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। नागालैण्ड में लोगों ने छह दशक के लंबे समय तक पीड़ा झेली है। राज्य में अभी भी डर का माहौल है। गुटीय संघर्ष अक्सर शांति को बाधित करते हैं। राज्य में आम आदमी को गैर कानूनी कराधान से बचाना बाकी है। राजनीतिक नेता राजधानी में अपनी पैठ बनाने के लिए राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री वास्तव में शांति में रुचि रखते तो उनका पहला काम वार्ताकार की नियुक्ति करना होता।

एक अन्य दिन, मेरे अपने गृह राज्य मेघालय की गारो पहाड़ियों में एक औरत को उसके अपने बच्चों के सामने बड़ी ही निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। आतंकवादी गुटों द्वारा निर्दोष नागरिकों के साथ जघन्य अपराध किये जा रहे हैं। आतंकवाद की मुसीबत से निपटने के लिए राज्य सरकार को गुप्तचर, अन्वेषण

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

समर्थन और धन की भी आवश्यकता है। मंत्रालयों के सम्मिलन और ध्यान बंटाने की बजाय, इस सरकार को "उत्तरपूर्व में शांति हेतु एक नया विभाग" बनाना चाहिए था, ताकि सुरक्षा, अन्वेषण और कूटनीति विशेषज्ञ साथ आएं और उपद्रवी और आतंकवादी गुटों द्वारा उत्पन्न किए गए संकट से निपट सकें। भारत के संविधान और देश के कानूनों की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे उत्तर-पूर्व के समुदायों के लिए पूरी तरह असंगत है। उत्तर पूर्वी राज्यों के छोटे आकार और समृद्ध जातीय संरचना को देखते हुए आपको उनके प्रति विशेष दृष्टिकोण और विशेष ध्यान रखना चाहिए।

सरकार में किसी ने लापरवाही और बेपरवाही से अनुच्छेद 370 पर बहस को सनसनीखेज बना दिया। उत्तर पूर्व के राज्य और मुख्य भूमि के भी कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371, पांचवीं और छठी अनुसूची के अन्तर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त हैं। यह बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि क्या इन विशेष प्रावधानों को जारी रखा जाए अथवा नहीं बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि इन राज्यों में प्रशासन के निचले स्तरों पर किस प्रकार अधिक प्रभावी शक्तियां विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां आवंटित की जाएं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमें एक आश्वासन दें कि राज्यों विशेषकर उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अनुच्छेद 370, 371 और अन्य विशेष प्रावधान जारी रहेंगे और इन प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियों तथा विशेष दर्जे को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

उत्तरपूर्वी राज्यों के पुरुषों और महिलाओं को हर दिन दिल्ली और देश में दूसरी राजधानियों में नस्ली उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश के शहीद निडा तानिया की हत्या को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। लगभग तीन सप्ताह बीत चुके हैं। कोई प्रशासनिक अथवा कानूनी तंत्र राष्ट्रीय और अन्य राजधानियों में सड़कों पर लड़कों और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सामने नहीं आया है। अभिभाषण में गृह मंत्रालय की समिति के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं है कि यह सफल हुई अथवा असफल हुई। यदि इस सरकार का यही रुख है तो यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार इस सरकार से उम्मीदें निराशा के गर्त में गिर गई हैं। उत्तर पूर्व के लड़के और लड़कियां किस प्रकार इस सरकार पर और भरोसा कर सकते हैं?

देश के अल्पसंख्यकों के बीच उनके प्रति इनके दृष्टिकोण को लेकर असुरक्षा का गहरा भाव है। विशेषकर ईसाई बाईबिल और चर्च जलाने को लेकर डरे हुए हैं जैसा कि ओडिशा और कर्नाटक में हुआ है। मिशनरियों को जलाकर मार दिया गया है। ऐसा ही डर अन्य अल्पसंख्यकों के मन में भी है। ऐसी खबरें हैं कि सरकारी प्राधिकारी बदले की भावना से एन.जी.ओ. और चर्च संस्थानों को विदेशों से मिले पैसों की जांच एफ.सी.आर.ए. के अन्तर्गत करा रहे हैं। पूर्व में झूठे केस दर्ज किए गए हैं और चर्च संस्थानों को उत्पीड़ित किया गया है। यह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। यह देश सभी हिन्दुओं, ईसाईयों, मुस्लिमों और अन्यों का है। किसी भी समुदाय के विरुद्ध प्रतिकूल भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री देश को ठोस आश्वासन दें कि विदेशों से पैसा प्राप्त कर रही ईसाई एन.जी.ओ. को एफ.सी.आर.ए. के अन्तर्गत अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं सरकार से न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। आगे से जजों को चुन-चुन कर नहीं लाया जाए। उन्हें अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाए जैसे कि अधीनस्थ न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रतियोगिता के द्वारा होती है। न्यायपालिका की शक्तियों को केवल कानूनों की व्याख्या करने तक सीमित किया जाए और इसे सार्वजनिक क्रियाकलापों, नीतियों, कार्यक्रमों आदि की समीक्षा तक नहीं बढ़ाया जाए, न्यायपालिका समितियां नियुक्त करने अथवा न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का अधिकार अपने पास नहीं रख सकती। जैसे जांच कार्यपालिका से अलग है इसी तरह जांच को न्यायपालिका से भी अलग रखा जाए। जब तक देरी के लिए न्यायधीशों को दण्ड नहीं दिया जाएगा तब देरी होती रहेगी। संसद को स्वतंत्र रूप से जजों के आचरण और याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका में सुधार लोक-केन्द्रित और लोक-प्रायोजित हों। स्वतंत्रता का मतलब आलोचना विशेषकर संसदीय आलोचना से पृथक्करण नहीं होता। याचिकाकर्ताओं को समय से न्याय देने में असफल रहने पर न्यायधीशों को समान रूप से जवाबदेह बनाना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार से संसदीय सुधारों की शुरुआत करने का अनुरोध करता हूं। दोनों सभाओं के प्रक्रिया विनियमों को सरल बनाने के लिए उनकी गहनता से समीक्षा की जानी चाहिए। संसद के कार्यकरण में तकनीक का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए। सत्र की प्रतीक्षा किए बिना वर्ष भर सरकार से प्रश्न वेबसाईट पर पूछे जाएं और वहीं उस पर उनके उत्तर दिए जाएं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि संसद प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देने वाला संस्थान बन सके। समितियों तक जनता और मीडिया के लिए पहुंच होनी चाहिए। समितियों तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए ताकि उनकी

खास समस्याओं का समितियों के माध्यम से समाधान हो सके। समितियों के प्रतिवेदनों पर सभा में अनिवार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए और उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को, उसकी पार्टी पर विचार किए बिना समान रूप से समय उपलब्ध कराया जाए। वीडियो सत्रों के माध्यम से सभाओं और समितियों का काम बिना एक जगह एकत्र हुए होना चाहिए। इससे समय और यात्रा लागत की बचत होगी। संसद और समितियों को इतने अधिक समय के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें न केवल सरकार द्वारा बल्कि सदस्यों के कोरम द्वारा भी आहूत किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिनिधि संस्थान सरकार के नियंत्रण से बाहर रह सकें।

बी.जे.पी. ने हाल के चुनावों में भारी धनराशि खर्च की है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बाबू और राजनीतिज्ञ ईमानदार बनें। क्या वह आगे बढ़कर इस सम्मानित सभा के समक्ष अपने अभियान के दौरान खर्च हुई धनराशि का हिसाब प्रस्तुत करेंगे? यदि वह ऐसा करते हैं और वह चुनावों के दौरान खर्च किए गए धन का हिसाब इस सभा में रखते हैं तो तब हम मान सकते हैं कि वह अपने सार्वजनिक जीवन में वास्तव में ईमानदार हैं।

चूंकि इस अभिभाषण में इनमें से किसी चीज के लिए, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, प्रावधान नहीं है, अत: मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया** (अमरेली): महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के एजेंडा पर चर्चा के अनुसार हमारी नई सरकार का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं नई योजनाओं पर अमल होना है, जिससे "स्वस्थ भारत का निर्माण हो, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का उत्थान हो" हम इस विचार एवं योजना का स्वागत करते हैं तथा पूर्ण समर्थन करते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नई स्वास्थ्य योजनाओं को योग और आयुष के द्वारा लागू करना तथा ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक को शौचालय की सुविधा मुहैया कराना। सरकार को एक भारत-श्रेष्ठ भारत तथा सबका साथ-सबका विकास का मंत्र मिला है, जो अत्यंत जरूरी एवं प्रशंसनीय है।

सरकार का ध्येय होगा कि 2022 तक सभी परिवारों को पक्का घर तथा बिजली आपूर्ति की सुविधा मुहैया करायी जाये, जो अत्यंत सराहनीय है। हमारी सरकार को टूरिज्म, टेलेन्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी तथा ट्रेडिशनल अर्थात् 5-टी का मंत्र लेकर देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, यह मंत्र प्रशंसा के काबिल है।

खराब मानसून के लिए भी योजनाओं का समावेश किया जायेगा, जो हमारे देश के किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। खासतौर पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, विकास में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, हिमालय के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाना, सुविधाओं के लिए शहर तथा गांव के भेदभाव दूर करने का प्रयास किया जाना तथा महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देने की प्रक्रिया की ओर कदम उठाना एक सराहनीय कदम है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी देशों से अच्छे संबंध रखने का विचार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जो हमारी विदेश नीति एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। हम इस ओर उठाये गये कदमों की प्रशंसा करते हैं।

यह भी सत्य है कि लोक सभा चुनावों में देश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। अत: हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने क्षेत्र का विकास कार्य पूरी ईमानदारी से करें और देश की महत्वकांक्षाओं को फलीभूत करने में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें।

***श्री सुशील कुमार सिंह** (औरंगाबाद): आप सर्वसम्मति से सभा की अध्यक्षा चुनी गईं और पूरे सदन ने आपके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया। यह आपकी वरीयता, अनुभव एवं क्षमता का द्योतक है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश के समग्र विकास की विस्तार से चर्चा की और समाज के सभी तबकों, सभी सम्प्रदायों तथा खासकर गरीब व पिछड़े तबके के उत्थान एवं विकास पर जोर दिया है। सरकार ने शिक्षा के विकास, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, किसानों की समस्याओं के निदान, नौजवानों को रोजगार हेतु दक्ष बनाने सहित औद्योगिक विकास तथा पड़ोसी देशों से संबंध समेत सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। पूरा सदन और देश महामहिम का आभार प्रकट करता है। महामहिम ने अपने भाषण में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख किया है तथा देश के समग्र विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रूपरेखा खींची, जो व्यापक एवं सम्पूर्ण है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सलवाद से निपटने के विशेष कार्यक्रमों पर ध्यान देने के

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

साथ-साथ सरकार छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दे, जिससे किसानों को बाढ़ और सूखे से निजात मिल सके तथा उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इस संदर्भ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का उदाहरण दूंगा जो कुल 30 करोड़ रुपये लागत की परियोजना 1975 में शुरू हुई थी पर अब तक 1000 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी परियोजना अधूरी है। जबकि थोड़ी-सी सरकारी जागरूकता से लाखों हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों का भला हो सकेगा तथा यह संपूर्ण क्षेत्र जो आज उग्रवाद से प्रभावित है, खुशहाल एवं समृद्ध हो पाएगा।

[अनुवाद]

***श्री राहुल रमेश शेवाले** (मुंबई दक्षिण मध्य): मैं एक नया संसद सदस्य हूं और पहली बार इस सभा में चुनकर आया हूं। मैं महाराष्ट्र के सर्वकालिक महान नेता स्व. श्री बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मुंबई से जीतकर आया हूं। मैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा कल केन्द्रीय कक्ष में दिया गया अभिभाषण हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का विजन (स्वप्न) है। यह सत्य है कि यह चुनाव आशाओं पर आधारित है। सही अर्थों में इन आशाओं को पूरा करने के लिए राजग सरकार, इस महान देश के करोड़ों लोगों के सहयोग से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का नारा दिया है, और हम श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। हम अपने सक्रिय सहयोग से 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत के साथ लोकतांत्रिक संस्था की विश्वसनीयता को फिर से बहाल करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे।

जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है मैं उसका उल्लेख करता हूं 'मेरी सरकार निर्धन लोगों के प्रति समर्पित है', मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि मैं मुम्बई के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां निर्धन से निर्धनतम व्यक्ति रहते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के वंचित लोगों की निर्धनता को दूर करने और उनका उत्थान करने के लिए मुझे सरकार के सहयोग और सहायता की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं भविष्य में इस संबंध में कई मुद्दे उठाने की योजना बना रहा हूं। मुझे वर्तमान सरकार के पूरे सहयोग की आवश्यकता है जो कि मुझे पूर्व केन्द्र सरकार और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार से नहीं मिला है।

देश का आधे से अधिक राजस्व महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई से अर्जित होता है। परन्तु, मौजूदा राज्य सरकार ने मुंबई की उपेक्षा की है। नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिनके लिए पर्यावरणीय मुद्दे, केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई परियोजना आदि के संबंध में अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि वह लंबित परियोजनाओं, चाहे वह शहरी विकास या रेलवे विशेषरूप से मुंबई उपनगर रेल की परियोजनाएं हों, का अनुमोदन प्रदान करके महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दें।

मैं, श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं और राजग सरकार के एजेंडा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती कृष्णा राज** (शाहजहांपुर): मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार एक भारत-श्रेष्ठ भारत एवं समृद्धशाली भारत के सपने को साकार करने जा रही है।

अवगत कराना है कि सम्पूर्ण अभिभाषण में मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को भी सम्बद्ध करने की कृपा करें-

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में रोजा थर्मल पॉवर प्लांट से विद्युत आपूर्ति शुरू करवायी जाये, ताकि पूरे क्षेत्र को विद्युत की समस्या से छुटकारा मिल सके।

मेरा संसदीय क्षेत्र लगभग सात-आठ नदियों से घिरा हुआ है, जिससे हर वर्ष बाढ़ की भयावह स्थिति में हजारों की संख्या में जान-माल का नुकसान होता है। इसके साथ ही सड़कें एवं पुलिया बह जाती हैं तथा फसलों का भी नुकसान होता हैं अतः बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए बांधों का निर्माण किया जाये तथा अन्य उपाय किये जायें, जिससे इस शाहजहांपुर क्षेत्र को बचाया जा सके।

इस क्षेत्र में वर्षों से रेल मार्ग की मांग उठाई जाती रही है। अतः जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आग्रह है कि जनपद

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

फरूखाबाद से शाहजहांपुर होते हुए मेलानी तक रेल मार्ग बनाया जाये। पूर्व में भी यह रेल मार्ग अस्तित्व में था।

मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी रहा है। यहां अनाज की एक विशाल मंडी भी है। अत: कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए यहां कृषि से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाया जाये ताकि भविष्य में यहां कृषि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।

जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। अत: आपसे विनती है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि जनमानस को एक अच्छा माहौल तथा महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिल सके। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में लगभग डेढ़ वर्ष से पूजा नाम की एक लड़की गायब है, किंतु आज तक उसका कहीं अता-पता नहीं है। जीवित है भी या नहीं यह कोई नहीं जानता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 सीतापुर से लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली का पिछले एक वर्ष से निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे आमजन को यातायात में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अत: इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की व्यवस्था हो। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में खुदागंज से कटरा, बंडा से पुवायां, तिलहर से निगोही, पुवायां से निगोही तक की सड़क को जल्द से जल्द पूर्ण करवाये जाने की कृपा करें, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को सुविधायुक्त यातायात मिल सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में लड़कियों के लिए अभी तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अत: आपसे निवेदन है कि तहसील तिलहर, पुवायां, जलालाबाद और शाहजहांपुर में कन्याओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए।

शाहजहांपुर में पेयजल की गंभीर समस्या है। अत: आपसे निवेदन है कि इस हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि सभी को स्वच्छ पेयजल सरलता से उपलब्ध हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगारोन्मुख संस्थानों की स्थापना किये जाने की भी नितान्त आवश्यकता है, जिससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में या कहीं भी सरलता से रोजगार उपलब्ध हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र में जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। उनकी इस क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की सम्पूर्ण संभावनायें भी हैं। वहां दूर-दूर से लोगों का आना-जाना लगा रहता है। अत: आपसे आग्रह है कि इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित करें, ताकि प्रदेश के राजस्व में इसका योगदान हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में स्वास्थ्य केन्द्रों का पूर्णत: अभाव है। गिने-चुने केन्द्र हैं, जहां पर उच्च स्तरीय इलाज नहीं हो पाता है और मरीजों को दूर कहीं जाना पड़ता है। अत: यहां पर अच्छे और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये, ताकि जनता को अपने इलाज हेतु कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही महिला मरीजों के लिए अलग से एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाये।

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में खेलकूद की काफी संभावनाएं हैं। यहां के बच्चों को खेलकूद के लिए एवं अच्छे प्रशिक्षण हेतु एक स्टेडियम की स्थापना करने का कष्ट करें।

शाहजहांपुर में गन्ना किसानों का समय पर भुगतान न होने के कारण किसान भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अत: गन्ना किसानों को उनके भुगतान कराने की शीघ्र व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

अंत में, मैं इस अभिभाषण पर अपनी सहमति प्रकट करती हूं और आशा करती हूं कि आप संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे।

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश** (सूरत): देश की जनता की आशा, अपेक्षाओं का प्रतिबिंब इस अभिभाषण में दिखाई देता है। एक प्रकार से जो जनादेश मिला है, उसका सम्मान करते हुए सरकार देश के सपनों को जमीन पर उतारने हेतु क्या करने वाली है उसका प्रतिबिंब भी इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उभरकर आता है। पिछले एक दशक में इस सदन एवं देश में जो वातावरण था वो मरी नजरों के सामने आता है, जहां लोगों में निराशा-हताशा का माहौल था, वहीं बाजार में मंदी छायी हुई थी, जनता सौ दिनों में महंगाई खत्म करने के वादे से अपने से हुए धोखे का अनुभव कर रही थी। त्रासवाद अपने उफान पर था। त्रासदीवादियों की इतनी हिम्मत बढ़ गयी थी कि वे ई-मेल करके जानकारी देकर भारत की प्रभुता को चुनौती देते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश हमें इतनी तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसी वातावरण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद हेतु उम्मीदवार बनाने की घोषणा हुई थी और लोगों को लगने लगा कि अब स्थितियां बदलेंगी। देश में हिमाचल, जहां अभी तक भाजपा को समर्थन नहीं मिलता था, वहां से भी आम जनता कमल के रूप में माननीय नरेन्द्रभाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

खड़ी हुई। जनता ने अपना मन बना लिया, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. के नेतृत्व पर भरोसा था कि यह नेतृत्व वादे करके मुकरनेवाला, भूल जाने वाला नहीं है। यह अभिभाषण में जो रोड मेप दिखाया गया है, वह आम जनता की इस भावना को भी साकार करता है कि यह सरकार वादे करके भूल जाने वालों में से नहीं है।

आज देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं पर उनकी राष्ट्र के विकास में भागीदारी नहीं है। उनकी अपेक्षाओं का पूर्ण ध्यान इस दस्तावेज में रखा गया है। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते थे। एक दृष्टि से यह सदन महानुभावों की उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। इन सभी मुद्दों पर राष्ट्र के आगे बढ़ने का रोड मेप सपना नहीं रहेगा। इस सदन में सुरक्षा, सेना, संस्कृति, खेल, व्यापार, भारतीय सभ्यता एवं समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। एक तरह से सभी क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति इस सदन में बैठे हैं। जिनके ज्ञान का अनुभव का लाभ इस अभिभाषण में उल्लिखित बातों को वास्तविक बनाने में काम आने वाला है।

इस दस्तावेज में हर हाथ को हुनर देने की बात कही गयी है। मैं सोचती हूं कि लोगों को यह बात नई नहीं लग रही है? शायद इसलिए कि आज से पहले यह बात पिछली सरकार के एजेन्डा में नहीं थी। पिछली सरकार ने करोड़ों नौकरियों की बात की थी, परन्तु जमीनी सच्चाई कुछ अलग ही थी, जो देश के लोगों के ध्यान में आई थी। हुनर की अगर बात करें तो हमारे यहां हुनर की कमी नहीं है, परन्तु उसे योग्य तरह से गतिमान करने की आवश्यकता है। देश में अगर एक नजर दौड़ायी जाए तो ध्यान में आता है कि बेरोजगारी की समस्या का निराकरण इसी मंत्र में छिपा हुआ है। अगर आप समाज में नजर दौड़ाएं तो ध्यान में आयेगा कि आई.टी.आई. जैसे छोटे स्तर का अभ्यास करने वाले छात्र हमें बेकारों की श्रेणी में दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके हाथ में हुनर है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को हमारी प्राचीन कलाओं में से एक भी कला आती होगी, वह व्यक्ति बेकार नहीं दिखाई देगा। वर्तमान सरकार ने हर हाथ को हुनर के माध्यम से बेकारी की समस्या से देश को मुक्त करने की दिशा में अपनी मंशा को लोगों के सामने रखा है।

भ्रष्टाचार निवारण की बात करें तो वर्तमान सरकार ने जिम्मेदारी संभालते ही जो कदम उठाने शुरू किये हैं, उससे भी देश की जनता आश्वस्त हुई है। चाहे एस.आई.टी. का गठन होना हो, चाहे पर्यावरण की फाईलों का ऑनलाइन होना आदि भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में लिए गए निर्णय हैं। देश की जनता इन सब बातों को देख रही है।

विकास की बात करें तो वर्तमान सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की टीम इंडिया की बात करती है, अपने कुछ दिनों के व्यवहार से यह प्रमाणित भी किया है। मुंबई जैसे क्षेत्र में मैट्रो ट्रेन का पूरा ढांचा बन कर तैयार खड़ा था और दोनों जगह एक ही पक्ष की सरकार थी, पर वह काम नहीं हुआ था, जो वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के दस दिनों में ही करके दिखाया। यूपी में बिजली की समस्या थी, सपा सरकार ने केंद्र को बदनाम करने की कोशिश की, परन्तु केंद्र की एन.डी.ए. सरकार ने मांग से अधिक बिजली देकर संकट को कम करने का कार्य किया। अगर सरकार चाहती तो पिछली सरकारों की तरह जहां विरोधी पक्षों की सरकार है, उन प्रदेशों के कार्यों में दिक्कत पैदा कर सकती थी, परंतु एन.डी.ए. सरकार का डी.एन.ए. अलग है। इसलिए जो वादा हमने किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वादा पूरा होने के मार्ग पर सरकार चलने लगी है। और हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं और उसकी शुरूआत हो चुकी है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव और जिसका अनुमोदन श्री राम विलास पासवान जी ने किया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद के समवेत सदन में जो अभिभाषण होता है, वह सामान्यत: किसी भी सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है। यह नई सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कार्य प्रारम्भ किया है तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं, यह अभिभाषण में स्पष्ट दिखाई देता है। जो देश को एक साथ लेकर के, सब का साथ-सबका विकास के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद जब हम चुनाव में जाएंगे, सरकार पुन: जनता के बीच में लेकर के जाएगी।

लेकिन यह सुयोग प्राप्त कैसे हुआ है, पहली बार हुआ है कि कोई सरकार जनता के बीच में जा रही है तो उसके पास जनता को बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। एक नकारात्मक सोच के साथ यू.पी.ए. सरकार जनता के बीच में गई थी और उस नकारात्मक सोच के साथ हम लोग लगातार पिछले

दस वर्षों तक उस नकारात्मक सोच को देखते रहे और हम यह महसूस करते थे कि जनता इनको अवश्य इसका सबक सिखाएगी और अन्ततः वही हुआ। आज कांग्रेस अपने आजादी के बाद के इतिहास की सबसे कम संख्या पर आकर सिकुड़ गयी है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिका को नहीं छोड़ा तो कहीं यह स्थिति न पैदा हो जाए कि जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की हुयी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की वैसी स्थिति न हो जाए। ...*(व्यवधान)* जब हम लोग इस बात को यहां पर कह रहे हैं तो मुझे उनसे इस बात को कहना है कि भारत माता के महान सपूत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता।" मुझे लगता है कि अपने मन को अब तो इनको बड़ा कर देना चाहिए। इस हार को स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही कांग्रेस के हित में होगा और यही विपक्ष में बैठे हमारे साथियों के हित में होगा कि इन्हें अपने मन को बड़ा करना पड़ेगा और दिल को भी बड़ा करना पड़ेगा, जिससे देश के बारे में एक सही सोच को हम लोग लेकर आगे बढ़ सकें। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इस सरकार ने अपना विजन सबके सामने रखा है। ...*(व्यवधान)* आप पांच वर्षों तक इंतजार कीजिए। हमने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, वे सारी की सारी बातें आपके सामने होंगी। महोदय, इसके बारे में मुझे स्पष्ट करना है कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही हम लोगों ने कुछ बातें देखी होंगी। हमारी विदेश नीति में जंग लग चुकी थी। दस वर्षों से हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। नेपाल को इस बात की सजा दी गयी थी कि वह हिंदू क्यों लिखता है? नेपाल को केवल इस बात की सजा दी गयी। नेपाल से संबंध खराब, भूटान से संबंध खराब, पाकिस्तान, बांग्लादेश से संबंध खराब, अफगानिस्तान से संबंध खराब और मालदीव जैसा छोटा सा देश भी भारत को चुनौती दे रहा था, लेकिन शपथ समारोह में दक्षेस देशों से जुड़े हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति के साथ-साथ मॉरीशस के राष्ट्रपति की उपस्थिति इस सरकार की सफल विदेश नीति को प्रदर्शित करती है और जिस प्रकार के आमंत्रण आने प्रारंभ हुए हैं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की ओर से जो संदेश मिले हैं, वे संदेश स्पष्ट करते हैं कि एक सफल विदेश नीति को लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं और यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार के उन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ेगी, जहां पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे छोड़ा था।...*(व्यवधान)*

महोदय, यह सरकार आयी थी और इस सरकार ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। विदेशों में रखा गया काला धन, एक अनुमान है कि विदेशी बैंकों में लगभग 85 लाख करोड़ रुपया इस देश का काला धन रखा गया है। इस देश का एक वर्ष का बजट 14 लाख करोड़ है और 85 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में रखा है। इस सरकार ने आते ही एस.आई.टी. का गठन करके एक समयबद्ध ढंग से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी बैंकों में रखा गया काला धन वापस देश में आयेगा, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा और हम भारत को आगे बढ़ायेंगे। इस लक्ष्य को साथ लेकर सरकार चली है।

महोदय, इस सरकार ने गंगा के बारे में, गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता को लेकर गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय गठित किया है और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हुआ है।...*(व्यवधान)* इन्होंने भी कार्य प्रारम्भ किया था। गंगा एक्शन प्लान लेकर आये थे, लेकिन गंगा एक्शन में वर्ष 1986 में जो कार्य प्रारम्भ हुआ था, मैंने वर्ष 2009 में अपना एक कालिंग अटेंशन यहां पर दिया था और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री से पूछा था कि गंगा एक्शन प्लान की सफलता क्या है? उन्होंने कहा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण संपन्न हो गया है। वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 2009 में गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गयी है।

दिल्ली में आप यमुना की स्थिति देखिए। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री यमुना को साफ करती रह गयीं और यमुना पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गयी, क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। उसकी सजा जनता ने उन्हें दी। गंगा की अविरलता को केवल बनायेंगे नहीं, गंगा की निर्मलता और गंगा के साथ-साथ हिमालय क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी को भी ध्यान में रखकर हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। इस लक्ष्य के साथ इस सरकार ने अपने विजन को देश के सामने रख दिया है, देश की जनता के सामने रख दिया है।...*(व्यवधान)* गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है। गंगा हमारे लिए एक आस्था है। यह भारत के कोटि-कोटि लोगों की जीवन आस्था का प्रतीक है। इस देश का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं है, जो गंगा जल को अपने घर में पवित्र रूप में रख कर, अपने धार्मिक कर्मकांड में इस्तेमाल न करता हो। मैं हूं या अपने-आप को सेक्युलर कहने वाले पप्पू यादव हो, यह भी गंगा जल को अपने घर में रखता होगा, भले यह यहां इसे स्वीकार कर रहा है या स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन यह सच्चाई है कि बगैर गंगा जल के स्नान के और गंगा जल में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए बगैर, ये लोग भी अपने-आपको धन्य नहीं मानते

हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए महोदय गंगा के बारे में यह संकल्पना भी सरकार की थी।

महोदय, मैं पिछले पांच वर्षों में इस सदन में नेपाल को ले कर बहुत चिन्तित था। नेपाल हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए था कि चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में नेपाल और भूटान का अस्तित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नेपाल और भूटान दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं। वहां पूरी व्यवस्था के संचालन में भारत का योगदान एक बड़े भाई के रूप में होता है। लेकिन, नेपाल के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसका दुष्परिणाम - नक्सली और माओवादी गतिविधियां भारत के अंदर तेज होने लगीं और पिछले पांच वर्षों के दौरान जितने भी खूंखार और खतरनाक आतंकवादी पकड़े गए हैं, चाहे वे इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े हों या लश्कर-ए-तायबा से जुड़े हुए हों या पाकिस्तानपरस्त किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हों, वे नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे और वे लगातार प्रवेश किए। पिछले तीन वर्षों में 300 से अधिक आतंकवादियों ने भारत में प्रवेश किया। हम लोग चिल्लाते थे। यहां सदन में कहते थे। हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। जब भी होता था, वे नेपाल के रास्ते भारत में घुसते थे और उन्हें भारत-नेपाल बॉर्डर से ले कर के जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास करने की बात होती थी। वर्ष 1990 में कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई नहीं कहता था। कश्मीर से निकाले गए सिक्खों के बारे में कोई नहीं कहता था। आखिर यही सदन है, ये ही राजनीतिक दल हैं, कश्मीरी पंडितों के बारे में कभी कोई नहीं बोला। वर्ष 1990 में जो जुल्म उन पर ढाए गए थे, जो अमानवीय अत्याचार उन पर हुए थे, उसके बारे में कभी कोई नहीं बोला था, तब कहां धर्मनिरपेक्षता चली गई थी। तब, किसी को धर्मनिरपेक्षता याद नहीं आ रही थी, जब वहां पर हिन्दुओं की निर्मम हत्या हो रही थी, उन्हें भगाया जा रहा था, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं बोल रहा था। पहली बार हुआ है कि सरकार बनते ही नेपाल से भारत में घुसने वाले इंडियन मुजाहिद्दीन और लश्कर-ए-तायबा के आतंकवादियों पर रोक लग गई है और अब एक भी आतंकवादी भारत के अंदर नहीं घुस सकता है और साथ-साथ यह भी तय हो गया है कि पुनर्वास अगर जम्मू-कश्मीर के अंदर किसी का होगा तो उन कश्मीरी पंडितों का होगा, जिन्हें वर्ष 1990 में उन्हीं के घर से, उन्हीं की मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया था। 25 वर्षों के बाद आज भी वे खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं, उनका पुनर्वास होगा। आज वे सम्मान के साथ अपने घरों में जाएंगे तब कश्मीर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा तब भारत में एकता और अखंडता का एक नया स्वरूप सामने आएगा। सही मायने में वही भारत की सच्ची तस्वीर होगी। यह सरकार की संकल्पना है और सरकार उस रूप में कार्य भी करेगी।

महोदय, अब मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजनः नेपाल के तराई क्षेत्र में हजारों लोग मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथः आप बैठ जाइए, हम उस पर भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, महंगाई और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। इस देश में यू.पी.ए.-I और यू.पी.ए.-II भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गया था और भ्रष्टाचार के एक से एक नए-नए कारनामे सामने आते गए। महंगाई बढ़ती गई। मुझे याद है, वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि 100 दिनों के अंदर हम महंगाई को नियंत्रित कर लेंगे। कितने 100 दिन निकल गए, महंगाई नियंत्रित नहीं हुई। देश में लोग भूख से मरते रहे। हमारी मंत्री, जो पंजाब से चुन कर आई हैं, वह बैठी हुई हैं, ये बराबर चिल्लाती थीं कि देश का अन्न सड़ रहा है, खद्यान्न सड़ रहा है, सरकार के पास स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार उन्हें खरीद-फरोख्त करने में पूरी तरह विफल थी और हर मोर्चे पर पूरी तरह अपनी विफलता साबित करती जा रही थी। आज इस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति से घोषित किया है कि हम महंगाई को भी नियंत्रित करेंगे, जमाखोरी और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे और मानसून के बारे में अभी से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इस सरकार ने पहले से अपना एजेंडा तय कर दिया है कि अगर खराब मानसून होता है, किसानों की फसलों पर उसका कोई गलत प्रभाव पड़ता है, यह सरकार उसके लिए सहायता भी करेगी, उसके लिए तैयार होगी, इस बात को लेकर सरकार पहले से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुकी है।

इस देश में 'जय जवान जय किसान' एक नारा लगा था। ...*(व्यवधान)* देश के दूसरे प्रधान मंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। जवानों की स्थिति क्या है। इस देश में एक जनरल अगर इस देश के रक्षा मंत्री से कहते हैं कि देश में सुरक्षा तैयारियां होनी चाहिए क्योंकि वर्ष 1999 के बाद हम लोगों ने कोई भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। उसके बारे में तैयारी की जानी चाहिए, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देश के आर्मी के जनरल को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए मजबूर

होना पड़ता है कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को देखते हुए हमारी रक्षा तैयारियां मजबूत होनी चाहिए। अगर युद्ध होता है तो हमारे पास मात्र तीन दिन का गोला-बारूद है। उस जनरल को समय से पहले अवकाश पर भेज दिया जाता है। उनकी जन्म तिथि गलत ठहराकर उन्हें अवकाश पर भेज दिया जाता है और देश की सेना को हतोत्साहित किया जाता है, उनके मनोबल को तोड़ा जाता है। दूसरी तरफ पिछले दस वर्षों में इस देश में पांच लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह सरकार किसानों के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं तय कर पाई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया सदस्य को बोलने दीजिए। कृपया प्रतीक्षा करिए। आपको अवसर दिया जाएगा। कृपया इस प्रकार व्यवधान पैदा मत कीजिए। यह सही प्रक्रिया नहीं है। यहां एक व्यवस्था है। कृपया सदस्य को बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: श्री वी.के. सिंह को बुलाकर लाइए। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: हमने सम्मान किया है। हम जवानों को भी सम्मान देंगे, हम देश के किसानों को भी सम्मान देंगे।... *(व्यवधान)* हम लोगों ने इस बात को तय किया है। हम इस देश के गरीबों को सम्मान देंगे, जवानों को सम्मान देंगे, किसानों को भी सम्मान देंगे। इसलिए इस देश के जवानों को सम्मान देने के लिए जो लोग उस समय जनरल वी.के. सिंह के बारे में कहते थे कि जनरल वी.के. सिंह यह कर रहे हैं, जनरल वी.के. सिंह यह कर रहे हैं, वे लोग आज कहां हैं। गायब हो गए सदन से, कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। लेकिन जनरल वी.के. सिंह एक सम्मानित वरिष्ठ मंत्री के रूप में देश की सेवा के लिए हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और विकास के लिए उन्हें महत्त्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व भी दिया है। यह देश के जवानों का सम्मान है।

मुझे इस देश में आश्चर्य होता है। हम कृषि की बात करते हैं। यहां हूडा जी बैठे हुए हैं। हूडा जी कहते थे कि हम लोग 18 इंच का आलू पैदा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल: वह आलू नहीं था, लौकी थी। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: वह तो सुषमा जी ने कहा था कि बेटा, 24 इंच की लौकी होती है, आलू नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): जब हूडा जी के नेता लाल मिर्च बोने की बात करते हैं तो वे भी वही बात करेंगे। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: इनकी कृषि नीति ऐसी थी कि 24 इंच का आलू पैदा कर रहे थे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा था। पिछले दस वर्षों के अंदर पांच लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इस देश में पहली बार कृषि को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को सम्मुनत करने और देश की नदियों को जोड़ने के बारे में भी एक बार इस सरकार ने पुन: अपनी संकल्पनाओं, अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है क्योंकि इस देश में एक साथ बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ आती है। उसी समय हम देखते हैं कि देश का दूसरा क्षेत्र होता है जहां सूखा पड़ा रहता है। हम उसके बीच में समन्वय कैसे बना सकें। अगर देश की नदियों को जोड़ने से उस समस्या का समाधान हो सकता है तो हम वह भी करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी इस बारे में कई बार कह चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी इस बात को यहां दोहराता है। उन्होंने इस बात को कहा है कि अब इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसान इस देश में कितना उपेक्षित था। हम इस बात को देख सकते हैं कि जब किसानों की खेती का समय आता था तो बाजार से बीज गायब, खेतों के लिए खाद गायब। जब किसानों की फसल तैयार होती थी तो किसानों की फसल को कोई खरीदने वाला नहीं होता था। खाद्यान्न बाहर सड़ता था और सरकार यहां पर रहकर मौज करती थी, किसानों के बारे में नहीं सोचती थी। इस सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार किसानों के बारे में सोचेगी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें इस प्रकार का कार्य कर भी रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, इन सरकारों ने किसानों के हित के बारे में इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया है। अगर सरकार कुछ समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो समर्थन मूल्य से अधिक बढ़ाकर वहां की सरकारें वहां के किसानों को पैसा देती हैं, जिससे किसान आत्मनिर्भर होकर आत्महत्या न करने पाये। इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है।

महोदय, इस देश के संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है। संघीय ढांचा किस रूप में होना चाहिए। जैसे भारतीय टीम है, इंडिया टीम की तर्ज पर इस देश का संघीय ढांचा होगा। केन्द्र और राज्यों के संबंधों को, चाहे वह इन संबंधों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो, इन मंचों का बेहतर

उपयोग करके, उन्हें पुनर्जीवित करके हम केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध बनाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे, देश के आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनायेंगे, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करेंगे, इस संकल्पना के साथ यह सरकार अपना कार्य प्रारंभ कर रही है और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इन सब बातों का उल्लेख भी करता है।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और बात का उल्लेख किया गया है। वह यह है कि इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद के साथ हम लोग सख्ती से निपटेंगे। उनके लिए एकीकृत कार्यक्रम तैयार होगा। हम आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी प्रकार के अलगाववाद के सामने किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। हम लोगों ने आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर नहीं देखा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रकार का कार्य किया था। आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़कर, मजहब के आधार पर देश को विखंडन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची थीं, हम लोग इस प्रकार के किसी भी मुहिम का कतई समर्थन नहीं करेंगे। इस देश में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद या अलगाववाद को हम जाति और मजहब के आधार पर नहीं, लेकिन भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई सिर उठाने का प्रयास करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, भारत की परम्परा के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर कोई सशस्त्र संघर्ष करने की स्थिति में होता है, तो फिर उसका उसी रूप में मुकाबला भी करेंगे और उसे सख्ती के साथ कुचलेंगे, इस संकल्पना के साथ सरकार ने अपना लक्ष्य सबके सामने रख दिया है। साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ भी सरकार ने अपना रुख सख्त दिखाया है।

महोदय, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दो वर्षों के दौरान डेढ़ सौ से अधिक दंगे हुए हैं। अगर आप साम्प्रदायिक छोटी-बड़ी झड़पें देखें, तो यह लगभग ढाई सौ से अधिकर झड़पें होती हैं। वहां पर बड़ी खराब स्थिति है, जंगलराज है, अराजकता है। वहां पर कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के साथ न्याय करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की अराजकता को वहां पर जहां सरकार स्वयं उन दंगाइयों के साथ खड़ी हो जो लोग वहां पर किसी भी धार्मिक जलूस पर हमले कर सकते हों, किसी भी धार्मिक आयोजनों को जबरदस्ती रोकने का दुस्साहस कर सकते हों और जब सरकार उनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर पुनः बहुसंख्यक समुदाय को किस रूप में प्रताड़ित किया जा सकता है–मुजफ्फरनगर का दंगा, बरेली का दंगा, कानपुर का दंगा, लखनऊ का दंगा, फैजाबाद का दंगा और प्रदेश के अंदर हुए तमाम ऐसे स्थलों पर हुए दंगे, डेढ़ सौ से अधिक स्थानों पर हुए दंगे इस बात को प्रदर्शित करते हैं। प्रदेश में वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, आपने बदायूं में देखा होगा कि किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। पहली बार केन्द्र सरकार ने संज्ञान लेना प्रारंभ किया है।

इस देश में मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। इस देश की बेटियों का सम्मान होगा, उनकी रक्षा होगी, सरकार ने उन सब बातों का संज्ञान लेना प्रारंभ किया है। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार इन बातों पर नजर रखी जा रही है। देश के नागरिकों को पहली बार अहसास हो रहा है कि इस देश में कोई सरकार है, अन्यथा लगता ही नहीं था कि कोई सरकार है, क्योंकि केन्द्र सरकार की मजबूरी थी। उत्तर प्रदेश में जंगलराज हो, वहां अराजकता हो, लोग मरें, चाहे कुछ हो, लेकिन यहां पर कोई बात सुनने वाला नहीं था। आज यह हो रहा है। इस सरकार ने कहा है कि हम इस देश के अंदर आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि शहर हो या गांव दोनों के भेदभाव को समाप्त करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी देंगे। देश में गांवों से शहरों में पलायन इसलिए होता है क्योंकि गांवों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, सड़क नहीं हैं, बिजली नहीं हैं, पानी नहीं हैं, अन्य सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हम इस भेदभाव को समाप्त करेंगे और भेदभाव को समाप्त करने के साथ हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश में हमें बिजली इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। यह स्थिति वहां पर है। दो घंटे-चार घंटे-पांच घंटे वहां पर बिजली मिल रही है। हम किस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार ने ये बातें कही हैं। मुझे केवल दो बिन्दुओं को रखना है, एक स्वास्थ्य पर।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः जब तक आप अपनी बात संक्षेप में नहीं कहेंगे, तब तक आपके साथियों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। समस्या यही है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः दूसरी सामाजिक विषमता पर।...*(व्यवधान)* इस देश में सामाजिक समानता तब तक नहीं आ सकती, जब तक एक समान शिक्षा इस देश के अन्दर नहीं देंगे। इस देश के अन्दर

अमीर का बच्चा किसी बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, जहां लाखों की फीस है और इस देश का गरीब बच्चा उस विद्यालय में पढ़ेगा, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर भवन हैं, तो शिक्षक नहीं, यदि शिक्षक हैं, तो अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं, इस देश की विषमता आप शिक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की बात कही गयी है। उस राष्ट्रीय शिक्षा को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लाने की आवश्यकता है। आई.आई.टी. केवल पांच या छः जगहों पर नहीं, बल्कि हर राज्य में आई.आई.टी. होंगे। हर राज्य में आई.आई.एम. होंगे और हर राज्य में स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स होंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गयी थी, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। छः राज्यों में एम्स दिये थे। वर्ष 2004 में सरकार नहीं आयी, एम्स बंद हो गये। हमने फिर कहा है, हम हर राज्य में एम्स देंगे और साथ-साथ एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पुनः तैयार करेंगे। मुझे विश्वास है, मैं इस बात को कह सकता हूं। सरकार ने 26 मई को शपथ लिया था और उसके बाद मैं इंसेफेलाइटिस की समस्या को लेकर माननीय मंत्री से एक बार मिला था। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 26 मई से अब तक इंसेफेलाइटिस और वेक्टर बांड डिजीज को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री तीन-तीन बैठकें आयोजित कर चुके हैं। उनके अंदर कार्य करने की एक तड़पन है। देश में इंसेफेलाइटिस से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से या वेक्टर बोर्न डिजीजेज से मरने वाले उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए उनके अंदर एक तड़पन है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। आज सुबह जब लोग सोते होंगे, जब पप्पू यादव वगैरह सोते होंगे, तो नौ बजे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने में मशगूल थे कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा?...*(व्यवधान)* यह है देश के प्रति तड़पन। यह तड़पन केवल प्रधानमंत्री में ही नहीं, उनके पूरे मंत्रिपरिषद के अंदर देखी जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजनः सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः यदि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें, तो आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः माननीय सदस्य को अभी अपनी बात पूरी करनी है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः हमारी परंपरा यह है कि माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करनी होती है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः इस देश के अंदर उस स्वास्थ्य नीति के साथ काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* अंत में मुझे केवल एक बात कहनी है। देश में एक प्रधानमंत्री वे भी थे, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। लेकिन एक सरकार है, जिसने कहा था कि देश के संसाधनों और देश के विकास पर इस देश के गरीबों का हक है। ...*(व्यवधान)* देश के गरीबों के लिए यह सरकार समर्पित है। उस संकल्पना के साथ यह सरकार कार्य कर रही है। मैं, आज इस अवसर पर माननीय रूडी जी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एक जीवंत, गतिशील और समृद्ध भारत बनाने के लिए "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" की संकल्पना के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये लोग धैर्य से देखें, आने वाले कम से कम 15 वर्षों तक अपनी राजनीति को बचाने का इंतजाम करें। इनको कभी अवसर नहीं मिलने वाला है।

श्री राजेश रंजनः सभापति महोदय, योगी महाराज ने मेरा नाम लिया है। मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजनः सभापति महोदय, मैं पांच-छः बार चुनाव जीता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापतिः इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

*(व्यवधान)...**

माननीय सभापतिः आपकी पार्टी के सदस्य ही खड़े हुए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः मुझे खेद है कि आपको बैठना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी आप अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): सभापति महोदय, 16वीं लोक सभा के गठन के बाद चित्र कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ता है। यह हस्तिनापुर या दिल्ली है और दिल्ली की तबीयत कोई यह न मानकर बैठ जाए कि दिल्ली हमारी है। यहां अगर एरोगेंस आएगी, घमण्ड आएगा, यहां लोकतंत्र है, लोक शक्ति है, उसको जगाकर हमें चलना है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। रूडी जी ने जब अपनी बात रखने का काम किया, यह लग ही नहीं रहा था कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वक्तव्य दे रहे हैं। उनके भाषण की पूरी मियाद को देखा जाए। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। परम्परा यही है कि राष्ट्रपति जी का विरोध नहीं किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादवः सभापति महोदय, अभिभाषण के बारे में रूडी जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादवः सभापति महोदय, चीजों को जानिए, तब बोलिए। मैं वर्ष 1980 में एम.एल.ए. बना, 30 साल मंत्री रहा, यू.पी.ए.-1 में मंत्री रहा। मैं चीजों को समझता हूं।

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के इस आइने और दर्पण में हम कई सवालों को उठाना चाहते हैं। यहां पर व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप के साथ रूडी जी ने भाषण की शुरुआत की, जो कि निंदनीय है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी चाहिए या देश की तस्वीर आप रख रहे हैं तो ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। देश की तकदीर बदलने का आपने ऐलान किया था। आपने नौजवानों को सब्जबाग दिखाया था। नौजवानों, आगे बढ़ो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे। जो 18 करोड़ नए नौजवान हैं, आज वे टकटकी लगाए हुए हैं, आप उनके लिए टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाइए। आप बताएं कि इन नौजवानों को कितने दिनों में नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने नौजवानों को सब्जबाग दिखाए हैं। आज की जो परिस्थिति है या जो राष्ट्र की हालत है, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में दशा और दिशा को इंगित किया है। इस कारण देश की युवाशक्ति में आशा का संचार हुआ है और वह आशा भरी निगाहों से आपको देख रही है। लेकिन जो चित्र हमारे सामने आया है, जो हकीकत सामने आई है, उससे निराशा का वातावरण बनता है। उससे यह दिखाई दे रहा है कि आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, युवाशक्ति के लिए वास्तव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।

रूडी जी ने आज सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और अपनी बात कही। उनकी बातों को सुनने से यह लग रहा था कि उनकी रुचि अभिभाषण पर कम, खुद के मंत्री बनने पर ज्यादा थी। वह ताबड़तोड़ प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे, लगता था जैसे ताबड़तोड़ मालिश कर रहे हों। उसके बाद एक ऐसे माननीय सदस्य बोले, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार बनती है, वह

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उधर चले जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। जैसे किसी छोटे से बच्चे को बहलाने के लिए घुमाया जाता है, वैसे ही यह देखते हैं कि सरकार किसकी बन रही है और उधर घूम जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बल्कि शुरुआत के समय से ही रोटी, कपड़ा और मकान पर जोर देती आई है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती रही है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। इस प्रकार वह सालों से इन्हीं नारों से चल रही है और जब-जब भी सत्ता में आती है, देश की जनता के साथ इन्हीं लुभावने नारों के साथ विश्वासघात करने का काम करती है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे खोदा पहाड़-निकली चुहिया। जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के होते हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो अलग राग अलापती है और सत्ता मिलने पर दूसरी बात कहती है। यही आज की परिस्थिति निर्माण हो रही है। मैं इस सरकार के हुक्मरानों से जानना चाहता हूं कि आपने विदेशों में बैंकों में जमा कालाधन लाने के लिए एस.आई.टी. का गठन किया है, तो आप बताएं कि कब तक यह कालाधन देश में लाया जाएगा? ...*(व्यवधान)* क्या इसके लिए आपने कोई टाइमबाउंड प्रोग्राम बनाया है, यह देश की महान जनता जानना चाहती है। इस सरकार की बात से तो ऐसा लगता है कि कालाधन आएगा तो देश में पूर्णमासी होगी। जैसे बच्चे को फुसलाने के बहाने कहा जाता है कि चंदा मामा आएगा, दूध कटोरी लाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं खोखले वादों और नारों के चलते यह सरकार एक साल में ही बालू की भीत की तरह भरभरा जाएगी। यह सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है।

हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति है। इस देश को आजाद कराने में जितना खून हिन्दुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों और सिख भाइयों ने भी बहाया है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्हें जब मौका मिले तो ये अपनी बात कह सकते हैं। यह देश हम सबका है और हम सबकी मिलीजुली संस्कृति है। जो समाज का अंतिम जन है, उनकी आंखों में आंसू हैं।

सभापति महोदय, हजारों वर्षों से जो व्यक्ति बैशाखी के भरोसे चल रहा है, वर्षों से जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए कोई योजना राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। कहते हैं कि महंगाई पर रोक लगाएंगे, बिजली हम लाएंगे, युवा शक्ति को जगाएंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे, सिंचाई का प्रबंध करेंगे, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार लाएंगे, पीने के पानी का प्रबंध करेंगे - ये सारे ढकोसले हैं। नारे नहीं, सच्चाई जमीन पर आनी चाहिए। आपने तीन एस कहे, स्किल, स्केल और स्पीड। समझ में नहीं आता है कि काम में कब स्पीड आयेगी। डॉ. लोहिया ने कहा था कि तीन धाराएं होती हैं। एक होती है धार-धार, दूसरी होती है किनार-किनार, तो हम लोग धारा में से होकर यहां आये हैं, हम गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं और जो सेक्युलरिज्म का झंडा है, देश की जो गंगा-जमुना संस्कृति है उसके रक्षक हैं। गंगा के विषय में आप कहते हैं लेकिन जमुना के विषय में क्यों नहीं कहते हैं। जमुना को आप भूल जाते हैं। इसीलिए आज इन सारे सवालों को लेकर हम यही कहेंगे कि आप इनका निराकरण करें।

आपने कहा कि श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हमारे बुजुर्गों और सेनानियों ने क्या नारे लगाए।

"सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा।" गुरबत में हो अगर हम पर रहता है दिल वतन में। हमें आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी, हमारे सेनानियों ने दी। इसीलिए आज नहीं पहले से श्रेष्ठ भारत है। हमारा जो अमेंडमेंट है इसे भी हम ले सकते हैं और सभापति महोदय ने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी महबूबा मुफ्ती (अनन्तनाग): माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट शेष हैं। क्या आप मुझे दो मिनट बोलने का समय देना चाहते हैं?

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मेरे पास वक्ताओं की एक काफी लंबी सूची है। यदि, सभा की सहमति हो तो हम सभा का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

माननीय सभापति: सभा का समय एक घंटा अर्थात् सायं 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

कुमारी महबूबा मुफ्ती: थैंक यू चेयरमैन सर, आज जिस डाक्युमेंट पर, प्रैसीडेंट के एड्रेस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि वह पूरा इंक्लूसिव है। प्राइम-मिनिस्टर साहब ने अपने इलैक्शन कंपेन में जिस भी प्रॉब्लम को छेड़ा, कहीं न कहीं जो विजन डाक्युमेंट भारत सरकार ने प्रेजेंट किया है तकरीबन सारे मुद्दों पर उन्होंने बात करने की कोशिश की है। गरीबी हटाने की, महंगाई

की, पानी, बिजली, सड़क, विकास, बेरोजगारी तथा टॉयलेट से लेकर बच्चों के एजुकेशन की, 33 परसेंट रिजर्वेशन की, एस.सी. एस.टी., ओ.बी.सी. को अवसर देने की तथा माइनॉरिटीज की बात की है कि उन्हें कैसे मॉड्रन एजुकेशन दी जाए। संक्षेप में, उन्होंने इसके अतिरिक्त हर विषय पर बोला है उन्होंने यह कहा है कि हम इस तरह इस हिंदुस्तान को बहुत मजबूत बना सकते हैं। लेकिन सर, मैं समझती हूं कि हमारे हिंदुस्तान का सिर जम्मू-कश्मीर है। आप नक्शे को देख लीजिए। अगर सिर में दर्द होता तो कैसे तरक्की होगी, कैसे आप आगे चलेंगे? मुझे याद है जब माननीय प्रधान मंत्री जी जम्मू आये थे, उन्होंने कहा था और जो माननीय वाजपेयी जी ने भी कहा था और पासवान जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने भी जिक्र किया कि उसका समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे। माननीय मोदी जी ने यह फरमाया था कि कश्मीर पर उनका एजेंडा इंसानियत, कश्मीरियत, जम्हूरियत का होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सारे फंसाने में हमारे दर्द का कहीं जिक्र नहीं है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है।

सायं 6.00 बजे

इस सारे फसाने में हमारे दर्द का कहीं जिक्र नहीं है। जम्मू-कश्मीर एक ऐसी वाहिद रियासत है, मैं नहीं जानती कि कितने लोग जानते हैं, एक सिंग्ल मुस्लिम मैजोरिटी स्टेट, जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इस मुल्क के साथ अपना नाता जोड़ा। जाहिर बात है कि आप पूरी दुनिया फतह कर लीजिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर पोलिटिकली हर प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजादी के बाद से श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक प्रधानमंत्री का चैलेंज जम्मू-कश्मीर रहा है। बदकिस्मती है कि यह एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो मुल्क बंट गए, और हम उसके शिकार हैं। हमारी वजह से यह दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सह रहे हैं और हमारा खून बह रहा है तथा साथ-साथ मुल्क का भी खून बह रहा है। हमारा बहुत मुल्क है। हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी है। हमने इसके साथ अपने आपको जोड़ा है। क्या वजह है कि आजादी के बाद से हम इतने दूर क्यों हैं? जम्मू-कश्मीर का इश्यू हमने अमेंडमेंट दिया। मुझे नहीं मालूम गलती से हमने लिखा था - जम्मू कश्मीर का मुद्दा। उसे बताया गया - मुद्दा। हम इससे बचते क्यों हैं? यहां सारे वरिष्ठ लीडर्स बैठे हैं। पूरी दुनिया में वह कौन-सा फोरम है जहां जम्मू-कश्मीर को डिस्कस नहीं किया जाता है। वह कौन-सी जगह है, जहां हमारे सीनियर लीडर वहां डिफेंड नहीं करते हैं। यहां डिस्कस करो। यह हमारा आंगन है, हमारा घर है। इस फोरम में डिस्कस करो कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्या तकलीफ है। क्यों उसे जिनेवा में, यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान में, नेपाल में और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जाते हैं और डिफेंस करते हैं। यहां सारे प्रतिनिधि बैठे हैं। आप चुन कर आते हैं। आप बार-बार कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर हमारा अंग है। यह भारतीय राष्ट्रीयता का केन्द्र है परन्तु, हम सभा में भारतीय राष्ट्रीयता के केन्द्र बिन्दु पर चर्चा करने से क्यों बचते हैं? आपने मेंशन भी नहीं किया। मुझे याद है जम्मू-कश्मीर के लोगों की तकलीफ मैं बताऊंगी। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिटडिसट्रस्ट, ट्रस्ट डेफीसिट। सुषमा स्वराज जी जब आयी थीं, उन्होंने भी जब वहां से बहुत सारे मैम्बर्स आए थे, ट्रस्ट डेफीसिट यानी विश्वास नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों पर विश्वास कीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे जम्मू के लोग कश्मीर में जब खून-खराबा हुआ तो उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हम मुसलमानों को भी गले लगाया। अपना पानी-बिजली हमारे साथ बांटा और मेरे कश्मीर के लोगों का क्या कहना। हमने क्या दिया उनको? तीन साल मुफ्ती साहब की सरकार रही, कांग्रेस के साथ हमारा एलायंस रहा। हमने थोड़ी सी सख्ती कम की, हमने क्रैक डाउन खत्म किए, हमने पोटा खत्म किया। एस.एम.एस. सर्विस चालू की। पकड़-धकड़ खत्म की। थोड़ा सा उनको डिगनिटी दे दी कि वो मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ें। हमारा जो हिन्दू भाई है, वह आराम से अपने घर में रहे, उसको रात को मिलिटेंट न खटखटाएं, उसको मिलिटेंट न मारें और अगर मुसलमान है या दूसरा है तो उसके पास पहले मिलिटेंट जाता था और फिर आर्मी वाले जाते थे, यह हैरसमेंट बंद की। उनको याद है सर अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर आना। उनको याद है अटल जी का यह कहना कि मैं इंसानियत के दायरे में आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मैं पाकिस्तान से दोस्ती करूंगा। पाकिस्तान से दोस्ती आपको हमारे लिए नहीं करनी है, बल्कि इसलिए करनी है ताकि हम भी चैन से रहें और वो भी चैन से रहें। इसलिए अगर आप चाहते हैं, हम पर भरोसा कर लीजिए। आपके इस विजन डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। आपने सार्क कंट्रीज की बात कही है, कोपरेशन की बात कही है। आपने सैंट्रल एशिया और साउथ एशिया की बात की है। इस मुल्क की प्रोसपैरिटी, सार्क कंट्रीज से कोपरेशन और सैंट्रल एशिया का रास्ता जम्मू-कश्मीर से गुजरता है। अगर आप चाहते हैं कि सार्क कंट्रीज का कोपरेशन हो, पिछले कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान की होस्टैलिटी ने उसको होस्टेज बना रखा है। अगर आप चीन की बात करते हैं, सैंट्रल एशिया की बात करते हैं, काशगर की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, यह मेरे से सीनियर मैम्बर बैठे हैं इनको मालूम है कि जम्मू-कश्मीर मध्य और दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार है। हमने इलहाक किया आपके साथ। बहुत अच्छा

किया। कुछ शर्तों पर किया। क्या आप जानते हैं कि क्यों किया, क्योंकि यह हिन्दुस्तान की वादी मेरी अम्बियों, मेरे वलियों की वादी है, यहां मेरे अजमेर के चिश्ती, मेरे निजामुद्दीन से हमारा दिल से रिश्ता है। हम सब यहां आते हैं, तब देखते हैं कि हमारे हिंदु भाई और बहन भी यहां आते हैं। वे भी यहां सिर झुकाते हैं और मैं भी यहां सिर झुकाती हूं। वे भी बलाइयां लेते हैं और मैं भी लेती हूं। मुझे लगता है कि यह मेरा घर है। यह हमारे रिश्ते की बुनियाद है। हमारा आपस में स्पेशल पोजिशन है, लेकिन जब हमने आपके साथ जोड़ा, पूरे मुल्क की रियासतें आजाद हो गईं। अगर कहीं समुद्री रास्ता था तो आपने उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कर उन्हें जहाजों से जोड़ा। हमारे रास्ते बने हुए थे। हमारा यारखंड 1000 कि.मी., हमारा ताशकंद कितने सौ मील। सेन्ट्रल एशिया, साउथ एशिया हमारे रास्ते थे। मानसरोवर, कैलाश यात्रा आप लेह से जा सकते हैं।

सायं 6.05 बजे (डॉ. एम. तम्बिदुरै *पीठासीन हुए)*

आप श्रीनगर से लेह, लेह से जिंग-जेंग जा सकते हैं। यारकंड जा सकते हैं, ताशकंद जा सकते हैं। मेरे जम्मू के लोग वहां से जो आपका पंजाब के साथ बॉर्डर है, वहां से दस रुपये की चीज सौ रुपये में मिलती है। सियालकोट रास्ता खोल दीजिए। जम्मू और कश्मीर को विकास प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान दीजिए। सार्क कोआपरेशन का अगर मॉडल बनाना है, जम्मू-कश्मीर को बनाइए। पाकिस्तान को कहिए। नेपाल को कहिए, भूटान को कहिए, श्रीलंका को कहिए। हमें जम्मू और कश्मीर को सार्क सहयोग का मॉडल बनाना चाहिए। अगर हमने करेंसी इस्तेमाल करनी है, जब मैं जम्मू- कहती हूं, मैं उस जम्मू-कश्मीर की भी बात करती हूं जो उनके पास है। जब मैं कोआपरेशन की बात करती हूं तो मैं उसकी बात करती हूं। हमारे रास्ते जोड़िए। हमें दुनिया से मिलाइए। बाकी आपको डॉयलॉग करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आपको ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की चिंता है, मुझे अच्छा लगा।

आपके इसमें इनका जिक्र है- एक्सट्रीमिज्म- जीरो टॉलरेंस, टैरेरिज्म -जीरो टॉलरेंस, राइट्स-जीरो टॉलरेंस, क्राइम्स- जीरो टॉलरेंस। इसमें एक ह्यूमन राइट्स का भी एड कर दीजिए। क्या आप जानते नहीं हैं कि क्या क्या होता है? हम फौज को बुरा नहीं मानते हैं। कहीं कहीं ब्लैक शीप होते हैं। जब कश्मीर में 1990 में हालात खराब हो गये, मेरे पिता गृह मंत्री थे। हजारों की तादाद में मिलिटेंट आए और वहां फौज को बुलाना पड़ा। भाई भाई को मारने लगा। आज इतने साल हो गये। वहां डैमोक्रेटिक फोर्सेज स्ट्रैन्थन हो गये हैं क्योंकि यहां आपने डैमोक्रेटिक फोर्सेज को स्ट्रैन्थ करने की बात कही। कांस्टीट्यूशन को स्ट्रैन्थन करना है। आर्मी ने, फोर्सेज ने अपना अच्छा रोल किया कि एक सिचुएशन बनाई और आज हम यहां पर हैं। इलैक्शन लड़ते हैं। मगर आप खुद ही देखिए।

आप कहते हैं कि शौचालय बनाइए, हमारी बच्चियों को घर से बाहर निकलने में तकलीफ होती है। बाग में जाना है, ऑर्चर्ड में जाना है, क्यारी में जाना है। मेरी बहन, मेरी बेटी जाती है, कहीं न कहीं आर्मी का कैंप है, सी.आर.पी.एफ. का कैंप है। क्या आप जम्मू-कश्मीर के लोगों पर भरोसा करेंगे? क्या आप इतना यकीन कर सकते हैं कि अब जम्मू-कश्मीर की रखवाली वहां की पुलिस, वहां के लोग करेंगे? मिलिटेंसी को बढ़ने नहीं देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे। ट्रस्ट की बात है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम लोग हम भी उसी कांस्टीट्यूशन की कसम खाते हैं जिसकी आप खाते हैं। जितनी फिक्र आपको है, उतनी फिक्र हमें भी है। *[अनुवाद]* कश्मीर समर्थक होने का यह अर्थ नहीं है कि हम भारत विरोधी हैं। इसका यह अर्थ नहीं है। *[हिन्दी]* मगर जहां पर हमारे लोगों के हकों की बात होगी, उसकी हम बात करेंगे। कितना अच्छा होगा। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। आपका 56 इंच का सीना है। क्या जम्मू-कश्मीर के लिए इतनी जगह उसमें है? क्या यहां आप कभी एक सैशन बुलाएंगे जिसमें आप इश्यू ऑफ जम्मू-कश्मीर एंड इश्यूज ऑफ जम्मू-कश्मीर डिसकस करेंगे? क्या बुरी बात है? आपकी होम मिनिस्ट्री में आपका एक विभाग है जो जम्मू-कश्मीर की सिक्योरिटी डील करता है। क्या जम्मू-कश्मीर को हमेशा सिक्योरिटी एंगल से देखना है? एक मिनिस्ट्री बनाइए जो सिर्फ जम्मू-कश्मीर के डवलपमेंट, प्रोग्रैस के लिए हम किस तरह वहां एम्पलॉयमेंट जनरेट करें, उसकी बात करे। कुछ तो हटकर कीजिए। आप इतना बड़ा मेनडैट लेकर आए हैं। पंडितों के रिटर्न की बात करें। आप पंडितों के बारे में क्या जानते हैं? मैं उन्हीं लोगों के बीच में पली, बड़ी हुई और लिखी-पढ़ी उन्हीं से ही हूं। जब मैं घर में रूठती थी तो पंडितों में मेरी फ्रैन्ड्स थीं, मैं वहां रहती थी। मेरे फादर जब कांग्रेस में थे, मक्खनलाल फोतेदार, प्यारेलाल, हंडू. डी.पी.धर वगैरह हम सब इनकी गोद में खेले हैं। हमें मालूम है कि कश्मीरी पंडित क्या हैं? *[अनुवाद]* कश्मीरियत का अर्थ केवल मुस्लिम होना नहीं है। कश्मीरियत का अर्थ है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिक्ख, कश्मीरी मुस्लिम और लद्दाख में रहने वाले लोग भी हैं। हम सभी कश्मीरी हैं। *[हिन्दी]* जब वे वापस आएंगे तो हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। जब वो गये तो इल्म का खजाना लेकर गये। जो एजुकेशन था, सारा वो करते थे। वो सब कुछ लेकर चले गये। इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन हमको हिस्सों में मत बांटिए। जब आप जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं, तो सब जम्मू-कश्मीर के लोगों

की बात कीजिए। डायलॉग की बात कीजिए, पीस प्रोसैस की बात कीजिए। जम्मू-कश्मीर को यहां टेबल पर रखकर उसको डिसकस करने की बात कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया।

***डॉ. यशवंत सिंह** (नगीना): एक नए सदस्य के रूप में यह मेरा पहला अवसर है कि मैं अपने विचार रख रहा हूं। महोदय, मैं राष्ट्रपति जी द्वारा किए गए अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में अपना समर्थन प्रस्तुत करता हूं।

एक लंबे अंतराल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने को मिली है जिसके हर कार्यकलाप पर एवं हर शब्द पर विश्वास किया जा सकता है। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हर उस पहलू को गहराई से सोच-समझकर शामिल किया गया है जिसकी इस देश के विकास हेतु सख्त आवश्यकता है।

इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सरकार से उन गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की बहुत ज्यादा आशाएं हैं। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की सरकारों में उन्हें वायदे पे वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला है।

अगर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार यह कहकर की 27 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, अपनी गरीबी कम करने की धारणा की इतिश्री कर लेती है तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। गरीब को भोजन के अलावा मकान, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा, शादी तथा अन्य आवश्यकताएं भी पूरी करनी होती हैं। इस अभिभाषण में सरकार की गरीबों की आवश्यकताएं पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दिखाई है।

दलितों पर बढ़ते अपराध पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के लोग चुन-चुनकर दलित समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं तथा उनके मुकदमे भी नहीं लिखे जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन से उन्हें दूर रखा जा रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास की दृष्टि से दलित बाहुल्य बस्तियों को अलग रखा जा रहा है जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। इस पर माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षण किया जाना आवश्यक है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र नगीना जो एक पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें नगीना कस्बा एवं नजीबाबाद कस्बे में रेल का पुल जो स्वीकृति के बाद भी अभी नहीं बन पाया है तथा वहां पर जाम की स्थिति रहती है, उस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं तथा आशा करता हूं कि इस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

इसी के साथ बिजनौर जनपद को मुरादाबाद जनपद पर एक पुल पिछले कई वर्षों से बना होने के बाद भी सम्पर्क मार्ग न बनने के कारण बिना उपयोग के पड़ा हुआ है जिसके कारण किसानों को लगभग 20 किमी. लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता है। अत: मैं इस पर भी राष्ट्रपति महोदय का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निनोंग इरिंग (अरूणाचल पूर्व): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव साथी राजीव प्रताप रूडी ने दिया है और राम विलास पासवान जी ने समर्थन किया है। मैं सबसे पहले समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार की जो नीतियां थीं, उन नीतियों का अलग स्वरूप हो सकता है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आर.टी.ई. कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, एन.आर.एच.एम., यू.आई.ए., आई.ए.वाई., राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आदि जितने भी कार्यक्रम हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने अभिभाषण को तोड़-मरोड़ कर बनाया है। एक तरह से सपनों का महल पेश किया है, इसमें शायद बहुत लोग बहक जाते हैं और हम भी मोहित हो गए हैं। अगर सच में आप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और अच्छे दिन सच में लाना चाहेंगे तो हमारी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, लीडर ऑफ दि अपोजिशन खरगे जी और हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आपकी नीतियों और मुद्दे में विभाजन होगा तो हमें विपक्ष की तरह जैसे आप हमसे पेश आए थे, वैसे ही हमें करना होगा। मैं जानता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का आपका पहला साल है इसलिए हमारे बहुत काबिल दोस्त रूडी साहब और योगी आदित्यनाथ बहुत ठोस नहीं बोल सके क्योंकि ये सब कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में थे। मैं देख रहा हूं अभी भी हमारे दोस्त बहुत उत्तेजित होते हैं। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब हम वहां बैठते थे तो इतना उत्तेजित नहीं होते थे। हम परिणाम को स्वीकार करते हैं, आप इसे बार-बार दोहराते हैं कि यही परिस्थिति हुई है। हम भी देखते थे कि एक समय ऐसा था कि आपके वहां से दो लोग बी.जे.पी. के थे। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आप स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली और महंगाई की समस्या को काबू नहीं कर पाएंगे तब शायद वही स्थिति 2019 में हो जाएगी जो हमारी हुई। हम भी चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, देश की सेवा करें, हम भी आपके साथ हैं। आदरणीय रूडी जी और योगी आदित्यनाथ से थोड़ी बहस हो गई। रूडी जी ने भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में कहा कि यहां की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं होती है जैसे कि अन्य देशों की होती है। हम जानते हैं कि आई.आई.टी. और आई.आई.एम. हैं और जिस प्रकार से पिछली सरकार ने एम्स का एक स्वरूप पूर्वोत्तर शिलांग में खोला है इसी तरह आप इसे सब क्षेत्रों में लागू करेंगे। आपको इसमें और जोर लगाना है, हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। आपको कार्यक्रमों का सम्मान करना होगा। जैसे हमने चलाया था वैसे चलाएंगे, शायद आप नाम बदलेंगे। इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दूरदराज लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटीज के लिए जो कार्यक्रम बनाए हैं, पूरा करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे।

जब हम वहां बैठते थे तो बिजली की खपत के बारे में रूडी जी और आपकी सरकार के सदस्य हर बार बोलते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी गलत चीज है, हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज आप चाइनीज मॉडल के बारे में बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चीन में अभी भी पचास न्युक्लियर रिएक्टर्स हैं तथा अभी पचास और बनने वाले हैं। इसलिए सोचिये कि अगर आप चाइनीज मॉडल के समर्थक हैं तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी उसे स्वीकार करते हैं, हम पहले से ही यह स्वीकार करते थे।

अब आप बिजली के बारे में देखिये, आप अरूणाचल प्रदेश में जाइये, वहां 56 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकती है, उसे आपको देखना चाहिए। लेकिन जब आप अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूं, बहुत लोग इसके बारे में बोल चुके हैं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इस बात को रखा गया है कि जो नई रोशनी की योजना है, सीखो और कमाओ, नावाडको, हमने अल्पसंख्यकों के बारे में जो योजना चलाई थी, उसमें यह काबिले तारीफ है। हमारे सीनियर श्री रहमान खान जी ने इसकी शुरूआत की थी। लेकिन जो आपके मंत्री यहां आते हैं, वह जिस दिन उसे लेते हैं, वह सीधा कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देना है, हमने उन्हें शिक्षा देनी है। मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगा कि आप सोचिये कि जिस आदमी के पास दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास दो समय का खाना नहीं है, उसे आप किस प्रकार की शिक्षा दे पायेंगे। यदि आप आरक्षण को हटाना चाहते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, जिसके लिए आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। आप झुग्गी-झोंपड़ियों में जाइये, आप मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में जाइये और देखिये कि किस प्रकार से लोग यहां रहते हैं। हमारी उन सबके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। इसलिए जो आरक्षण वाली बात है, चाहे वह जनजातीय लोगों के बारे में हो या अल्पसंख्यकों के बारे में हो, इस बिन्दु पर बहस करना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने खुद उन परिस्थितियों को देखा है, मैंने खुद पूरे भारत का दौरा किया है। हमने देखा कि चाहे वह कालाहांडी, बुंदेलखंड, अरुणाचल प्रदेश का लम्डिंग डिस्ट्रिक्ट हो या रतलाम हो, हम और मंत्री महोदया एक साथ गये थे, हम बांसवाड़ा भी गये थे। वहां किस तरह से लोग रहते हैं, हमने खुद देखा है। वहां लोग कुपोषण, भूख, गरीबी के शिकार हैं, हमें इन सबको साथ में लेकर चलना होगा।

जब हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो इसमें वहां का जिक्र ही नहीं है। हम कभी-कभी सोचते हैं कि क्या सच में आपकी सोच वैसी ही है। जब यू.पी.ए. सरकार थी तो उन्होंने वहां के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किया था। अभी हमें डर लग रहा है कि अगर यह सरकार ईक्वल शेयर के हिसाब से जायेंगी, अगर आप पापुलेशन बेस में जायेंगे तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। आप चीन की ओर देखिये, किवितो, गेलिंग, सिंगम और तवांग में देखिये, उनके सारे एयरक्राफ्ट्स बार्डर तक सीमा तक आते हैं। लेकिन हमारे वहां के लिए पिछली यू.पी.ए. सरकार ने इसमें प्रावधान रखा है, उसमें इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए अभी वहां इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है और हम भी चाहते हैं कि जो आपकी नीति है, इसमें आपने पूर्वोत्तर के लिए कुछ नहीं रखा है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हम लोग जब पालिसी के बारे में बोलते हैं, आप म्यांमार के बारे में देखिये, आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के पांगसू पास को देखिये। इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। आपने पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के लिए जनरल वी.के.सिंह को मंत्री बनाया है, यह अच्छी बात है। हम इसमें कुछ बुरा नहीं मानते। लेकिन आप सोचकर देखिये कि हमारी यू.पी.ए. सरकार में हमारे पूर्वोत्तर से एक कैबिनेट मिनिस्टर था। आप भी अपने यहां से बनाइये, यदि आप पूर्वोत्तर के लिए भी थोड़ा सोचते हैं और वहां का ध्यान करते हैं तो हमारे यहां के एक्स-चीफ मिनिस्टर आपके साथी हैं, एक्स-स्पीकर हैं, इन्हें आप मंत्री बनाइये। ताकि कम से कम आपकी पॉलिसी और प्रोग्राम में हमारे लोग भी शामिल हो सकें।...*(व्यवधान)* मैं थोड़ा समय और लूंगा, लेकिन

अभी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कानून थे, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कानून है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो व्हिसिल ब्लोअर्स और बहुत सारे बिल्स हैं, जिन्हें हमने पिछली सदन में रखा था। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इन्हें पूरा करने के लिए विचार करें।

मैं ज्यादा समय न लेकर अंत में कहना चाहता हूं कि जो हमारा स्टेपल वीजा का इश्यु है, आप उस पर भी चर्चा रखें। हमने देखा कि चाहे प्रधान मंत्री हों या मैडम सुषमा स्वराज हों, दोनों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन हमने सुना है कि स्टेपल वीजा के विषय में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं। अंत में, हमारे कंस्टीट्यूशनल क्लब के अध्यक्ष द्वारा राजनीतिक भाषण के लिए मैं उनकी बहुत ही तारीफ करूंगा। उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा न कर के शायद सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है। लेकिन मैं उनको यह कहूंगा कि -

"रूठ के मत बैठो यारो, मंजिलें और भी हैं।

जमीन खत्म हुई तो क्या हुआ, आसमान पूरा बाकी है।"

हम नम्रता के साथ आप सब को धन्यवाद देना चाहेंगे। अपनी अध्यक्षा मैडम सोनिया जी के मार्गदर्शन से देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखण्डता के लिए हम आपके साथ समर्पित हैं। हम आपको पूरा सहयोग देंगे। एक बहुत अच्छे विपक्ष के रूप में हम आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको कायम रखना है।

[अनुवाद]

श्री पूरनो अगितोक संगमा (तुरा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं यहां माननीय सदस्य श्री रूडी जी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को संसद के संयुक्त सत्र में एक अति उत्तम भाषण देने के लिये बधाई देता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इन चुनावों से लोगों में एक आशा की किरण जगी है। चुनाव हो चुके हैं और परिणाम हम सबके सामने हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि इन चुनावों से जनता को बहुत आशाएं रही हैं। जब हम आशा भरे चुनाव कहते हैं तो शायद हमारा आशय सत्ता परिवर्तन की आशा होता है। किंतु मैं ऐ ऐसी बात कहना चाहता हूं जो विशेष रूप से राष्ट्रपति जी के इस कथन के संबंध में तर्कसंगत बैठती है, जो हमारे इस संस्थान की विश्वसनीयता को पुन:स्थापित करती है।

महोदय, हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। एक समय मुझे भी इस सभा की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे संसदीय शासन व्यवस्था में दृढ़ विश्वास है। किंतु यदि आप पिछले कुछ वर्षों में देखें, तो जिस तरह से भारतीय संसद कार्य करती रही है, मुझे डर है धीरे-धीरे देश की जनता का विश्वास इस पर से उठ जायेगा। संसद में हमारा विश्वास पुन:स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हूं जिन्होंने भारत की संसद में पहली बार पदार्पण करते हुए देश को और विशेष रूप से नव निर्वाचित सदस्यों को इतना ओजस्वी संदेश दिया। वह संदेश क्या था? वह संदेश यह था कि जब प्रधानमंत्री जी गेट नं. 1 पर पहुंचे तो संसद में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने संसद को दंडवत प्रणाम किया। ऐसा करके उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री के इस कृत्य से एक बहुत ही बढ़िया और सशक्त संदेश जनता तक पहुंचा। ऐसा करके उन्होंने संसद की पवित्रता का बहुत ही ओजपूर्ण संदेश दिया और कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। माननीय सदस्यो, हम सभी लोकतंत्र के इस मंदिर के सदस्य हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि संसद की पवित्रता को बनाए रखें।

पिछले कुछ सालों से हमारी संसद ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रही। आइये हम इसे एक कार्यशील संसद बनाएं। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत की संसद के कर्त्तव्यों, शक्तियों और कार्यों में कानून बनाना, बजट की जांच करना और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करना सम्मिलित है। यह सही है। किंतु मेरे विचार से भारत की संसद की भूमिका इससे कहीं अधिक बड़ी है। दुर्भाग्यवश पिछले पांच वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। संसद इस देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री तक प्रदान नहीं कर पाई। संसदीय प्रणाली अर्थहीन हो जाती है यदि हम एक अच्छा प्रधानमंत्री तक देश को न दे पायें। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार ऐसा हो पाया है।

मैं चाहता हूं कि यह सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 की जांच करे जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। मेरे विचार से सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री निचले सदन से होना चाहिये और दूसरा उसका चुनाव भी निचले सदन द्वारा किया जाना चाहिये। अन्यथा प्रधानमंत्री की सत्ता अर्थहीन है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सदन का नेता माना जाता है। उसे सदन का नेता होना चाहिये। पिछले पांच वर्षों में, पिछली चार सरकारों में प्रधानमंत्री सदन का नेता नहीं बन पाया। ऐसे में उनकी क्या सत्ता है? किंतु मुझे लगता है धीरे-धीरे हमें उस स्थिति की ओर अग्रसर होना चाहिये जबकि हम प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा

चुना जा सके। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इस चुनाव में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी जी को जनता ने स्वयं चुना है। जनता यही चाहती थी। अब जनता चौकन्नी होकर हमारा व्यवहार भी देख रही है। यह हमें याद रखना चाहिये। हम सदैव यह भी याद रखें कि संसद भवन में प्रवेश करने से पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। कृपया इसे याद रखें और प्रतिदिन इसका अनुसरण भी करें।

महोदय, प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित करना एक बहुत बढ़िया आइडिया था। यह एक बहुत अच्छा कदम था। मैं इसके लिये भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। यह इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में हमारी विदेश नीति किस प्रकार की होगी।

मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा भूटान की होगी। मैंने यह भी पढ़ा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की होगी। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं। हमें अपने पड़ौसी देशों से सहयोगपूर्ण और मित्रवत् संबंध रखने होंगे। साथ ही, दो दिन पहले चीन के विदेश मंत्री का भारत आना भी एक अच्छा संकेत है। मुझे इसकी खुशी है।

किंतु ऐसे बहुत से पेचीदा मामले हैं जिनके संबंध में हमें चीन से निपटना है। उत्तर-पूर्व के हम लोग विशेष रूप से चीन की सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम से अत्यंत चिंतित हैं। वह यह है कि चीन पन ऊर्जा उत्पादन हेतु ब्रह्मपुत्र पर जंगमू नामक स्थान पर पहले ही डैम का निर्माण कर रहा है और हमारी रिपोर्ट कहती है कि जंगमू के अलावा चीन छह और डैम बनाने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तर-पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश का क्या होगा?

ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जीवन रेखा है, अत: हमारे लिये यह मामला अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, चीन के साथ जल उपयोग के संबंध में भारत की कोई संधि नहीं हुई है। मुझे आश्चर्य है ऐसा क्यों है? यदि भारत तीस्ता नदी के जल उपयोग के संबंध में बांग्लादेश के साथ संधि कर सकता है तो हम चीन के साथ संधि पर विचार क्यों नहीं करते।

आज हम सब जानते हैं, सीमा विवाद एक प्रमुख मामला है, चीन के साथ यह हमारा सबसे प्रमुख मामला है। मुझे डर है कि जल्दी ही सीमा विवाद का मामला कहीं गौण न हो जाए। मेरे विचार से जल संधि का मामला अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे पास इसका विस्तृत विवरण है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में संघवाद की चर्चा की गई है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। किंतु यदि हम व्यवहार में देखें, यदि भारतीय संविधान को देखें तो हम पाते हैं कि हमारी संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से संघीय नहीं है बल्कि हमने अर्द्धसंघीय प्रणाली को अपनाया है। कारण और निष्कर्ष यह है कि बहुत से मामलों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में मतभेद है। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केन्द्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा की गई है। मुझे संघीय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है और मैं चाहता हूं कि भारत राज्यों के संघ के स्थान पर सच्चे अर्थों में एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश बने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ (यूनियन ऑफ स्टेटस) कहा गया है। अमरीकी संविधान में अमरीका को 'यूनाइटिड स्टेटस' कहा गया है। अंतर है - यूनाइटिड स्टेटस और यूनियन ऑफ स्टेटस में। मैं चाहता हूं कि भारत भी "यूनाइटिड स्टेटस" कहलाए। हमें इसके लिये अवश्य प्रयास करने चाहिये।

मुझे खेद है कि भारत में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां सही ढंग से शासन व्यवस्था चलाना अत्यंत कठिन है। उदाहरणत: आज उत्तर प्रदेश में आज कल क्या हो रहा है। मुझे भारत सरकार में श्री नारायण दत्त तिवारी के अधीन कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था, संगमा जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। मैं चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री रह चुका हूं किंतु सभी जिला मुख्यालयों का दौरा पूरा नहीं कर पाया। चार बार मुख्यमंत्री रह कर भी वे जिला मुख्यालयों का दौरा पूरा नहीं कर पाये। यह तिवारी जी ने मुझसे कहा था। आप कैसे वहां का शासन चला पायेंगे। उत्तर प्रदेश पूरे यूरोप से बड़ा है। मेरे विचार से हमारे राज्य छोटे-छोटे होने चाहिये। मैं छोटे राज्यों के पक्ष में हूं। यदि अमरीका जो हमारे देश के आकार का एक तिहाई है, में 50 राज्य हो सकते हैं तो क्या भारत में 50 या 50 से अधिक राज्य नहीं हो सकते।

ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां अलग राज्य बनाने की मांग रही है। मैंने उनकी गिनती की है। ऐसी कम से कम 30 मांगें हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड की मांग है। इस प्रकार की मांगें अनेक राज्यों से हैं। मैं हर राज्य का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे पूर्वी क्षेत्र में, या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कई अलग राज्य जैसे गोरखालैंड, कामपतापुर, बोडोलैंड, करबी अंगलोंग और गारोलैंड जो मेरे अपने ही राज्य में हैं, बनाने की मांग हो रही है। दीमासज और कुक्कीलैंड बनाने की मांग भी है। ऐसी कई मांगें हैं...*(व्यवधान)*

जहां तक विदर्भ का संबंध है, मैं पिछले 20-30 सालों से विदर्भ राज्य बनाने का समर्थक रहा हूं और मुझे विदर्भ की व्यवहार्यता के संबंध में विस्तृत विवरण जानने का अवसर भी मिला है। स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने मुझे गैर सरकारी तौर पर इस राज्य के संबंध में एक अध्ययन करने और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। मैंने वह किया और मैं विदर्भ राज्य का गठन किये जाने की पुरजोर सिफारिश करता हूं। मैं आज भी विदर्भ राज्य का गठन करने का पुरजोर समर्थन करता हूं। किंतु हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना राज्य बनाया गया है। मैं तेलंगाना और सीमांध्रा दोनों राज्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विकास कार्यों में उनकी सफलता की कामना करता हूं।

मेरा सुझाव है कि भारत सरकार एक दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करे जो नये राज्यों के निर्माण संबंधी सभी मांगों को देखे।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उत्तर-पूर्वी राज्यों की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। वहां घुसपैठ और अंतरक्षेत्रीय सम्पर्क की समस्या है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं। जहां तक अंतरक्षेत्रीय सम्पर्क का संबंध है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेघालय में फूलबारी से असम में धुबरी तक एक पुल का निर्माण किया जाए। जांगीधोपरा से टिकरीकिला, सेलसेला, जिकजैक, बाघमारा, रानीकोर, शैला, डाकी और सिलचर तक एक नई रेललाइन बिछाने के लिये सर्वे कराया जा रहा है। मैं यह रेलवे बोर्ड के रिकार्ड में से उद्धृत कर रहा हूं। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को ताक पर रख दिया है। मुझे नहीं पता क्यों। मैं रेल मंत्रालय या रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को तुरंत आरम्भ किया जाए। इस परियोजना में 437 किलोमीटर कवर किये गये हैं। इससे अंतरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना की लागत अनुमानतः 18,180 करोड़ रुपये होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और भी कई रेलवे लाइनें प्रगति पर हैं।

एक परियोजना पूरी हो चुकी है। मेघालय को पहली बार एक रेलवे लाइन प्राप्त हुई है। इस पर परीक्षण के लिये इस पर रेलगाड़ी को चलाया भी जा चुका है। केवल विधिवत उद्घाटन होना बाकी है। मैं हमें यह रेलवे लाइन देने के लिये यू.पी.ए. सरकार का धन्यवाद करता हूं। अब इसका उद्घाटन करके इसे काम में लाना चाहिये। मैं रेल मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि वे इस नयी परियोजना का उद्घाटन करने के लिये मेरे लोक सभा क्षेत्र में आयें।

महोदय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आज संकटग्रस्त है विशेष रूप से मेरा राज्य मेघालय और मेरा लोकसभा क्षेत्र गारो हिल्स। हाल ही में वहां अनेक लोग मार दिये गये। गारो हिल्स में चार वर्ष पूर्व दो भूमिगत विद्रोही संगठन थे। आज वहां ऐसे 10 संगठन हैं। पिछले चार सालों में ऐसे आठ विद्रोही संगठन पैदा हो गये हैं। हम आरोप ...* लगाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि पिछले चार वर्षों में आठ और भूमिगत विद्रोही संगठन पैदा हो गये।

सबसे अधिक सक्रिय विरोधी ग्रुप ए.एन.वी.सी.(बी.) है। वे कहते हैं कि वे...के इशारे पर काम करते हैं। मेरे पास भूमिगत संगठन के सचिव द्वारा लिखित एक पत्र की प्रति है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उसे बनाया है...वे एक विशेष मंत्री की बैठक के दौरान बम विस्फोट कराना चाहते थे; एक विशेष मंत्री के घर पर बम धमाका कराना चाहते थे; एक उम्मीदवार को चुनाव में हरवाना चाहते थे, उन्होंने उनकी इच्छानुसार सारे कार्य किये। यह बहुत ही रोचक पत्र है। यह साबित करता है...भूमिगत संगठन के साथ सांठगांठ है। देश राजनैतिक नेताओं और भूमिगत संगठनों के बीच सांठगांठ की सदैव भर्तस्ना करता रहा है।

माननीय सभापतिः संगमा जी, जब आप यह कहते हैं कि विद्रोही संगठन और...के बीच सांठगांठ है, यद्यपि आप नाम नहीं ले रहे हैं तो भी नियमों के अधीन इसकी जांच करानी होगी। अन्यथा हमें इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकालना होगा।

श्री पूरनो अगितोक संगमाः ठीक है, महोदय मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं...मैं सरकार का मुखिया शब्द प्रयोग करूंगा। अतः सरकार का मुखिया स्वयं इस सांठगांठ में शामिल है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आपने समाचार देखे होंगे, पूरा दिन आता रहा कि किस प्रकार एक महिला, तीन बच्चों की मां का बलात्कार करने का प्रयास किया गया और फिर उसे मार दिया गया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पुलिस हिरासत के दौरान मारे गये। अनेक गैर आदिवासी मित्रों, बिहार, बंगाल, राजस्थान के छोटे व्यापारियों जो यहां अपनी आजीविका कमा रहे थे, का पिछले दो महीने में अपहरण किया गया है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। वहां स्थिति बहुत खतरनाक है। मेरी मांग है कि मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केवल यही एक समाधान है।

मुझे बहुत खुशी है कि हमारा एक शिष्टमंडल ग्रह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू से मिला है। उन्होंने यह वायदा किया है कि वे मेघालय आयेंगे और स्वयं स्थिति का जायजा लेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अत: महोदय, मैं पुन: भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। इस विषय पर मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला हूं। मैंने उन्हें एक नोट के साथ एक लम्बी सूची भी दी है।

मैं एक छोटा सा मुद्दा और उठाना चाहता हूं। वह यह कि हमारा एक मंत्रालय है जिसे हम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग कहते हैं। यह एक वित्त पोषण एजेंसी मात्र बनकर रह गया है। राज्य सरकार कभी 2 करोड़, 3 करोड़ और कभी 5 करोड़ की मांग करती है। कोई पारदर्शिता नहीं है। बहुत सारा पैसा सही ढंग से वितरित नहीं हुआ है।

मेरा विचार है कि सरकार को इस ओर पुन: ध्यान देना चाहिये उत्तर-पूर्वी परिषद और उत्तर-पूर्वी-क्षेत्र विकास मंत्रालय कौन-कौन से कार्य करने चाहिये। उन्हें वास्तव में भारत सरकार के एजेंटों की भांति कार्य करना चाहिये। उन्हें ऐसी परियोजनाएं बनानी चाहिये जो बिल्कुल स्पष्ट हों और जिनसे लोगों को यह आभास हो कि वास्तव में भारत सरकार ने उनके लिये कुछ किया है।

[हिन्दी]

***श्री राहुल कस्वां** (चुरू): मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने सुशासन और राष्ट्र निर्माण का एजेण्डा राष्ट्र के सामने रखा है। राष्ट्रपति जी का पूरा अभिभाषण इस देश के हर वर्ग के सपने को पूरा करने का संदेश लिए हुए है। यह सौगातों की झड़ी नहीं लगाता, यह सुविधाओं का पिटारा नहीं खोलता, बल्कि देश को विकास की राह पर ले जाने वाला सुदृढ़ योजना का खाका खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति जी ने 50 बिंदुओं वाले अपने अभिभाषण में शहरों से लेकर गांवों तक गुणवत्तायुक्त जीवन शैली, सबको काम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 100 नए शहरों का निर्माण और गांवों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का एजेण्डा पेशकर शहरी ही नहीं, ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा है। 2022 तक प्रत्येक परिवार को पानी के कनेक्शन, 24 घंटे बिजली, शौचालय और आवागमन सुविधाओं सहित पक्के घर के निर्माण का वादा किया है। खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति सुधारने, जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने, मानसून की बारिश कम हुई तो उससे निपटने के उपाय पर काम शुरू करने का भी वादा किया है। महंगाई रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही आर्थिक हालात को बेहतर बनाना सरकार के सामने पहली चुनौती है, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी व सिंचाई के पानी का विकट संकट है। 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य हुए जल बंटवारे के समझौते का पालन आज तक नहीं हो पा रहा है। 0.60 एम.ए.एफ. पानी आज भी पंजाब, राजस्थान को नहीं दे रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर राजस्थान को उसके हक का पानी दिलाएगी, ताकि अकालग्रस्त राजस्थान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। सिधमुख वितरिका अमरसिंह बैराज के हिस्से का पानी आज भी हमें नहीं मिल रहा है। इससे मेरा क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बार-बार सूखा पड़ने के कारण सिंचाई के अभाव में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय हो गयी है। फसल बीमा योजना से किसान को कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रीमियम बढ़ा कर किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र की बहुत-सी रेल परियोजनाएं धन के अभाव में शुरू नहीं की गई हैं तथा धन के अभाव में आमान परिवर्तन का कार्य भी बाधित पड़ा हुआ है जिस कारण लंबे समय से गाड़ियां बंद हैं।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा के लिए जो सरकार का कमिटमेंट एवं विजन है, वह निश्चित तौर से एक मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प दिखता है।

माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं समय की सीमा है, इतने कम समय में मैं सारे विषयों पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दो-तीन प्रमुख सवालों को मैं अंकित करना चाहता हूं। स्वास्थ्य एक बड़ा सवाल इस राष्ट्र के सामने है। कई साथियों ने स्वास्थ्य के संबंध में भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने कमिटमेंट दोहराया है। 13वीं लोक सभा में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था। जार्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में समता पार्टी और आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अंग के रूप में हैं। मेरी जो पार्टी है, वह लौहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर जार्ज फर्नांडीज के विचारों की संवाहक है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. के जाने के बाद जो स्वास्थ्य की स्थिति बनी है, खासकर एम्स इस देश का पॉयनियर इंस्टीट्यूशन था। उसकी जो ऑटोनोमी थी, जिस तरीके से उसको बर्बाद किया गया। मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, जिस तरीके से मैं बिहार से रोगी को ला करके किसी सांसद के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यहां रहता था। उस समय जो सुविधा एम्स में थी, आज वह समाप्त हो गई है। खास करके पिछले यू.पी.ए. वन और टू में जिस तरीके से इंटरफियरेंस हुआ और डॉ. बेनु गोपाल जैसे, जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, उनको अपमानित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इटरफियरेंस से कुछ दिन के लिए वापस आए थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो यू.पी.ए. की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो एम्स खोले गए, बिहार, ओडिशा और अन्य जगहों में जिस तरह का एक स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डालने का एक प्रयोग किया गया है।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित करना है, एम्स को एक ऑटोनोमी के रूप में फंक्शन करने देना है तो निश्चित तौर से उसकी ऑटोनोमी को बरकरार रखना चाहिए। आज एम्स की कई फैकल्टी, डॉ. वी.एस. मेहता न्यूरो के नामी सर्जन थे। कई सांसदों का ट्यूमर का ऑपरेशन एम्स में कराया गया, जो इंग्लैंड जाने वाले थे। मैं जानता हूं, उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद का भी ट्यूमर का ऑपरेशन वहां हुआ और बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ। आज डॉ. वी.एस. मेहता भी वहां से छोड़ करके चले गए। ऑटोनोमी को बरकरार रखना चाहिए और राज्यों में जो इसका विस्तार किया गया है, वह निश्चित तौर से एम्स के तर्ज पर होना चाहिए, उसकी ऑटोनोमी होनी चाहिए, तभी हमारा जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सकेगा। आज जो भ्रष्टाचार है, डॉ. थम्बी दुरई साहब ने जो बात रखी है, वह सत्य है। जिस तरीके से यू. पी.ए.-वन और टू में भ्रष्टाचार देश की अवाम ने, जनता ने देखा और उस भ्रष्टाचार से इतनी आहत हुई, कई सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका निदान भ्रष्ट लोगों पर लगाम कसी गई है, लेकिन चालाकी से भ्रष्टाचारियों को संरक्षित किया गया, चालाकी से भ्रष्टाचारियों को जगह दी गई और यही कारण है कि आज जो देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत मेंडेट दिया है। हम एलाइज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से वह ताकत दी है कि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करे, कोई सहयोगी भी ब्लैकमेल नहीं करे और आप इस देश में भ्रष्टाचार जीरो टोलरेंस का बने, इसके लिए निश्चित तौर से पहल करने का मौका दिया है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं, यह जो 16वीं जो लोक सभा है, यह रैस्टोरेशन ऑफ डैमोक्रेसी है, जिस तरीके से तिकड़म चल रही थी, जिस तरीके से जोड़-तोड़ करके सरकारें चल रही थीं, उससे भारत की अवाम को, अमनपसन्द लोगों का निश्चित रूप से भरोसा टूट रहा था, इस लोकतंत्र में और एक बार पुनः रैस्टोरेशन ऑफ डैमोक्रेसी हुआ है और लोगों को विश्वास हुआ है। विश्वास का जो संकट था, वह संकट दूर हुआ है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। निश्चित तौर से आप जो कह रहे थे, हम आपकी बात से समझ सकते हैं। लेट सुनील दत्त साहब कॉमनवैल्थ के समय में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैंने उस घटना को नजदीक से देखा कि किस तरीके से सुनील दत्त को अपमानित कियाँ गया और ऐसे भ्रष्ट लोगों को वह बागडोर दी गई कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षित कर सकें और फिर जब वह भ्रष्टाचार उजागर हुआ, मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता, हम सिर्फ कांग्रेस के साथियों को और उनके सहयोगियों को यह कहना चाहूंगा कि यह विषय इसलिए गम्भीर है कि देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा आपको बैटर मैनेजमेंट के लिए देती है, लूट के लिए नहीं देती है और जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो निश्चित तौर से वह एक कठोर निर्णय लेती है और वह कठोर निर्णय लिया है, आपको निश्चित तौर से उससे सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोकतंत्र की, जम्हूरियत की यह जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था में हम इस सरकार के लिए जो ताकत मिली है, इस ताकत का सही उपयोग होना चाहिए और जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह साफ दृष्टिगोचर भी हो रहा है। मैं जार्ज फर्नाण्डीज के नेतृत्व में एक बार नोर्थ ईस्ट में गया था और वहां एण्टी ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक सम्मेलन हुआ था, तीन दिवसीय। जब वहां के गांव में मैं गया, आज जम्मू-कश्मीर की समस्या जरूर है, लेकिन डॉ. लोहिया बराबर कहा करते थे, जम्मू-कश्मीर की समस्या से बड़ी समस्या नोर्थ ईस्ट की समस्या है। मैं दो मिनट का समय लूंगा। जब हम लोग वहां गये तो सचमुच हम लोगों ने देखा कि वहां की दीवारों पर लिखा हुआ है, 'इण्डियन डॉग्स, गो बैक'। आप समझ सकते हैं कि यहां केन्द्र में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अभी माननीय संगमा साहब कह रहे थे, उससे शत-प्रतिशत मैं सहमत हूं कि जिस तरीके से धन का वहां दुरुपयोग हो रहा है, जो इंसरजैंट्स और राजनीतिज्ञों के बीच में जो एक नैक्सस है, इस नैक्सस को तोड़ा जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं एक मिनट का समय लूंगा।

पिछली सरकार हम सारी संरचना बनायें, हमारी परम्परा हम दुनिया के देशों में हम वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने उस इतिहास को गढ़ा है। नेपाल में जो घटना हुई, जिस तरीके से भूटान में घटना हुई, हम कहीं भी, चाहे नेपाल की लड़ाई हो, लोकतंत्र की या बर्मा की लड़ाई हो, इन सारी लड़ाइयों में भारतीय अमनपसन्द लोग, जम्हूरियत में विश्वास करने वाले लोगों ने सहयोग किया है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो सीमा है, इस पर हमें एक संदेश दिया है, सरकार

ने सकारात्मक संदेश दिया है। भारत में एक मजबूत सरकार ही अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रख सकती है।

महोदय, मैं शिक्षा पर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की जो दुर्गति बिहार में हुयी है और सुशासन का जो राग, डंका ठोका गया, वहां शिक्षा का सर्वनाश हुआ है, उसी तरह से सी.बी.एस.ई. ने जो डिवैल्यू किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो डिवैल्यू किया है, वह गंभीर चिंतन का विषय है। संपूर्ण संरचना को बदलकर शिक्षा में प्रायोरिटी से आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे, चूंकि विकास के लिए टोटल ट्रांसफार्मेशन एजुकेशन के माध्यम से संभव है।

इन्हीं शब्दों के साथ रूडी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

***श्री बी.एस. येदियुरप्पा** (शिमोगा): मुझे सोमवार को संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के सार, प्राथमिकताओं और रूपरेखा को जानकर खुशी हुई है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा, "आज के समय की जरूरत कुछ बड़ा सोचने की है। हम कौशल, स्केल और गति पर जितना ध्यान केन्द्रित करेंगे, भारत का विकास उतना अधिक होगा।" इस संपूर्ण अभिभाषण में यही परिलक्षित हुआ है।

वर्तमान में सरकार का फोकस मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति में कटौती करते हुए अर्थव्यवस्था को पुन: विकास की ओर ले जाने के लिए पोषित करना है। हमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अतिरिक्त देश में कृषि और उद्योग जैसे रोजगार सृजक, पुनर्जीवन वाले मुख्य क्षेत्रों के अन्य मुद्दों के समाधान करने के लिए उपाए करने की भी आवश्यकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि नई सरकार ने समयबद्ध रूप से अपने वादों को निभाने के साथ विस्तृत कार्यसूची को प्रदर्शित किया है क्योंकि हमारे देश के नागरिक यह जानना चाहते थे कि उनका घोषणापत्र केवल राजनीतिक जुमलेबाजी तो नहीं है।

हमारे नए राष्ट्र निर्माण के लिए अवसंरचना, कानूनों, विनियमों और प्रशासनिक ढांचों को नए तरीके से लागू करना, परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे पांच मुख्य तत्व में सुधार करने के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर जोर आशा की सबसे बड़ी किरण है।

कर्नाटक में मेरे मुख्य मंत्री काल के दौरान हमने लोक कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रमों को शुरू किया था और हमारे राज्य को केन्द्र सरकार से कई क्षेत्रों में कई पुरस्कार प्राप्त हुए। हमने 2 टीयर श्रेणी वाले शहरों में नए हवाई अड्डों की स्थापना पर जोर दिया था। मैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि वे काफी समय से लंबित पड़ी सभी चार परियोजनाओं को पूरा करें।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी प्राथमिकता के आधार पर रेलवे को आधुनिक बनाए जाने और पुनर्निर्माण करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने स्वैच्छिक रूप से रेल लागत में हिस्सेदारी की थी और कर्नाटक में रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने व सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार की निधियों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत का अनुदान दिया था। मैं वर्तमान राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य स्तर पर रेल परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना जारी रखे।

नि:संदेह अच्छे दिन आने वाले हैं और आज से अगले पांच वर्षों तक की यह यात्रा शुरू हो गयी है। इस पूरी टीम और टीम के नेता, जो सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं, के लिए मेरी शुभकामनाएं।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): यह अवसर प्रदान करने के लिए माननीय सभापति जी आपका धन्यवाद। मैं महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार से यह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि यह महान दृष्टिकोण वाला दस्तावेज और हमारे नागरिकों के लिए रचनात्मक वचन भी है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। शुरुआत में, मैं उत्तर देना चाहूंगा अथवा मैं खरगे जी को याद दिलाना चाहूंगा, वे यहां नहीं हैं किंतु मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि खरगे जी ने कहा था कि हमें जनादेश नहीं प्राप्त हुआ है। केवल 31 प्रतिशत मतदाताओं ने हमें जनादेश दिया। *[हिन्दी]* और 69 परसेंट आपकी विचारधारा के खिलाफ हैं, ऐसा माननीय खरगे जी ने कहा। खरगे जी सदन में आ गए हैं। आप कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)* कम से कम वह सुनें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ...*(व्यवधान)* क्योंकि उन्होंने एक आर्ग्युमेंट रखा है, उस आर्ग्युमेंट के बारे में मैं अपना व्यू रखना चाहता हूं क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं और हमारे प्रांत से आते हैं। खरगे जी ने कहा कि हमें 31 परसेंट लोगों ने वोट दिया, *[अनुवाद]* 69 प्रतिशत मतदाता हमारे विपक्ष में हैं। खरगे जी, आपको मैं याद दिलाऊं कि वर्ष 2009 में आपको 28.55 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ और आपने संपूर्ण पांच वर्षों तक शासन किया। मैं मानता हूं कि कम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से कम आप इससे सहमत होंगे कि 31 प्रतिशत 28 प्रतिशत से अधिक होता है। *[हिन्दी]* यह बेसिक मैथेमेटिक्स है।

दूसरी बात, रूडीजी, यह आपकी जानकारी में भी होगा कि *[अनुवाद]* वर्ष 2004 में उन्हें 26.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ और उन्होंने 5 वर्षों तक शासन किया और हमें वर्ष 2009 में 18 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और आज हमें 31 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। *[हिन्दी]* आप 28 से 16 तक आए, हम 18 से 31 परसेंट तक आए हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अगली बार 51 परसेंट तक पहुंचेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं।...*(व्यवधान)* आप यह बोल रहे थे, *[अनुवाद]* आपका तात्पर्य यह है कि मत विभाजन की वजह से हम चुनाव में जीते हैं। क्या आपका मतलब यह है कि वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में मतों का विभाजन नहीं हुआ था? *[हिन्दी]* मैं आपसे चेयर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कृपया इंट्रोस्पेक्ट करो। *[अनुवाद]* स्वयं को दिलासा देना अच्छा नहीं है। *[हिन्दी]* हम भी डिफीट हुए थे। *[अनुवाद]* किसी एक स्तर या अन्य स्तर पर प्रत्येक दल को पराजय मिली किंतु हमने आत्ममंथन किया और आज हमारे पास बेहतर नेतृत्व है और हम यहां हैं और आप वहां हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कारण क्या हैं और लोगों ने आपको क्यों नकार दिया। जब अटल जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार सत्ता में आयी तब हमारी जी.डी.पी. 5 प्रतिशत से कम थी तथा उनके सत्ता छोड़ने के समय तक वही जी.डी.पी. 8 प्रतिशत से अधिक थी और मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। जब अटल जी ने 2004 में सत्ता छोड़ी तो चालू खाता घाटा 7.36 बिलियन डॉलर के अधिशेष में था।

सायं 7.00 बजे

आज जब आपने सत्ता छोड़ी है तो खरगे जी यह ऋणात्मक रूप से 180 बिलियन डॉलर में है। जब एन.डी.ए. ने 2004 में सत्ता छोड़ी थी तो व्यापार घाटा 13.6 बिलियन डॉलर था। कांग्रेस के साथियों, कृपया मेरी बात को सुन लीजिए। वर्ष 2013 में यह 80 बिलियन डॉलर था।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिए कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

माननीय सदस्यगण बैठक की कार्यवाही को सायं 7.00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और अभी 7.00 बजे हैं। यदि सभा सहमत हो तो, माननीय सदस्यों द्वारा अपने भाषणों को पूरा किए जाने तक सभा की कार्यवाही का समय बढ़ाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी: 5-10 मिनट में, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य अपने भाषण को समाप्त करने के लिए लगभग पांच मिनट का समय और मांग रहे हैं। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी: सर, मैं अपनी बात को कल समाप्त करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, *[अनुवाद]* अन्यथा मैं तो कल बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपने पहले कहा कि आप अपना भाषण समाप्त करेंगे। इसलिए कृपया अपना बोलना जारी रखें और भाषण समाप्त करें।

[हिंदी]

श्री प्रहलाद जोशी: सर मैं अपनी बात को 10 मिनट में समाप्त करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* महोदय, मैं व्यापार घाटे के बारे में बात कर रहा था। वर्ष 2004 में जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो यह व्यापार घाटा 13.16 बिलियन डॉलर का था। 10 वर्ष के यू.पी.ए. शासनकाल के दौरान यह व्यापार घाटा 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 1998 और 2004 के बीच मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत से कम थी और 2004 से 2014 के बीच यह कभी एक अंक में नहीं रही। जब एन.डी.ए. की सरकार ने मार्च 2004 में सत्ता छोड़ी तो बाह्य ऋण 111 बिलियन डॉलर था। अप्रैल, 2013 में यह बढ़कर 319 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। 1999 से 2004 तक 60 मिलियन रोजगार के अवसर सृजन हुए।

ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा दिए गए हैं। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गए हैं जिसे यू.पी.ए. सरकार द्वारा सदन में रखा गया था। ये आंकड़े मेरे द्वारा अथवा भारतीय जनता पार्टी अथवा नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नहीं तैयार किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1999 और 2004 के बीच 60 मिलियन नए रोजगार सृजित किए गए और 2004 से 2011 के बीच केवल 14 मिलियन रोजगार सृजित किए गए। यू.पी.ए. सरकार के कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप रोजगार का सृजन नहीं हुआ।

रुपए का मूल्य क्या था? यू.पी.ए. के शासन काल के दौरान यह लगभग 69 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया था। यू.पी.ए. शासनकाल के दौरान मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊपर चली गई थी। समाचार पत्र में एक कार्टून था जिसमें रुपए के तेजी से गिरते मूल्य को प्रदर्शित करता था। एन.डी.ए. सरकार के दौरान लोग अपनी जेबों में पैसे ले जाने और थैलों में सब्जियों को भर कर लाने के आदी थे। समाचार पत्र में छपे इस कार्टून में यह दिखाया गया कि एक व्यक्ति थैलों में रुपए ले जा रहा है और अपनी जेबों में सब्जियां आदि घर ला रहा है। यू.पी.ए. सरकार ने इस प्रकार कार्य किया और इसलिए भारत के लोगों ने उन्हें सजा दी। अब उन्हें कोशिश करनी चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या रिकार्ड था? 1980 से 2012 के दौरान 32 वर्षों के दौरान अटल जी केवल पांच वर्षों तक सत्ता में रहे क्योंकि प्रथम वर्ष के दौरान इसे अस्थिर किया गया। 47,000 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। इसमें से पांच वर्षों के अटल जी की अगुवाई वाली सरकार ने 23000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया और शेष 27 वर्षों में उन्होंने 25000 किमी. से भी कम का निर्माण कराया। यह एक रिकार्ड है। *[हिन्दी]* उन्होंने क्या किया। *[अनुवाद]* जैसे ही वे श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सत्ता में आए तो *[हिंदी]* उन्होंने एक बढ़िया काम किया, गीते जी आपको भी मालूम है, रोड पर अटल जी की फोटो लगायी थी। *[अनुवाद]* एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिकी सड़क अमेरिका के अमीर होने की वजह से नहीं है बल्कि अमेरिका अपनी अच्छी सड़कों की वजह से ही अमीर है। इसी विचार से अटल जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग - स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के बारे में सोचा। इसके बारे में पहले नहीं सोचा गया। हम ऐसी सड़क केवल विदेशों और विकसित देशों में ही देखा करते थे। *[हिंदी]* लेकिन अटल जी ने सोचा। मेजर जनरल खंडूरी हमारे गांव आए थे। मैं उस समय एम.पी. नहीं था। पत्रकारों ने कहा कि 70-80 हजार करोड़ का यह प्रोजैक्ट आप कम्पलीट नहीं कर सकते, आप प्रचार के लिए कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापतिः उन्होंने 2 जनवरी, 1999 में बैंगलुरू में नींव रखी थी। उस समय मैं भूतल परिवहन मंत्री था। वे आए और उन्होंने नींव रखी। यही उसका आरंभिक बिन्दू था।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशीः महोदय, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपसे सहमत हूं, आप उस समय सत्ता में थे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः उस समय राजग की सरकार थी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशीः कहां, क्या रखा, वह मुझे पता है। लेकिन बाद में मेजर जनरल खंडूरी मेरे शहर हुबली आए थे। वहां भी पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप नहीं कर सकते। यह 70 हजार करोड़ का प्रोजैक्ट है। लेकिन उस दिन खंडूरी जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम इसे कम्प्लीट करके दिखाएंगे, ऐसा वायदा किया था। हमने कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया। जो फोटो लगाई थी, हजारों-करोड़ों रुपये खर्च करके उसे हटा दिया। *[अनुवाद]* यही उनका कार्यनिष्पादन है और यही उनकी उपलब्धि है। *[हिन्दी]* इसीलिए जनता ने इन्हें हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 को भारत सरकार को एक डायरैक्शन दी - एस. आई.टी. बनाओ, ब्लैक मनी ढूंढो, निकालो। *[अनुवाद]* उन्हें काले धन की तलाश करनी चाहिए। आपने क्या किया? आप पुनर्विचार याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय गए। *[हिन्दी]* आप इस डायरैक्शन को रिव्यू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। *[अनुवाद]* तो क्या हुआ? एक बार फिर वे पुनर्विचार याचिका के साथ उच्चतम न्यायालय गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। फिर भी आपने इसे नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने आपकी भर्तस्ना की। श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही 24 घंटे में कैबिनेट बैठक बुलाई और केवल एस.आई.टी. को गठित ही नहीं किया बल्कि सभापति उपसभापति तथा अन्य को नियुक्त किया, राजपत्र अधिसूचना जारी की, कार्य शुरू हो चुका है। *[हिन्दी]* यह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमैंट है।...*(व्यवधान)* खरगे जी, हमारे नेता मोदी जी हैं।...*(व्यवधान)* मैं बताता हूं। आपने 31 प्रतिशत, 69 प्रतिशत के बारे में बहुत कहा।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः इनका नम्बर नहीं लग रहा है।... *(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद जोशीः खरगे साहब, हमने अपने नम्बर के बारे में कभी नहीं सोचा। हम जो हैं, उसमें संतुष्ट हैं। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है और मोदी जी ने हमें रिकगनिशन भी दिया है। इसीलिए हम जहां हैं, बहुत संतुष्ट हैं। आप मंत्री थे, इसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं मानव संसाधन विकास सूचकांक के बारे में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि 0.453 के अंकों के साथ भारत का विश्व स्तर पर 123वां स्थान है। लेकिन उनके 10 वर्ष के शासन के दौरान 0.554 अंकों के साथ 136वें स्थान पर था। पूर्व सरकार

नई सरकार के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई विरासत को छोड़कर गई जिसकी वजह से वर्तमान सरकार को एक बहुत ही भारी-भरकम जिम्मेवारी विरासत में मिली कि पूर्व सरकार द्वारा की गई गलतियों को पहले सुधारना और फिर प्रगति के सही रास्ते पर लेकर आना। फिलहाल ऐसी हालत है परन्तु इसके बावजूद मुझे वर्तमान सरकार पर पूर्ण भरोसा है। *[हिन्दी]* महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आह्वान किया है *[अनुवाद]* उन्होंने चार महत्त्वपूर्ण मामलों को उठाया। *[हिन्दी]* गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा लगाया। *[अनुवाद]* क्या आपको स्थिति मालूम है? अर्जुन सेनगुप्त समिति ने यह बताया था कि 80 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम व्यय कर पाते हैं। *[हिन्दी]* आपने गरीबी हटाओ बोला, लेकिन दस वर्ष रूल करने के बाद भी *[अनुवाद]* आपने यह परिभाषित नहीं किया कि इस देश में गरीब कौन है। *[हिन्दी]* एक बार बोलते हैं, हमारे आहलूवालिया जी कहते थे कि 26 रुपये है, तो पुअर है, लेकिन 26 पैसे के बाद अगर 10 पैसे भी उनकी इनकम ज्यादा है तो वह पुअर नहीं है। यह क्या तरीका है? *[अनुवाद]* आपने 10 वर्षों तक समावेशी प्रगति की बात की है। श्री चिदम्बरम जी यहां समावेशी प्रगति की बात करते थे। लेकिन आपकी क्या उपलब्धि है? आपकी अपनी तेन्दुलकर समिति, अर्जुन सेनगुप्त समिति, योजना आयोग, विश्व बैंक सभी ने यह बताया था कि 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अर्जुन सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 80 करोड़ लोगों का प्रतिदिन खर्च 20 रुपये से भी कम है। गरीबी हटाओ नारा लगाने से कुछ नहीं होता है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं हम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति को फिर से रास्ते पर लेकर आयेंगे। मैं एक और मुद्दा उठाता हूं और इसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम की भाषा के संबंध में निर्णय दिया है। कर्नाटक के कुछ लोग कर्नाटक सरकार के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चले गए कि क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और यह भाषा कन्नड़ है। कुछ निजी प्रबंधक भी संविधान का यह हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय में चले गए कि शिक्षा का माध्यम का विषय माता-पिता पर छोड़ देना चाहिए। यदि यह विकल्प दिया जाता है तो निजी विद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाएंगे। इसके परिणामस्वरूप अमीर और गरीब लोगों में दरार आएगी। आप तमिलनाडु से आते हो और मैं कर्नाटक से आता हूं। आप जानते हैं कि हमारी कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं लेकिन मैं उन्हीं भाषाओं के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं। मैं यहां दूसरी भाषाओं के इतिहास के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं केवल उन्हीं भाषाओं की बात कर रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं। मैं कन्नड़, तमिल, तेलगू तथा मराठी भाषाओं की बात कर रहा हूं जिनका इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अंग्रेजी का इतिहास क्या है? अंग्रेजी का मात्र 500 वर्ष पुराना ही इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य, कि अंग्रेजी के बारे में हमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। *[हिन्दी]* जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होता है, वह बड़ा होता है, सुपीरियर होता है, ऐसा एक माहौल खड़ा किया है। इसलिए रिच और पुअर में डिवाइड होता है। *[अनुवाद]* मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी जिन भाषाओं का 2000 वर्ष पुराना इतिहास है कम से कम इन भाषाओं को बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। इन भाषाओं को बचाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अंत में, जहां तक शिक्षा का संबंध है। *[हिन्दी]* माननीय राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि आई.आई.टी. एंड एम्स *[अनुवाद]* सभी राज्यों में स्थापित किये जाएंगे *[हिन्दी]* आई.टी.आई. के लिए पहले श्री नरसिंह राव सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। *[अनुवाद]* उस सरकार ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। श्री देवगौडा जी की सरकार में श्री एस.आर. बोम्माई मानव संसाधन मंत्री थे और श्री एस.आर. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पुरजोर सिफारिश की थी कि धारवाड़, कर्नाटक में आई.आई.टी. स्थापित किया जाए। महोदय, मैं धारवाड़ से आता हूं। इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि आई.आई.टी. को धारवाड़ में स्थापित किया जाए क्योंकि यह क्षेत्र शिक्षा, संस्कृति, शिक्षाविदों तथा इतिहासकार लोगों का केन्द्र है।

अत: मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि आई.आई.टी. को धारवाड़ में स्थापित किया जाए। और एम्स जैसा संस्थान कर्नाटक के किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। यही मेरी मांग है। *[हिन्दी]* अभी काफी हो गया। बैंगलुरू में जगह भी नहीं है और दूसरी जगह हो सकता है, तो हैदराबाद और कर्नाटक में भी लगा सकते हैं। ऐसी सोच सरकार में रहनी चाहिए। इससे रीजनल इमबैलेंस खत्म होगा। मैं यह मांग रखते हुए, आपको धन्यवाद समर्पित करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सभा कल, 11 जून, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 11 जून, 2014/20 ज्येष्ठ, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।